हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च 1996

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 7 मार्च, 1996

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	
(i) श्री ओम प्रकाश जिन्दल द्वारा	(8)10
(ii) श्री राम रत्न द्वारा	(8)10
अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं —	
(i) निलंबित सदस्य प्रो० छतर पाल सिंह को प्रवेश की अनुमति न देने संबंधी	(8)10
(ii) निलंबित सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल को प्रवेश की अनुमति न देने संबंधी।	(8)11
सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल तथा छतर पाल सिंह के निलंबन को रद्द करने की अनुमति न दिए जाने/निलंबित सदस्यों को प्रवेश न करने संबंधी प्रशासकीय आदेश की प्रति देना/हरियाणा विधान सभा सचिवालय परिसर की सीमा/पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी मामला उठाना	(8)11
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	
चौधरी बंसी लाल द्वारा	(8)22

मूल्य : 50 00

सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल तथा छतर पाल सिंह के निलंबन को रद्द करने की अनुमति न दिए जाने/निलंबित सदस्यों को प्रवेश न करने संबंधी प्रशासकीय आदेश की प्रति देना/हरियाणा विधान सभा सचिवालय परिसर की सीमा/पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी मामला उठाना (पुनरारम्भ) (8)23

वैयक्तिक स्पष्टीकरण —

चौधरी बंसी लाल द्वारा (8)25

सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल तथा छतर पाल सिंह के निलंबन को रद्द करने की अनुमति न दिए जाने/निलंबित सदस्यों को प्रवेश न करने संबंधी प्रशासकीय आदेश की प्रति देना/हरियाणा विधान सभा सचिवालय परिसर की सीमा/पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी मामला उठाना (पुनरारम्भ) (8)25

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव —

बाढ़ राहत इत्यादि देने संबंधी

वक्तव्य-- (8)31

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश करना। (8)31

समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना — (3)40

(i) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 41वीं रिपोर्ट

(ii) कमेटी ऑन दि वैलफेयर ऑफ शिडयूल्ड कास्ट्स एंड शिडयूल्ड ट्राईब्ज की 21वीं रिपोर्ट (8)41

(iii) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 28वीं रिपोर्ट (8)42

(iv) गवर्नमैंट ऐश्योरैंसिज कमेटी की 27वीं रिपोर्ट (8)42

वर्ष 1996-97 के बजट पर सामान्य चर्चा (8)42

वाक आउट (8)42

वर्ष 1996-97 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (8)43

वर्ष 1996-97 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (8)49

बैठक का समय बढ़ाना (8)54

वर्ष 1996-97 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) (8)54

बैठक का समय बढ़ाना (8)56

वर्ष 1996-97 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) (8)56

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 7 मार्च, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9-30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble members, the question hour.

Desilting of Canals/Minors in the State

***1252 Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Minister of Irrigation be pleased to state, the districtwise total length of Canals/Minors desilted during the year, 1995-96 in the State ?

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) **:** The districtwise total length of canals/minors desilted during the year, 1995-96 in the State is given in the attached statement (Annexure -`A')

Annexure -`A'

Sr.No.	Name of Districts	Length desilted (in Kms.)
1.	Karnal	140.83
2.	Jind	722.61
3.	Bhiwani	578.64
4.	Hisar	1487.18
5.	Rohtak	353.77
6.	Ambala	3.09
7.	Kurukshetra	28.43
8.	Kaithal	494.32
9.	Rewari	32.49
10.	Mohindergarh	23.85
11.	Panipat	164.94
12.	Sonepat	112.29
13.	Faridabad	40.52
14.	Gurgaon	69.58
15.	Yamuna Nagar	—
16.	Sirsa	1085.40
17.	Delhi	37.31
	Grand Total =	5375.25

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, सिंचाई मन्त्री जी ने बताया कि जिला सिरसा में 1085.40 कि०मी० लम्बाई की नहरों की डि-सिल्टिंग हुई; हिसार में 1487.18 कि०मी० की हुई। सिरसा जिला मन्त्री जी का अपना जिला है और हिसार मुख्य मन्त्री जी का जिला है इसलिए दोनों जिलों की नहरों की सबसे ज्यादा सफाई हुई है। दोनों जिलों की नहरों की लंबाई 2572.58 कि०मी० बनती है। बाकी सारे हरियाणा की नहरों की उतनी सफाई नहीं की गई जितनी इन दो जिलों की की गई है। यह हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन है और पोलिटीकल आधार पर नहरों की सफाई करवाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि नहरों की सफाई का क्या क्राइटेरिया है तथा दूसरे जिलों को इस बारे में क्यों इग्नोर किया गया। हम पिछले पाँच साल से इसी सदन में यह माँग करते आ रहे हैं कि बाढ़ से बचने के लिए नहरों की सफाई होनी चाहिए। सफाई न होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुँचता। इसी वजह से 1995 में फ्लड से जो नुकसान हुआ वह सरकार की देन है। हमारे इलाके की झज्जर सब ब्राँच की सफाई नहीं करवाई गई। उसमें चार-चार और पाँच-पाँच फुट गाद पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : बेरी साहब, आप सवाल पूछिए।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : सर मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। इस सरकार ने बहुत घपला कर दिया। इस ने कागजों में सफाई दिखा दी और असल में यह नहीं हुई है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि रोहतक और भिवानी जिलों को क्यों इग्नोर किया गया। वहाँ पर नहरों में पाँच-पाँच और छः-छः फुट मिट्टी जमी पड़ी है उनकी सफाई क्यों नहीं करवाई गई। इनकी सफाई न होने की वजह से लिफ्ट स्कीम के जरिए लोहारू कैनाल में पानी नहीं डाला जा सका। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि रोहतक और भिवानी जिलों की कौन-कौन सी नहर की कितनी-कितनी सफाई करवाई गई ?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मेरे ख्याल में फोबिया हो गया है। ये बार-बार कह रहे हैं कि डिसक्रिमिनेशन हुआ है। जिला हिसार में ज्यादा सफाई का कारण यह है कि जिला हिसार की लैंथ और जिलों से बहुत ज्यादा है इसलिए रेशो के हिसाब से काम हुआ है। हिसार जिले की नहरों की लैंथ 2318 कि०मी० है इसलिए आधी लैंथ में कार्य किया गया तो इसमें डिसक्रिमिनेशन वाली क्या बात है। इसी तरह से सिरसा जिला नम्बर दो पर आता है। तो इनका यह कहना कि दूसरे जिलों की कम सफाई क्यों करवाई गई, यह गलत बात है। हमने हर जिले में नहरों की लैंथ के हिसाब से सफाई कराई है। हमने भिवानी में 578 कि०मी० लम्बी नहरों की सफाई करवाई, रोहतक में 353 कि०मी० की करवाई। तो यह कहना कि रोहतक और भिवानी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है यह ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि बहुत से माइनर्ज की लैंथ ज्यादा है और उनमें टेल एंड भी है। इसलिए हमने उसी ढंग से सफाई करवाई है। इसमें डिसक्रिमिनेशन वाली कोई बात नहीं है। दूसरा इनका सवाल है कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन से माइनर्ज की सफाई करवाई गई। स्पीकर साहब, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में टोटल 92 माइनर्ज हैं। जिनमें से 35 माइनर्ज की सफाई कराई गई। जिस माइनर में घास ज्यादा थी या रेत ज्यादा थी उसकी आर०डी० के मुताबिक सफाई कराई गई। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जिन माइनर्ज की सफाई कराई गई वह मैं बता देता हूँ। टिटोली माइनर, खरका माइनर, चिड़ी माइनर, मोखरा माइनर, बनवासा माइनर, बैंसी माइनर, मदीना माइनर, निढाणा माइनर, महम माइनर, बहादुरगढ़ माइनर, झोंसा माइनर, भूणा माजरा माइनर, दुबलधन माइनर, जंगीरपुर माइनर, बिराना माइनर, दधाना माइनर, दिवाना माइनर, बाकरा माइनर, सिवाना माइनर, सिकन्दरपुर माइनर, और भरतपुर माइनर। इनके अलावा झज्जर एरिया में एस०एल०सी० की भी सफाई कराई गई। माइनर्ज की डीसिल्टिंग के लिए हमने एक कम्पेन कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में कुछ मिनिस्टर्ज, कुछ

एम०एल०एज० और कुछ आफिसर्ज थे उन्होंने यह चैकिंग भी की थी कि किस-किस माइनर में डीसिल्टिंग की दिक्कत है और कहाँ-कहाँ पर डीसिल्टिंग नहीं हुई है। डीसिल्टिंग के बारे में कहाँ-कहाँ से शिकायत आई इस बारे में उन्होंने पूरी चैकिंग की। हमने बाकायदा डीसिल्टिंग की समस्या के बारे में डी०सीज० को चिट्ठी भी लिखी और लोकल एम०एल०एज० को भी चिट्ठी लिखी थी। जो कम्पेन कमेटी बनी थी वह 1993 में बनी थी। उस कमेटी ने मौके पर जा-जा करके चैक किया है कि डीसिल्टिंग का काम हुआ है या नहीं। इसके अलावा रेवेन्यू केसिज के बारे में जिन ओफिशियल्ज की शिकायत है, डीसिल्टिंग के लिए जितने पैंडिंग केस हैं उनके बारे में भी जिलेदार से ले कर एस०ई० तक हमारे नोटिस में कोई भी ऐसी बात नहीं आई जहाँ कहा हो कि यहाँ की माइनर की डीसिल्टिंग नहीं हुई हो।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, हिसार और सिरसा जिलों में जो पानी जाता है वह भाखड़ा नहर का जाता है और भाखड़ा नहर के पानी में सिल्ट नहीं होती है। लेकिन जो यमुना नदी का पानी है उसमें बहुत ज्यादा सिल्ट होती है इसलिए बेरी साहब ने इनके ऊपर जो आरोप लगाया है वह सही है। भिवानी, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिलों में यमुना नदी का पानी जाता है और उसमें सिल्ट बहुत अधिक मात्रा में होती है। सरकार माइनर्ज की सफाई का काम राजनैतिक आधार पर करवा रही है क्योंकि सिरसा जिला सिंचाई मंत्री जी का अपना जिला है और हिसार जिला मुख्य मंत्री जी का अपना जिला है। इसलिए इन जिलों में नहरों की सफाई का काम ज्यादा किया गया है। मैं और लाला राम भजन अग्रवाल मंत्री महोदय से मिले थे और हमने इनको बताया था कि भिवानी जिले की लोहारू हल्के की माइनर्ज, लोहारू हल्के की माइनर्ज, लोहारू का हल्का जो महेन्द्रगढ़ जिले में पड़ता है तथा सतनाली का एरिया, वहाँ की माइनर्ज ऐसी है जिनके ऊपर पुल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे सारी की सारी माइनर्ज मिट्टी से अटी पड़ी हैं। लोग पैदल उन के ऊपर से बिना पुल के ही निकल जाते हैं। उन इलाकों की नहरों की सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहरों की सफाई न होने के कारण ही बाढ़ आई थी। इस सरकार ने नहरों की सफाई का काम राजनैतिक आधार पर किया है। मैं इन से पूछना चाहता हूँ कि भिवानी जिले में, महेन्द्रगढ़ जिले में और दूसरे जिलों में किलोमीटर तो बता दिए लेकिन यह नहीं बताया कि कितना रुपया खर्च हुआ है। कृपया ये बताएं कि महेन्द्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार में कितना पैसा खर्च हुआ है। यह सरकार शुरु से ही दक्षिण हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करती आ रही है। कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना पैसा खर्च हुआ है ?

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इन्होंने बोलते हुए एक बात और कह दी कि यह सरकार दक्षिण हरियाणा के साथ भेद भाव कर रही है, ऐसी भेद भाव वाली सरकार की कोई नीति नहीं है। इनकी यह बात तो ठीक है कि भाखड़ा का जो पानी आता है उसमें सिल्ट कम होती है और यमुना नदी के पानी में ज्यादा सिल्ट होती है। वहाँ पर जो ज्यादा काम हुआ है उस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हिसार सिरसा में भाखड़ा का पानी जाता है वहाँ पर जो नहरें गई हैं वे अधिकतर कच्ची हैं और अभी पक्की की जा रही हैं। इस कारण वहाँ पर सिल्ट अधिक हो जाती है। इस तरफ जहाँ पर यमुना नदी का पानी जाता है वहाँ पर नहरें पक्की हैं। इसलिए दोनों जगहों का यह प्लस मायनस प्वाइंट है। दूसरे इन्होंने यह भी कहा कि इनके एरिया में नहर का और पुल का पता नहीं चलता। यह हम मानते हैं कि जून-जुलाई के महीने में तेज आँधियाँ चलने की वजह से कुछ एरिया में ऐसा हो जाता है। यह एरिया राजस्थान के साथ लगता है और आँधी या तेज हवा के कारण ऐसा हो जाता है। (विघ्न) यह कहना कि सिरसा का एरिया भी राजस्थान के साथ लगता है, इस बारे में मेरा कहना यह है कि राजस्थान कैनाल 1800 क्यूसिक्स की है और इस नहर

[श्री जगदीश नेहरा]

की वजह से जैसलमेर का एरिया भी अच्छा हो गया है और हमारे यहाँ पर सेम की समस्या हो गयी है। सरकार सारी बातों का ध्यान रखती है। एक इन्होंने यह पूछा कि कितना-कितना पैसा खर्च हुआ है, वह मैं अनैक्श्चर में बता चुका हूँ। 1995-96 की पोजीशन भी बता देता हूँ। हिसार में 2318 किलोमीटर में काम होना था इसमें से 1487 किलोमीटर में काम हुआ है। रोहतक में 1199 किलोमीटर में काम होना था इसमें से 353कि०मी० में काम हुआ है। सिरसा में 1299 कि०मी० में काम होना था इसमें से 1085 कि०मी० में काम हुआ है। भिवानी में 1800 कि०मी० में काम होना था इसमें से 600 कि०मी० में काम हुआ है। जिस हिसाब से काम हुआ है उसी हिसाब से यहाँ पर पैसा खर्च हुआ है। 1995-96 में हिसार मण्डल में 15 लाख रुपये खर्च हुए, सिरसा में 49 लाख रुपये, कैथल में 44 लाख रुपये, भिवानी में 33 लाख रुपये, रोहतक में 22.94 लाख रुपये खर्च हुए। इसी तरह से जींद में 17 लाख रुपये खर्च हुए हैं, दिल्ली में 18 लाख 10 हज़ार, फरीदाबाद में 11 लाख रुपये खर्च हुए हैं। स्पीकर सर, इसी तरह से वर्ष 1994-95 में हिसार में 31 लाख, सिरसा में 24 लाख, कैथल में 30 लाख, भिवानी में 51 लाख, रोहतक में 47 लाख रुपये खर्च हुए हैं। वर्ष 1993-94 में स्पीकर सर, हिसार न०-1 में 15 लाख, सिरसा में 14 लाख, भिवानी में 16 लाख, रोहतक में 27 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। स्पीकर सर, कोई ऐसी बात नहीं है कि भिवानी जिले के साथ कोई भेदभाव का बर्ताव किया गया है। इसी तरह से जहाँ तक बाढ़ का ताल्लुक है, वह भी इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस सरकार ने लोगों की इतनी अधिक मदद की है कि इससे पहले कभी नहीं की गई। बाढ़ आने का कारण अत्याधिक बारिश होना है। हरियाणा में करीब 300-400 मिली मीटर वर्षा होती है लेकिन इस साल 1300-1400 मिली मीटर बारिश हो गई। यमुना और घग्गर का पानी ओवर फ्लो कर गया और पंजाब से भी एस०वाई०एल० का पानी बहुत ज्यादा आ गया और भिवानी और रोहतक में डाउन स्ट्रीम में चला गया जिसको निकालने के लिए जोरों शोरों से काम हुआ और लोगों को पूरी राहत दी गई। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसके लिए इतना अधिक पैसा लोगों को राहत के रूप में दिया गया है जिसका कि अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। जितनी राहत इस सरकार ने बाढ़ के लिए दी है इससे पहले कभी नहीं दी गई और शायद भविष्य में भी कोई नहीं दे सकेगा।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि नहरों की जो गाद निकाली जाती है क्या वह पूरी निकाली जाती है। मैंने उस दिन इनको टैलीफोन किया था लेकिन ये मिल नहीं पाए, मुख्य मन्त्री जी से मैंने बात की थी। क्या डिपार्टमैंट को ऐसा कहा गया है कि वे 9 इंच नीचे से गाद न निकालें। मन्त्री महोदय से मैं यह जानकारी चाहती हूँ कि जो गाद निकाली जाती है क्या उसको चैक भी किया जाता है कि यह नहर में से 9 इंच तक छोड़ी है या कहीं इस से ज्यादा फुट-फुट या दो-दो फुट गाद नहीं छोड़ दी जाती। नहरें गाद से भरी रहती हैं और उनमें बेल सी भी उग आती हैं क्या कभी इन्होंने उसको चैक किया है और जो गाद निकालते हैं क्या कोई पैमाना है जिससे उसको नापा जा सके कि कितनी गाद निकाली गई है और कितनी रह गई। क्या मन्त्री जी ने स्वयं कभी इन नहरों को चैक किया है ?

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि जो गाद निकलवाई जाती है उसका बाकायदा हाईड्रोलिक सर्वे करवाया जाता है। जो गाद निकाली जाती है उसको नहर में से निकाल कर बाहर रखते जाते हैं और बाकायदा उसको नापा जाता है कि कितनी गाद निकाली है और उसका हाईड्रोलिक सर्वे करवाने के बाद ही गाद निकलवाने की पेमैंट की जाती है। जो मिट्टी नहर

में से निकाली जाती है और जो बाहर पड़ी हुई होती है उसमें निश्चित् रूप से अन्तर होता है और जो मिट्टी निकाली जाती है विजिलैंस वाले बाकायदा उसका निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद कितने क्यूबिक फुट मिट्टी निकाली गई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पेमैन्ट की जाती है वैसे नहीं। डी-बीडिंग और डि-सिल्टिंग होती है और उस वक्त जो भी बेल या कोई अन्य पौधा या दरखत बगैरा होता है उसकी पूरी सफाई करवाई जाती है।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात मन्त्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो गाद निकाली जाती है मैंने सुना है कि उसको बेचा जाता है और उसकी नीलामी की जाती है। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो गाद निकाली गई है क्या उसको नपवाया गया है और क्या उसकी नीलामी की गई है ?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, गाद की नीलामी वाली कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है लेकिन जहाँ तक गाद को नपवाने का ताल्लुक है, मैंने पहले भी बताया है कि उसका हाईड्रोलिक सर्वे करवाया जाता है। नहर में से गाद निकाल कर बाहर डाली जाती है। नहर के अन्दर की मिट्टी और जो मिट्टी बाहर होती है उसमें काफी अन्तर होता है। हाईड्रोलिक सर्वे करके बाकायदा उसकी चैकिंग भी होती है। भाखड़ा और यमुना के 15 सर्कल हैं और इसके लिए भी 15 आफिसर्ज, 15 एम०एल०एज०/मिनिस्टर या दूसरे आफिसर्ज लगाए हुए हैं जो कि इनको देखते हैं और अपने एरिये में भी चैक करते हैं।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब ने काफी आंकड़े यहाँ पर बता दिए हैं अब ये यह भी बता दें कि दामोदर और बहादुरगढ़ में कितनी गाद निकली है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर तो माईनर लगती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत घास खड़ा है, वे माईनर्ज जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं। वहाँ से कोई गाद नहीं निकाली गई है, न ही वहाँ पर सफाई हुई है ?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके साथ 2-3 बार गया हूँ और वहाँ पर कई जगह तो सफाई हो गई थी और कुछेक जगह नहीं हुई थी। जहाँ पर सफाई हुई थी केवल वहीं की पेमैन्ट की गई है। लेकिन जहाँ पर सफाई नहीं हुई है वहाँ की पेमैन्ट नहीं की गई है। हमने काफी चैनलज़ की सफाई करवाई है जो बहादुरगढ़ तक जाते हैं। इस बारे में इनको भी पता है कि बहादुरगढ़ में बाढ़ नहीं आई और वहाँ कोई नुक्सान नहीं हुआ है। वहाँ पर सफाई भी की गई है अब कोई इस बारे में न माने तो हम क्या कर सकते हैं। अब रोहतक में 35 चैनलज की सफाई की गई है। वहां पर पानी चलता रहता है। 1992 में मुख्य मंत्री जी ने वहाँ पर सफाई करवाई है। अब हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि केवल वहीं पर सफाई करवाते रहें।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बताएं कि क्या दामोदर और बहादुरगढ़ में सफाई हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई है वहाँ पर घास उगी हुई है। इस सब के बावजूद वहाँ पर पेमैन्ट की गई है। जब वहां पर सफाई ही नहीं हुई तो पेमैन्ट किस चीज की की है।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, दामोदर में 3,379 हजार फुट की सफाई करवाई है। उस चैनल की कितनी लैंथ है यह तो मुझे पता नहीं है अगर यह चैनल 50 आर०डी० तक है तो हमने 30 आर०डी० तक इसकी सफाई करवाई है। जहाँ तक दामोदर में पैसे के बारे में कहा है उसको हम चैक करवा लेंगे।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, दामोदर माईनर बिल्कुल टूट गई है, वहाँ पर घास भी बहुत है। वह माईनर ही नहीं लगती है।

श्री जगदीश नेहरा : इसको भी हम चैक करवा लेंगे।

श्री किताब सिंह : अध्यक्ष महोदय, जगदीश नेहरा साहब ने जिलावार गाद निकालने के बारे में बताया है तो इन्हें सभी जगहों के बारे में बताना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पर कितनी घनफुट गाद निकली है। दूसरे ये माईनर/चैनल के बारे में जिला वाईज बताएं।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, जैसा किताब सिंह जी ने अपनी किताब खोलकर बताया कि चैनल्ज जिलेवाइज होते हैं। सर, मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो यह माईनर्ज होते हैं यह जिलेवाईज नहीं होते बल्कि यह सर्कलवाईज होते हैं। जिले तो 17 हैं जबकि सर्कल 15 हैं। जहाँ तक इन्होंने यह जानना चाहा कि कितने घनफुट गाद निकाली गयी तो सर, इस बारे में मैं इस समय नहीं कह सकता क्योंकि इस समय तो मेरे पास केवल यही जानकारी है कि कितने पैसे खर्च किए गए और कितने किलोमीटर सफाई करवायी गयी। लेकिन कितने घनफुट गाद निकाली गयी इसके बारे में इन को चैक करके जवाब लिखकर भेज दूँगा।

श्री अजमत खाँ : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि फरीदाबाद जिले में किस-किस माईनर की सफाई करवायी गई है ? इसके अलावा ये यह भी बताएं कि क्या गुड़गाँव कैनाल के हैड की भी सफाई करवायी गयी है या नहीं ? और अगर सफाई नहीं करवायी गयी है तो फिर उस हैड से पानी कैसे निकलेगा। सरकार उस हैड की सफाई कब तक करवाने का इरादा रखती है ताकि गुड़गाँव माईनर में पानी सही तरह से जा सके।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इनकी बात ठीक है कि जो गुड़गाँव माईनर है उसके हैड की सफाई नहीं की गयी है। ये स्वयं भी उसको चैक करके आए हैं तथा मैम्बर्ज की कमेटी भी वहाँ पर गयी थी और उसने भी उसको चैक किया है। गुड़गाँव कैनाल में उसकी पूरी कैपेसिटी के मुताबिक पानी नहीं चलता क्योंकि ऊपर से पानी करीब चार सौ क्यूसिक छोड़ा जाता है जबकि उसमें पानी केवल 300 क्यूसिक ही जाता है। इसके साथ ही उसमें कई जगहों पर लिफ्ट भी हैं तथा इसमें जो पानी निकलने का अप टू डेट मार्ग होना चाहिए वह नहीं हुआ है सर, यह बात इनकी ठीक है। लेकिन सरकार इसको भी अप टू डेट कराने की सोच रही है।

श्री पीर चन्द : स्पीकर साहब, जैसे सरकार ने बाढ़ रोकने के लिए इंतजाम किया ताकि फिर बाढ़ न आ सके तो यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप के द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जाखल के पास और रतिया के साथ-साथ जो घग्गर नदी चलती है उसी के पास एक रंगोई नाला है जो कि हर साल 15-16 गाँवों को तबाह करता है। क्या सरकार इस नाले की भी पूरी खुदाई करवाने का प्रबन्ध करेगी ताकि जो 15-16 गाँव हर साल इस की वजह से डूबते हैं और वहाँ पर फसल नष्ट हो जाती है वह न हो सके।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, पिछले साल भी इस रंगोई नाले को स्ट्रैन्थन किया गया है। यह भी एक डिस्ट्रिब्यूटरी है। यह एक तरफ से आकर घग्गर नदी में गिर जाता है तथा जो वहाँ पर बीच में गाँव हैं उनमें इसकी वजह से दिक्कत आती है। सरकार इन की इस दिक्कत को भी हल करेगी।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, जैसे सिंचाई मंत्री ने रोहतक जिले में बहुत सी नहरों के नाम गिनाए हैं तो मैं इनकी इस बात को चैलेंज करता हूँ और चौधरी सूरजमल जी ने जो बातें कहीं हैं उनको

मैं स्पोर्ट करता हूँ कि कागजात में तो बेशक इन नहरों की सफाई दिखा दी गयी हो लेकिन वास्तव में इनकी सफाई नहीं करवायी गयी है। तो क्या मंत्री जी इस हाउस में यह ऐश्योर करेंगे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ-जहाँ पर भी डिसिल्टिंग का काम हुआ है उसको चैक करवाने के लिए यह एक हाउस की कमेटी बनवाएंगे ताकि वह कमेटी इस बारे में अपनी रिपोर्ट कर सके कि कितना-कितना काम इस बारे में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे इलाके में सबसे बड़ी नहर झज्जर सब ब्रान्च है और इसमें से बहुत माईनर निकाले गए हैं लेकिन उसकी सफाई नहीं करवाई गयी जिसकी वजह से आज उसकी कैपेसिटी आधी से भी कम हो गई है। स्पीकर सर, टेल पर पानी जाने की बात तो छोड़िए बाकरा हैड के बाद उस नहर में भी पानी सरकार नहीं छोड़ती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि झज्जर सब ब्रान्च की एक बहुत ही लम्बे अरसे से सफाई क्यों नहीं करवायी गयी है। क्या इसकी सफाई न करवाने के कुछ पोलिटिकल कारण हैं या और कोई कारण हैं। कृपा करके मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, ऐसा कारण कोई नहीं है न ही पोलिटिकल कारण है। इसका कारण ऐडमिनिस्ट्रेटिव ही है। सर, झज्जर सब ब्रान्च और जे०एल०एन० साथ-साथ चलती हैं। इनकी यह बात दुरूस्त है कि उसकी सफाई नहीं हुई है लेकिन सरकार ने इस बार उसकी सफाई करवाने का प्रावधान किया है और करीब बीस करोड़ रुपये डब्ल्यू०आर०सी०पी० में इसके लिए रखे हैं ताकि हम उसको पक्का 10.00 बजे कर सकें। पहले यह था कि इसको पूरे को खत्म कर दें और जे०एल०एन० से कनैक्शन करवाएँ लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि काफी दूर तक इसको पक्का किया जाएगा। आर०डी० का मुझे पता नहीं है क्योंकि यह क्वैश्चन से संबंधित बात नहीं है। आधे से ज्यादा जो चैनल हैं उनको पक्का करने और उससे आगे जो माईनर हैं उनको जे०एल०एन० से फीड कर रहे हैं। उनका कनैक्शन गया भी था। एक-दो जगह कनैक्शन भी दिया गया है इसमें पोलिटिकल कारण नहीं है। बेरी साहब का दूसरा सवाल यह है कि क्या इसकी इंक्वयारी करवाएंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि ये लिख कर दें कि फलाँ-फलाँ चैनल पर काम नहीं हुआ तो उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। जैसा मैंने अर्ज किया कि हमने इसी बात के लिए एक कमेटी सन् 1993 में बनाई थी जो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के जो रैवैन्यू केसिज हैं उनको रिव्यू करेगी। 'काडा' और एम०आई०टी.सी०, माईनर, वाटर कोर्सिज और ट्यूबवैल्ज का जायजा लेगी और किसानों की ग्रीवैंसीज को सुनेगी और जो आफिसर्ज की परफौरमैंस है, उसे देखेगी। इसमें 15 सर्कल हैं और इन 15 सर्कलों के अलग-अलग इन्चार्ज बनाए गए हैं। जैसे हिसार सर्कल का इन्चार्ज मैं, कुरुक्षेत्र के बीरेन्द्र सिंह जी, कैप्टन अजय सिंह जी नारनोल, वचन सिंह आर्य करनाल के, लीलाकृष्ण जी हिसार के, मोहम्मद इलियास फरीदाबाद के व सूरज भान काजल भिवानी के थे, मनीराम केहरवाला जी रिवाड़ी के थे और फूसाराम जी रोहतक के थे, अमीर चंद मक्कड़ भिवानी के थे, राजेन्द्र सिंह विसला जी यमुनानगर के, चन्द्रमोहन जी अम्बाला के व डा० महा सिंह दिल्ली के थे। विष्णु भगवान जो हमारे एफ०सी०आई० एंड पी० हैं, वे सिरसा के थे। कैथल से रितु राम थे। इस कमेटी के बनाने का मतलब यही था कि सभी एरियाज में मिनिस्टर नहीं जा सकते। हमारा मतलब है कि कहीं कुछ कमी रह सकती है। वह कमी न रहे इसलिए हर सर्कल के अलग-अलग इन्चार्ज बनाए। वे जाकर देखेंगे, आफिसर्ज के काम को चैक करेंगे, डीसिलटिंग को चैक करेंगे। एम०आई०टी०सी० और 'काडा' का काम ये देखेंगे। इन सबने जा-जा कर चैक किया है और बाकायदा अपनी रिपोर्ट दी है। ओम प्रकाश बेरी जी का यह कहना कि काम नहीं हुआ, यह तो इनकी आदत है इससे ये पोलिटिकल गेन लेना चाहते हैं। ये इसी बात के लिए कांग्रेस से अलग हुए कि मैं हिसार और सिरसा का नाम ले लेकर रोहतक में अपनी पोजिशन बनाऊँ लेकिन इससे इनकी पोजिशन नहीं बनेगी। सरकार का कोई भेदभाव करने का मतलब नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जो पोलिटिकल माईलेज लेने की बात कह रहे हैं ये शब्द कार्यवाही से निकाले जाएं। कार्यवाही में यह बात नहीं आनी चाहिए। कार्यवाही में सवाल का जवाब ही आना चाहिए। इस प्रकार ये भी तो पोलिटिकल माईलेज लेने के लिए कर रहे हैं। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, भेदभाव वाली बात बेरी साहब ने ही कही थी। जगदीश नेहरा जी ने उनकी बात का जवाब ही दिया है, इन्होंने ठीक जवाब दिया है।

Misappropriation/Embezzlement of Panchayats Funds

*** 1282. Shri Kitab Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has received any complaint in regard to the mis-appropriation/ embezzlement in Panchayats funds in the State particularly of the village Shekhupura jagir in district Karnal during the years 1994-95 and 1995-96; and

(b) if so, whether any inquiry has been conducted into the matter as reffered to in part (a) above, togetherwith the details thereof ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी हाँ।

(ख) जिला करनाल के गाँव शेखुपुरा जागीर में पंचायत निधि के दुर्विनियोग/गबन के बारे में शिकायत की जाँच चौकसी विभाग से करवाई गई थी और श्री दया सिंह तत्कालीन सरपंच से पंचायत को हुई हानी वसूल कर ली गई है। राज्य में इस प्रकार की अन्य शिकायतों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है, जिसमें समय लगने की सम्भावना है।

श्री किताब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि यह जो पंचायत को हानि हुई, यह किन-किन कार्यों से हुई। किन-किन तारीखों में यह रकम वसूल की जा चुकी है। 1994-95 और 1995-96 की कितनी रिपोर्ट इनके पास हैं और कहाँ-कहाँ की रिकवरी करवाई गई है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दया सिंह सरपंच के विरूद्ध नौ तरह के इलजाम लगाये गये हैं कि उसने फलाँ काम करवाया उसमें गड़बड़ की। स्कूल की बिल्डिंग बनवाई तो उसमें ईंटें कम लगवाई। इस तरह की अलग-अलग नौ तरह की शिकायतें इस सरपंच के विरूद्ध आई हैं। शिकायतों के साथ आग्रह किया गया कि तीन-चार दिनों में चौकसी विभाग से इसकी ओपन जाँच होनी चाहिए। चौकसी विभाग ने बाकायदा इस के खिलाफ जाँच की तथा जाँच करने के बाद इन नौ आरोपों में से दो आरोपों में कमी पाई गई। पहले नम्बर पर आरोप था कि दयानंद सरपंच ने स्कूल की इमारत दोबारा बनवाई तथा इस पर इलजाम था कि इस में सिमेंट पूरी नहीं लगाई। जाँच टैक्नीकल लोगों के द्वारा करवाई गयी। टैक्नीकल कमेटी ने पाया कि इस सरपंच से तीन सीमेंट के कट्टों की राशि जमा करवाई जाये जो कि साढ़े चार सौ रुपये बनती है। इस सरपंच ने वह राशि जमा करवा दी है। इस सरपंच ने कैश-इन-हैंड कितना रखा उसके बारे में विजिलैंस विभाग ने जाँच की तथा उसमें जो ब्याज सरपंच से वसूला जाना था वह भी वसूल कर लिया गया है। सरपंच अपने पास कुल राशि दो हजार रुपये कैश इन हैंड रख सकता है। अगर कहीं काम चालू है तो उस समय तो पन्द्रह हजार से बीस हजार रुपये तक पैसा निकलवा सकता है लेकिन कैश-इन-हैंड में

जब बैलेंस शीट बनती है, उस समय सरपंच के पास दो हजार रुपये से ज्यादा की राशि नहीं रहनी चाहिए। इस सरपंच के पास सितम्बर,1992 में 5679 रुपये और नवम्बर तथा दिसम्बर 1992 में 9297 रुपये रहे हैं। विजिलैंस विभाग ने सिफारिश की कि इस सरपंच से ब्याज की राशि 1100 रुपये वसूल की जाये। जो भी राशि ब्याज के रूप में बनती थी, वह सरपंच ने जमा करवा दी है।

Strengthening of the Embankment of Canal

***1286 Shri Mani Ram Keharwala :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

a) whether the work of strengthening the embankment of the canals is being done to check the flood in the State; and

b) whether the embankment of Ghaggar from Ottu to Kariwala is also being strengthened; if so, the details thereof ?

सिंचाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) :

(क) जी हां, बाढ़ को रोकने हेतु जहां-जहां पर आवश्यक है, नहरों के किनारों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ख) जी हां, ओटु हैड से आगे की ओर ग्राम करीवाला तक तथा आगे राजस्थान फीडर तक घग्गर नदी के किनारों को मजबूत किया जा रहा है।

श्री मनीराम केहरवाला : स्पीकर सर, ओटू नहर पर पिछली सरकार के समय में दस-पन्द्रह साल पहले बाँध बनाने का काम शुरू किया था। बदकिस्मती से उस समय हरियाणा में वह सरकार थी जिसकी सामने सीटें खाली पड़ी हैं। उन लोगों के तो सारे मिट्टी, पत्थर हज्म हो जाते थे। सारे हरियाणा का पानी इस बाँध से ही निकलता रहा है और अब भी निकलता है। पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी ने सिरसा व 15-20 गाँवों का हर साल फ्लड से जो नुकसान होता था, उसका इंतजाम भी बड़े अच्छे तरीके से शुरू करवाया। उस इलाके में उस बाँध में से निकलकर पानी फैल जाता था इसलिए उस बाँध को नई मिट्टी डलवाकर तथा उसकी सफाई करवाकर दोबारा पक्का किया जाए। राजस्थान के बोर्डर का इलाका कुछ हमारे साथ लगता है। वहाँ पर दरख्त नहीं हैं, वहाँ बिल्कुल साफ इलाका है और वहाँ पर रात को किसान पहरा दे सकते हैं। मैं सुजैशनज भी दे रहा हूँ और ऐश्योरैंस भी चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जो ओटू से करीवाला तक का इलाका है जहाँ बाँध पर मिट्टी की कमी है, वहाँ मिट्टी दोबारा डलवाई जाये तथा जहाँ दरख्त खड़े हैं उनको कटवाया जाये, ऐसा मैं मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इनका जो सवाल था, उसके मुताबिक तो ओटू डाउन स्ट्रीम में राजस्थान तक जो बाँध था, वह कुछ कमजोर था, उसको इस बार मजबूत कर दिया गया है। उस बाँध के लैफ्ट हैंड साईड में बुढाभिया थेड़ है, उसके कमजोर होने के कारण ऐलनाबाद भी घग्गर के पानी से डूब गया था। लेकिन अब इस थेड़ को मजबूत करने के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन इनका सवाल इस बात से अलग है। वहाँ पर बराबर में अप-स्ट्रीम में और बाँध बनेंगे तो पानी और बढ़ेगा और वह थोड़ी जगह में चलेगा। उसको स्ट्रैंथन करने की बात है। स्पीकर साहब, वहाँ तो प्रावधान इसलिए नहीं किया गया कि ओटू में जो सिरसा-भटिंडा रेलवे क्रासिंग है, उसके अप-स्ट्रीम में अरोड़ा साहब ने मुख्यमंत्री जी से कह कर एक बाँध मंजूर करवाया है। उस बाँध को पंजाब बोर्डर तक बाँधने की बात है। उसके बाद उसको स्ट्रैंथन

[श्री जगदीश नेहरा]

करेंगे। इनका दूसरा मकसूद यह है कि उसमें वन विभाग ने कीकर लगा दी हैं, जिनके कारण उसकी सफाई नहीं है। मैं वहाँ मौके पर गया था, अरोड़ा साहब भी गए थे, हम सारे जाते रहें है। यह ठीक बात है कि उन कीकरों की बजह से वहाँ पर पानी की लीकेज होती है। पानी लीकेज होने की बजह से बाँध के टूटने का खतरा बना रहता है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था और मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में एक मीटिंग लेनी थी। लेकिन वे किसी कारणवश वह मीटिंग नहीं ले सके। वह मीटिंग मैंने व वन मंत्री ने संयुक्त रूप से ली। उस मीटिंग में जहां-जहां कीकरों से पानी लीकेज होने की दिक्कत है, उन कीकरों को काटने की बात कही। उन कीकरों को काटने के बारे में वन विभाग से एप्रूवल आने के बाद ही इस मामले को सरकार पूरी तरह से हल करने की कोशिश करेगी। (विघ्न)

Mr. Speaker : Questions hour is over.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

(i) श्री ओम प्रकाश जिन्दल द्वारा

श्री ओम प्रकाश जिन्दल : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सपलेनेशन के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। इस सदन के माननीय सदस्य श्री राम रतन जी ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने राज्य सभा के चुनाव के लिए माननीय करण सिंह दलाल जी को कोई पैसा दिया है या उन्होंने मेरे से रुपया मांगा है। यह आरोप निराधार व असत्य है।

(ii) श्री राम रतन द्वारा

श्री राम रतन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने श्री दलाल का नाम नहीं लिया। मैंने प्रताप सिंह ठाकरान का नाम लिया है। मैंने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। प्रताप सिंह ठाकरान को पैसा देकर के मेरे घर भेजा गया था। मैं रिज़ाईन देने के लिए तैयार हूँ, अगर यह गलत साबित हो जाए। मैं शपथ से कह रहा हूँ कि अभी हाऊस में रिजाईन दे दूँगा। (शोर) 3 बार प्रताप सिंह ठाकरान गुड़गाँव वाले को अटेची में पैसा देकर के श्री ओमप्रकाश जिंदल ने मेरे घर भेजा। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं—

(i) निलम्बित सदस्य प्रो० छत्तर पाल सिंह को प्रवेश की अनुमति न देने संबंधी।

Mr. Speaker : As Shri Chhattar Pal Singh, MLA was suspended on a motion moved by the Parliamentry Affairs Minister and approved by the House on 1st March, 1996 for remainder of the present session. In order to ensure the smooth conduct for the proceedings of the House I am under an obligation to preserve order not only in the House but in the precincts of the Sabha Secretariat also. I have seen that his conduct after suspension from the House in the lobbies and Vidhan Sabha Secretariat building was not in accordance with the standard of conduct that is to be observed by any Hon'ble Member. I have also seen in the past that after his suspension from the sittings of the House his conduct was not orderly. I have an apprehension this time also keeping in view his past behaviour hence I have no other option except to take all necessary steps to preserve order within the precincts of the Sabha Secretariat. Therefore, I hereby order that Shri

Chhattar Pal Singh shall not be allowed entry in the precincts of Haryana Assembly Estate during the sittings of this Session.

Hon'ble Members, as yesterday was the day for the presentation of the Budget hence there was no Zero hour as provided under the rules, therefore, this announcement was not made yesterday.

(ii) निलम्बित सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल को प्रवेश की अनुमति न देने संबंधी।

Mr. Speaker : As Shri Karan Singh Dalal, MLA was suspended on a motion moved by the Parliamentry Affairs Minister and approved by the House on 1st March, 1996 for remainder of the present session. In order to ensure the smooth conduct for the proceedings of the House I am under an obligation to preserve order not only in the House but in the precincts of the Sabha Secretariat also. I have also seen in the past that after suspension from the sittings of the House his conduct was not orderly. I have an apprehension this time also keeping in view his past behaviour hence I have no other option except to take all necessary steps to preserve order within the precincts of the Sabha Secretariat. Therefore, I hereby order that Shri Karan Singh Dalal shall not be allowed entry in the precincts of Haryana Assembly Estate during the sittings of this Session.

Hon'ble Members, as yesterday was the day for the presentation of the Budget hence there was no Zero hour as provided under the rules, therefore, this announcement was not made yesterday.

सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल तथा छत्तर पाल सिंह के निलंबन को रद्द करने की अनुमति न दिए जाने/निलंबित सदस्यों को प्रवेश न करने संबंधी प्रशासकीय आदेश की प्रति देना/हरियाणा विधान सभा सचिवालय परिसर की सीमा/पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी मामला उठाना।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन दो आनरेबल मैम्बर्ज को इस सदन से निकाला गया है, मैं समझता हूँ कि वह इन आर्डर बात नहीं है। ऐसा कायदे कानून में नहीं है इसलिए उनकी सस्पैंशन रिवोक की जाए। आपकी असैम्बली के रूल्ज यह कहते हैं कि आप पहले एक मैम्बर को नेम करेंगे और यह कहेंगे कि वह हाउस से विदड्रा करे। अगर वह विदड्रा नहीं करता तो आप उसे नेम करेंगे। आपने उनको न तो यह कहा कि हाउस से विदड्रा करो और न आपने उनको नेम किया। उनको निकालने का एकदम सीधा मोशन आ गया। इस सदन के इतिहास में यह अनप्रैसीडैंटिड चीज है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप यह कहते है कि उन्होंने ऐसा वीहेव किया कि हाउस की कार्यवाही नहीं चलने दी थी तो मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिन की कार्यवाही पढ़ कर सदन में सुना दी जाए ताकि हमें भी पता लग जाए कि क्या-क्या कहा गया था। प्रोसीडिंग्ज में ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम कर्ण सिंह दलाल की तरफ से कोई अनपार्लियामैंटरी बात नहीं कही गई। अगर एक सदस्य अपना कोई मोशन लाता है तो आप उसको सुन कर अपनी रूलिंग दे सकते हैं कि इसे मैं एडमिट नहीं करता। हिन्दुस्तान के विधान की आर्टिकल 194 मैम्बर को बोलने की इजाजत देती है। इसी तरह से आर्टीकल 90 भी है जो कि फ्रीडम आफ स्पीच के बारे में है। आप उस से पहले यह नहीं कह सकते हैं कि एक्सपंज किया जाता है। आप यह कह सकते हैं कि यह अनपार्लियामैंटरी है। आप बाद में उसे एक्सपंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो सीधा मोशन ले आए उसके बारे में आप हमें बताएं कि क्या डैरोगेटरी बात थी। कोई भी मोशन लाने का हर मैम्बर का अधिकार है। उसको सुनने के बाद आप इन्कार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप उस

[चौधरी बंसी लाल]

आर्डर को रिवोक करें। मैं समझता हूँ कि आप ने आनरेबल मैम्बरज के राईट्स को सही ढंग से प्रोटैक्ट नहीं किया। हम चाहते हैं कि उस दिन की प्रोसीडिंग्ज पढ़ कर सुनाई जाएं ताकि सबको उस बारे में पता लग सके। इस के अलावा कल का आपका जो आदेश था कि उन्हें असैम्बली के प्रिसिंकटस में न आने दिया जाए, उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपके प्रिसिंकटस की डैफिनिशन क्या है और कहां तक है। जहां उन्होंने मैम्बर्ज को रोक रखा था वहां से पंजाब के एम०एल०एज के आने का भी रास्ता है। तो आपका प्रिसिंकट वहां से शुरु होता है जहां से पंजाब विधान सभा की हद खत्म हो जाए। इस बिल्डिंग में दो स्पीकर बैठते हैं आपकी जुरिसडिकशन कहां तक है यह हमें बताया जाए। दूसरे वह आर्डर आपका था जो प्रैस में भेज दिया लेकिन हमें उसकी कापी नहीं मिली। आज से दो-अढ़ाई साल पहले हमारी पार्टी का सो काल्ड विभाजन हो गया, हमने आप से उसके आर्डर की कापी माँगी। आपने यह कहा कि आप जुबानी न कहें आप लिख करके भेज दें। हमने आप को लिख करके भी भेज दिया लेकिन आप की तरफ से लिख कर भेज दिया गया कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर की कापी नहीं मिल सकती। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर की कापी प्रैस में गई है, वह सारे अखबारों में छपी है। मैं चाहता हूँ कि आपने उन मैम्बर्ज के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर किए हैं उसकी कापी मुझे दें। इसके अलावा हमने एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया है वह आप एडमिट करें। अध्यक्ष महोदय, प्रिसिंकटस की बात क्लीयर होनी चाहिए कि आप की जुरिसडिक्शन कहां तक है। कल हम जब वाक आउट करके बाहर चले गए तो उसके बाद हम सदन में वापस आना चाहते थे लेकिन जब हम वापस आए तो दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद करके सदन कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष : कौन सा दरवाजा बंद था।

चौधरी बंसी लाल : विधान सभा की बिल्डिंग का मेन गेट बंद था। बिल्डिंग के अन्दर घुसने का कोई रास्ता ही नहीं था। (शोर)

वित्तमंत्री (श्री भागे राम गुप्ता) : आप सदन से निकल कर कहाँ गए थे। (शोर)

चौधरी बंसी लाल : जहां पर हमारी मर्जी थी वहां पर गए थे।

You are no body to ask us. We can walk out and we can come back. Why you do not understand what these rules are and how the Constitution of India is being interpreted. How was the functioning of the House? People were laughing at us.

मैंने आज सुबह बी०बी०सी० से समाचार सुने उसमें हमारा मजाक उड़ा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें कहीं हैं उनके बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहूँगा।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, हमने आज रूल 261 के तहत एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस आपकी सेवा में दिया है और उस पर हम सभी विपक्ष के विधायकों के दस्तखत हैं। हमने उसके साथ आपके सैक्रेटेरिएट के आदेश की एक कापी भी लगाई है। स्पीकर साहब, इस सदन की अपनी एक गरिमा है। इसमें कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं, कुछ लोग हरियाणा विकास पार्टी के हो सकते हैं, कुछ तिवाड़ी कांग्रेस के हो सकते हैं और कुछ बी०जे०पी के हो सकते हैं। तो यह जो सदन है इसकी अपने आप में इंडिविजुअल एक संस्थागत गरिमा है और स्पीकर साहब आप उस गरिमा को बचाने वाले हैं। आज सुबह 8.30 बजे मैंने हमारी विधान सभा के सचिव महोदय से टैलीफोन पर एक निवेदन किया कि आपने उन मैम्बर्ज के बारे में जो आर्डर किए हैं उनकी कापी हमें दे दें। उन्होंने ठीक फरमाया कि आप इसके बारे

में लिख कर भेज दें। मैंने 8.40 बजे लिख करके भी भेज दिया था कि जो आदेश प्रैस को चले गए, जो आदेश सब जगह चले गए उन आदेशों की एक कापी इस महान सदन के माननीय सदस्यों को दिलवा दें। मेरा आदमी यहाँ पर पौना घंटा बैठा रहा। यह बात ठीक है कि उस समय बी०ए०सी० की मीटिंग चल रही थी। यह बात भी ठीक है कि सैक्रेटरी साहब आपसे पूछे बिना उन आदेशों की कापी नहीं दे सकते और 9.15 बजे मुझे फर्मा दिया कि इस बारे में आपको सदन में ही बताया जा सकता है। स्पीकर साहब, इस सरकार की जो नान-प्रफोरमैंस है, उसके बारे में हमारी बड़ी अनपलैजैंट डियूटी है। हम इस सरकार से जो सवाल पूछते हैं उनका ये जवाब नहीं दे पाते। उन विधायकों को गले से पकड़ कर धक्का दिया। एक तरफ तो राज्यपाल महोदय ने हम सबको यह चिट्ठी लिखी कि धारा 21 के तहत आप 26 फरवरी, 1996 को बाद दोपहर होने वाली विधान सभा की बैठक के लिए सादर आमंत्रित हैं। स्पीकर साहब, विपक्ष के लोगों को भी लोगों ने चुन कर यहां पर भेजा है। यदि हम कांग्रेस की सरकार की आलोचना करते हैं तो ये पावरफुल हैं, ये हमें फाँसी दे दें। विधान सभा का मेन गेट बंद कर दिया गया। आज तक हमने पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में ऐसा कहीं नहीं देखा कि विधान सभा का मेन गेट ही बंद कर दिया जाए। आज तक किसी विधान सभा में यह आदेश पास नहीं हुए कि विपक्ष के विधायक विधान सभा परिसर में नहीं आ सकते। यहां पर कोई भी शहरी या देहाती किसी विधायक से दस्तखत करवा कर दर्शक दीर्घा में आ सकता है लेकिन एक विधायक को आने से रोका जाता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस विधान सभा में कई बार अनपलेजेंट हालात पैदा हो जाते हैं। इस महान सदन की गरिमा बनी रहे, आपकी गरिमा बनी रहे और विधायकों की प्रतिष्ठा बनी रहे इसके लिए हमने कई बार अपना सहयोग दिया। परंतु जो कुछ अब पीछे हुआ वह ठीक नहीं हुआ, उससे हरियाणा के सदन की प्रतिष्ठा गिरी है। इस बात से सब चिंतित हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह का आदेश जारी करने से सदन की प्रतिष्ठा और विधायक की प्रतिष्ठा की तौहीन हुई है। हमने जो प्रिविलेज मोशन दिया है, उसको स्वीकार किया जाये। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष का विधायक होना गुनाह है। एक तरफ तो राज्यपाल महोदय लिखकर हाउस में सादर आमंत्रित करते हैं और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के कर्मचारी धक्के मार कर विधायकों को अन्दर आने से रोकते हैं और गेट बंद कर देते हैं। कई बार जल्दबाजी में गलत आदेश हो भी जाते हैं लेकिन उनको दुरुस्त भी किया जा सकता है। सत्ता पक्ष के लोगों को सही लाईन पर रखने के लिए हमने विपक्ष के नेता प्रो० संपत सिंह के माध्यम से कई बार गलत काम रोकने के लिए सरकार को मजबूर भी किया। इन दो विधायकों को निकाले जाने बारे जो आदेश हुए हैं, उन पर आप पुनर्विचार करें, पार्टी से हट कर विचार करें, स्पीकर के नाते विचार करें। इस सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, विधायकों की प्रतिष्ठा बनी रहे, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे ऐसा निर्णय कोई लेना चाहिए। जो प्रिविलेज मोशन हमने दिया है उसे यह महान सदन स्वीकार करे। मैं जानना चाहूँगा कि क्या विपक्ष का विधायक होना गुनाह है, क्या सरकार की आलोचना करना गुनाह है, क्या हरियाणा के हित की बात करना गुनाह है। यदि हमारे खिलाफ कोई गुनाह है तो उस पर इस महान सदन में खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि हरियाणा की सारी जनता को और सारी प्रैस को पता चल सके कि हमारा गुनाह क्या है। अध्यक्ष महोदय, एक विधायक होना कोई गुनाह नहीं है। जो आदेश इन दोनों विधायकों के खिलाफ दिया गया है उसको वापस लेना चाहिए और इस प्रिविलेज मोशन को स्वीकार करें। सरकार को अपना भविष्य धूमिल नजर आता होगा लेकिन यह सदन तो सदा रहने वाला है। इसकी प्रतिष्ठा को तो आँच नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मोशन हमारी तरफ से आई है उस पर खुली चर्चा हो। विधायकों के खिलाफ किए गए आदेश को वापस लिया जाये और जो मोशन हमने दिया है उसे प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाये। धन्यवाद।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, 1.3.96 को दो विधायकों को रैस्ट आफ दी सैशन के लिए निकाल दिया गया, यह कोई अच्छी बात नहीं है। बाद में एक आदेश भी जारी कर दिया गया कि वे विधान सभा में भी नहीं आ सकेंगे और न ही प्रैस गैलरी और लौबी में आ सकेंगे। इस विधान सभा सैक्रेटेरियट का भवन लम्बा चौड़ा है। इसमें विधान भवन भी शामिल है। इसमें विधान सभा का दफ्तर और आपका चैम्बर भी शामिल है। मेरे ख्याल से रूल्ज में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि निकाला गया विधायक आपके चैम्बर में न आ सके। छः तारीख को दोनों विधायक, कर्ण सिंह दलाल और छत्रपाल सिंह आपसे मिलने के लिए आपके चैम्बर में आ रहे थे कि उनके खिलाफ जो रैस्ट आफ दी सैशन के आदेश आपकी तरफ से हुए हैं उन्हें वापस लिया जाये। वे आप से बात करने आ रहे थे। उनके साथ मेन गेट से दो सौ गज के फासले पर धक्का-मुक्की की गई। कर्ण सिंह दलाल और छत्रपाल सिंह जी के साथ जो व्यवहार कल किया गया वह डैमोक्रेटिक सैट-अप पर एक करारी चपत है। अध्यक्ष महोदय, आप विधायकों के कस्टोडियन हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप खुद इस बात के गवाह हैं कि जब मांगे राम गुप्ता जी ने बजट पेश किया और हमने एतराज किया कि पूर्ण बजट नहीं आना चाहिए, लेखा अनुदान पास होने चाहिएं, इस बात को ले कर हम वाकआउट करके चले गए। बाहर हमने हजूम देखा और पुलिस के लोग उन विधायकों के साथ जुल्म ढा रहे थे। पिस्तौल लगा कर छतरपाल को धमकी दी गई कि अगर तुमने भजन लाल के खिलाफ हवाला की बात कही तो गोली से उड़ा दिये जाओगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से विधायक अपने हल्कों की नुमायन्दगी किस प्रकार कर सकते हैं। ऐसे हालात में आपका फर्ज बनता है कि विधायकों के अधिकारों का किसी प्रकार से हनन न हो, आप इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े ताज्जुब के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि विधान सभा के अन्दर की बात तो कुछ और है लेकिन विधान सभा की बिल्डिंग के बाहर यू०टी० पुलिस की जुरिसडिक्शन आ जाती है और चण्डीगढ़ पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। हमने उन ****** को जो भजन लाल जी की कोठी पर सी०आई०डी० के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने विधायकों के साथ छेड़खानी की और पकड़ने का काम किया था।

श्री अध्यक्ष : "गुण्डा" शब्द एकसपंज कर दिया जाए।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप पार्लियामैंट की प्रोसिडिंग्ज देख लें। अब भी हवाला काण्ड के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में विपक्ष के लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते लेकिन आज तक लोक सभा या राज्य सभा के किसी मैम्बर को नेम करने का काम नहीं किया गया है। यहाँ पर एक गलत प्रेसिडेंट पड़ता चला जा रहा है। जब भी विपक्ष का कोई आदमी सही बात को उजागर करता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। उसका गला घोटने की कोशिश की जाती है। यह डैमोक्रेसी पर बहुत बड़ी और करारी चोट है। स्पीकर सर, आपका कर्त्तव्य बनता है कि आप डैमोक्रेटिक सैट अप को बचाने का काम करें। विधायकों की गरिमा पूरे रूप से कायम रहे, इस बात को आप सुनिश्चित करें। स्पीकर साहब मैं सिग्नेटरीज़ में से हूँ। जो ब्रीच ऑफ प्रिवीलेज का नोटिस दिया गया है उसको आप ऐडमिट करें। उस पर बहस हो ताकि विधायक के जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा हो सके और अधिकारों का जो हनन हुआ है उस बारे में सही बात हो सके। आपने 6 तारीख को जो आर्डर पास किया है कि विधान सभा परिसिंक्ट्स में ये दाखिल न हो सकें उस पर भी आप पुनर्विचार करें। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आप से कहना चाहता हूँ कि आपका आर्डर कानून और नियमों के बिल्कुल खिलाफ है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

इसलिए आप इसको वापिस लें और उनकी सस्पैन्शन रिवोक होनी चाहिए। इस सदन की गरिमा पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए ताकि विधायक अपनी डियूटी को अच्छी तरह से सरअन्जाम दे सकें। इस मामले पर पूरी बहस हो और बहस होने के बाद इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया जाए ताकि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। जिन पुलिस अफसरों ने विधायकों के साथ जोर जबरदस्ती की है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मुझे इस बात को लेकर बड़ा दुख है कि आज के अखबार में एक खबर छपी है। विधायकों को जिन लोगों ने छेड़ा था, उनसे छीना झपटी की थी उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होने की बजाय पुलिस आफिसर्ज ने विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात की है। यह अत्यन्त निन्दनीय बात है। अध्यक्ष महोदय, आपका फर्ज बनता है कि सदन की गरिमा को पूरी तरह से स्थापित करें और इस मामले को अपने हाथ में लेकर सदन की गरिमा को बचाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष : अब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बोलेंगे। (विघ्न)

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, आपकी पार्टी से एक ही आदमी बोलने के लिए काफी है। आपकी पार्टी के प्रैजिडैंट बोलने के लिए खड़े है। (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : हमारी पार्टी के प्रेजिडैंट डा० राम प्रकाश जी हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, आपकी पार्टी में ये कब आए ?

डा० राम प्रकाश : मेरी पार्टी में तो ये अब हैं और कांग्रेस पार्टी के जब ये प्रेजीडैंट थे, उस वक्त इन्होंने ही आपको पार्टी टिकट दिया था। अब आप भी मेरी पार्टी में आने के बारे में सोच लें। (हँसी)

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, हमने तो पहले ही सोच रखा है। हमने पहले कभी भी पार्टी नहीं बदली। मैं पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जीत कर नहीं आया। (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : आप एक बार इंडीपैंडैंट भी जीते थे।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये क्या बात कर रहे हैं। ये बार-बार खड़े हो जाते हैं तथा यो दोनों ही बोले जा रहे हैं। क्या यह सही बात है। क्या ये इस ईशू पर सीरियस हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नेहरा जी आप बैठें। मैं क्लैरीफाई करना चाहता हूँ। बीरेन्द्र सिंह जी आपने यह कह दिया कि आप इन्डीपैंडेंट जीते थे। तो उस समय इन्डीपैंडेंट को यह अख्तियार था कि वह चाहे जिस मर्जी पार्टी में जा सकता था। उस समय कोई भी एंटी डिफैक्शन कायदा कानून नहीं था। हमने उस वक्त हो सकता है अपनी मर्जी से या चीफ मिनिस्टर साहब ने रिक्वैस्ट की हो, हरियाणा की स्टैबिलीटी के लिए जरूरत थी, हम कांग्रेस में आए। उस वक्त भी एज एन इन्डीपैंडेंट सरकार को स्पोर्ट कर सकते थे और आज भी कुछ इंडीपैंडेंट हैं जो सरकार को स्पोर्ट करते हैं। हमने हालात के मुताबिक जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है। मैं पहले इंडीपैंडेंट था और जब से हम कांग्रेस में आए हैं, हमने कोई भी पार्टी चेंज नहीं की है। हम कई दफा हारे भी हैं और जीते भी हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आपने सबसे पहले पार्टी तब चेंज की है जब आप स्पीकर बने। Now, you are no more a congressman. Don't claim that you are a congressman.

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी बात बोल दी है, अब आप सिर्फ अपनी बात ही बोलें। (शोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह भी सदन की परम्परा की बात है कि स्पीकर किसी भी पार्टी का नहीं होता है।

डा० राम प्रकाश : **********

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी आप बैठें। ये जो बोल रहे है वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पार्टी में रहते हुए भी इन्डीविजुयल लोगों की लोएयल्टी चेंज होती देखी है। उसमें कुछ ऊपर बैठने वाले भी हैं और कुछ नीचे बैठने वाले भी हैं। लेकिन मैं एक बात इस के बारे में कहना चाहता हूँ कि यहां पर बार-बार यह बात आती है कि यह ऑगस्ट हाऊस है, महान सदन है। (विघ्न) यह सदन प्रभुता सम्पन्न है। स्पीकर साहब, मैं एक बात जानता हूँ कि इस देश को आजादी मिलने के बहुत से कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि दुनिया के अन्दर आजादी लाने के बाद पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी के द्वारा इस दुनिया में लोगों को अपना राज खुद कायम करने का अधिकार हो। इस भावना के साथ एक के बाद एक कलोनियल सिस्टम खत्म हुआ और आजादी कई देशों को मिली। भारत को भी आजादी मिली। स्पीकर साहब, चाहे देश की लोक सभा हो, प्रदेश की विधान सभा हो। आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या लोगों का विश्वास पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में हम कायम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर लोगों का यह विश्वास हिल गया तो यह सारा सिस्टम गलत हो जाएगा। आज यही वजह है कि लैजिसलेचर, न्यायपालिका और एग्जैक्टिव, यह जो तीन ब्रांचें हैं ये अपनी इफैक्टिवनैस शो नहीं कर रही हैं जिस वजह से लोगों का विश्वास उठ गया है। जो जुडिशियरी है उसने सारी चीजों पर टिप्पणी करने के लिए स्टैप इन कर लिया है। मैं आप से यह कहना चाहूँगा कि महान सदन में सबसे बड़ा रोल अध्यक्ष महोदय का होता है। उसके बाद इस सदन को महान बनाने के लिए अध्यक्ष को ऐसी परम्परा लागू करनी चाहिए जिससे महान सदन को महान कहते हुए हमें गौरव महसूस हो। उसके बाद सदन के नेता का रोल होता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पार्लियामैंट में भी देखा है और यहां पर भी देख रहा हूँ कि 10 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य डिबेट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। डिबेट में कंट्रीब्यूट करने से ही हाऊस की क्वालिटी का पता लगता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदन को महान बनाने में अध्यक्ष की भूमिका और लीडर आफ दी हाउस की भूमिका सबसे अहम है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन की भी भूमिका है लेकिन अपोजीशन की भूमिका पर जब आप बुलडोजिंग करते हो तो वह ठीक नहीं है। जब ओपिनियन आपके खिलाफ हो तो उसको सुनने की भी आपमें क्षमता होनी चाहिए ताकि सदन महान कहला सके। अगर आप अपने खिलाफ ओपिनियन को सुनने की क्षमता नहीं रख सकते हो तो फिर वह सदन महान नहीं कहला सकता।

मैजोरिटी के आधार पर बार-बार इस तरह से गलत प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उनको एडमिट करने से इस तरह के प्रस्तावों से गलत परम्पराएँ पड़ती हैं। स्पीकर सर, मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि विधान सभा का जो परिसर है उसमें न जाने के लिए आपने दो विधायकों श्री छतरपाल सिंह और श्री कर्ण सिंह दलाल के लिए हुक्म जारी कर दिया कि वे इस परिसर में दाखिल नहीं होंगे। आपके इस हुक्म को इम्पलीमैंट करने का अगर किसी को अधिकार है तो वह जो विधान सभा का वाच एंड वार्ड स्टाफ है, उसी को है न कि पुलिस को। सर, सभी विधान सभाओं में भी आज तक यही परम्परा रही है। पिछले दिनों

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

यू.पी. विधान सभा के अन्दर जब बी.जे.पी. और एस.पी. के लोगों का आपस में झगड़ा हुआ तो वहां पर काफी लोग आपस में इस झगड़े में घायल हो गए लेकिन फिर भी विधान सभा परिसर के अन्दर पुलिस का इंटरफियरैन्स नहीं हुआ। सर, अगर विधान सभा परिसर में पुलिस इंटरफियर करे तो यह स्पीकर की और इस आनरेबल हाउस की अवमानना नहीं तो और क्या है। दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछले डेढ़ साल से पार्लियामैंट भी सही ढंग से नहीं चल रही है और वहाँ पर भी झगड़े की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। (विघ्न) वह बात इसलिए है कि जब देश में इतने बड़े बड़े घपले होंगे और सत्तापक्ष में बैठे लोग घपले करेंगे तो फिर उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि वहां पर पिछले डेढ़ साल से एक अंडरस्टैंडिंग तो है कि जो मुख्य-मुख्य मुद्दे हैं जैसे कश्मीर में और 6 महीने प्रैजीडैन्ट रूल की एक्सटैन्शन करने का है। तो इस तरह के मुद्दे की गम्भीरता को देश का हर राजनीतिक दल समझता है। इसलिए इस तरह के मुद्दों में वहां पर कोई विघ्न नहीं आया। लेकिन ऐसे मुद्दों के अलावा वहां पर हाउस की कार्यवाही विपक्ष ने नहीं चलने दी। जहां तक मुझे याद है स्पीकर साहब, वहां पर अध्यक्ष ने आज तक भी किसी सदस्य को नेम नहीं किया है जबकि वहां पर सदस्य आधे-आधे घंटे तक वैल में आकर नारे लगाते रहते हैं। स्पीकर सर, मैं यह बात इस लिए कह रहा हूँ कि आपको भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप इस सदन को महान सदन बनाना चाहते हैं। अगर यहां पर कोई माननीय सदस्य उत्तेजित भी होता है तो क्या सत्ता पक्ष के लोगों का यह फर्ज नहीं बनता कि वे उसकी बात को सुनें। यह हाउस तो प्रभुसत्ता सम्पन्न हाउस है और इस प्रभुसत्ता सम्पन्न हाउस में हर मैम्बर को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को क्या अधिकार है कि वे उसकी बात को न सुनें। मैम्बर के इस बोलने के अधिकार को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वह ब्रूट मैजोरिटी के अगेन्स्ट अध्यक्ष ही रख सकता है। यह रोल आपको ही इस सदन में अध्यक्ष के तौर पर करना होगा। स्पीकर साहब, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो लोग अपना पक्ष सदन में प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उनको अपना पक्ष इस सदन में प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिल सकेगा। परम्परा यह कहती है कि इस तरह से बोलने पर किसी मैम्बर को नेम नहीं किया जा सकता है। मैंने खुद देखा है कि छठी पार्लियामैंट में भी आज तक किसी सदस्य को इस तरह से अपनी बात कहने से रोकने के लिए नेम नहीं किया गया है। स्पीकर सर, क्या वजह है कि यहाँ पर कोई थोड़ी सी बात होते ही सत्ता पक्ष के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और वह अपना मोशन लेकर आ जाते हैं और किसी भी सदस्य को हाउस से जाने के लिए कह देते हैं। स्पीकर सर, मैं आप से यह इस लिए अनुरोध कर रहा हूँ कि उसी परिसर में आपका आफिस है और आपके आर्डर को ऐग्जीक्यूट करने के लिए आपका बाच एण्ड बाई स्टाफ है। अगर इस परिसर में पुलिस आएगी तो यह पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी पर आघात होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि you are to assert as the Speaker of the House. You are not to get the orders from the opposition or from the Treasury Benches. It is a right of a particular legislature to speak out the truth that is to be protected by you and that protection is sought. When you say that House is a soverign that means House is a soverign not the majority. Majority is not the soverign. You are to make this distinction. So, I would request you to reconsider your entire decision and take a fresh look and give freedom to the Chair, that is of the Speaker.

डॉ० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० राम प्रकाश जी, क्या आपको बोलने की जरूरत है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक पार्टी के दो महानुभाव बोलें, क्या आप यह मुनासिब समझेंगे।

डॉ० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरी कठिनाई यह है कि यहां न तो सदस्यों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा है और न अध्यक्ष, जिसके पद को, जिसकी कुर्सी को हम सर्वोपरि मानते हैं उसके अधिकारों की सुरक्षा है। सदस्यों के अधिकारों को तो आप बचाएंगे लेकिन अगर आपके अधिकारों पर आघात होगा, उसे कौन बचाएगा ? मैम्बर बोलना चाहे तो उसे आप इजाजत देते हैं, लेकिन अगर किन्हीं मैम्बर्ज की आवाज किन्हीं को कर्णप्रिय नहीं लगती है, उसे बोलने से रोका जाता है तो मैं समझता हूँ कि यह चेयर की अवमानना है, इसे सहन नहीं किया जा सकता। मैं यह बात इस नाते से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन की यह घटना है उस दिन आप अपनी योग्यता के अनुसार बड़े ठीक ढंग से इस सदन का काम चला रहे थे। मैंने अपनी बात कहनी चाही, आपका हक था मुझे वार्न करने का और आप ने कहा कि अगर मैं हवाला काण्ड पर बोलूँगा तो मुझे नेम किया जाएगा। मैं आपकी चेयर की अवमानना नहीं करना चाहता था इसलिए मैं प्रोटैस्ट में वाक-आउट कर गया क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया और हवाला काण्ड में चीफ मिनिस्टर को बोलने दिया। उस दिन दो सदस्यों को आपने सदन से बाहर निकाला। मैंने अखबारों में पढ़ा कि चौधरी बंसी लाल जी अपने कुछ साथियों के साथ आपसे मिलने गए और जब इन्होंने यह ऐतराज उठाया कि पहले उन सदस्यों को नेम किया जाना चाहिए था तो आपने भले आदमी के तौर पर कहा कि मेरे नेम करने से पहले ही बाहर निकालने का प्रस्ताव आ गया था। इसकी कंट्राडिक्शन पिछले दो दिन में अखबारों में नहीं छपी। इससे जाहिर होता है कि चेयर को भी, उसके जो अधिकार हैं उनके मुताबिक काम करने की इजाजत नहीं है। मंत्री जी को इस बात का अहसास नहीं कि जब तक आप नेम नहीं कर लेंगे तब तक वे कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं ला सकते। इन 4-5 साल में ऐसा कोई ट्रेनिंग कोर्स भी नहीं हुआ। इसलिए अगर इन से कोई भूल हो गई तो आप उसका संशोधन कर सकते थे। बिना नेम किए किसी को बाहर निकालना बिल्कुल गलत था। आपने हरियाणा विधान सभा के परिसर से बाहर उन्हें निकाला, यह फैसला ठीक था या गलत, यह आपकी रूलिंग है इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। परन्तु आप इस बात को मानेंगे कि इस कौम्पलैक्स में दो परिसर हैं एक हरियाणा विधान सभा का है और एक पंजाब विधान सभा का। हरियाणा विधान सभा की सीमा में तो आप उन पर रोक लगा सकते हैं लेकिन पंजाब विधान सभा में कोई जाना चाहे, पास बनवा कर उनकी कार्यवाही सुनना चाहे या उनके पुस्तकालय में जाकर कुछ पढ़ना चाहे तो उस पर आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। इसलिए उन्हें केवल सदन की कार्यवाही में आने से रोकना आपका अधिकार था लेकिन उसके विरुद्ध काम हुआ। सिक्योरिटी का जो आपका वाच एण्ड वार्ड का स्टाफ है, वह रोकता तो बात समझ मे आती लेकिन अगर पुलिस के जरिए रोका जाये तो गलत है। इसके लिए शोर मचाने की बात नहीं थी क्योंकि आपने उनको नेम नहीं किया था। क्योंकि सत्तापक्ष में से भी कल कोई इधर बैठे होंगे, कुछ गांव की चौपाल में बैठेंगे और इनके साथ अगर ऐसा हो तो इनको कैसा लगेगा ? मैं यह बात इस नाते कहना चाहता हूँ कि सदन के नेता भी इस बात के गवाह हैं कि जब कुछ ऐसे लोगों की हकूमत हरियाणा में थी जिनके जमाने में किसी प्रकार की मान-मर्यादा सरकार में नहीं थी। उस समय एक ऐसी देवी भी विधान सभा में चुनकर आई थी जो कि विधान सभा में बैठने की बजाए बाहर बैठती थी। वह चुनकर इसलिए आई थी कि अपनी बात इस सदन में कहे। परन्तु गलत मर्यादा को देखकर वह सदन से बाहर बैठना ही अच्छा समझती थी। मुख्यमंत्री भी इस बात के गवाह हैं।

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, इतना लम्बा लैक्चर मत दीजिए।

डॉ० राम प्रकाश : अध्यक्ष जी, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। एक तरफ तो आप सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए काटने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमें बोलने से रोकते हैं। यह सारा

झगड़ा हवाला काण्ड को लेकर है जिसमें अगर चीफ मिनिस्टर निर्दोष हैं तो उस पर बहस होने देते तथा अपनी बात कहते। परन्तु जब हवाला काण्ड का नाम आता है तो आप उस वक्त हमारी बात को रोक देते हैं। इसलिए जो चौधरी बंसीलाल जी ने प्रस्ताव रखा है, जो सुझाव दिया है जिसका अनुमोदन प्रो० रामविलास शर्मा जी ने किया, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने किया और श्री ओम प्रकाश बेरी ने किया, मैं भी उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। इसलिए एक प्रस्ताव पास किया जाये कि उन्हें वापिस लिया जाना चाहिए। जो पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की है उसकी निन्दा की जाये तथा हवाला काण्ड में चीफ मिनिस्टर जी की इंवोलवमैंट के बारे में खुलकर बहस हो।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, छत्तर सिंह जी आप बोलिए।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन दो सदस्यों को आपने सदन से निकाला है वह आपका अधिकार है। लेकिन उनको निकालने से पहले उनको आपने नेम नहीं किया। पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मन्त्री ने एकदम खड़े होकर मोशन पढ़ दिया और आपने उनको निकालने के आदेश दे दिये। इसलिए, मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि आपकी रूलिंग के मुताबिक नहीं हुआ है। हमने देखा है कि आपके अधिकार और इस सदन की महत्ता को नष्ट करने का कुप्रयास किया गया है। दूसरी चीज मैं आप से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता ने यहाँ कहा है कि इस संध्याकालीन सरकार को बजट लाने का कोई अधिकार नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने भी वोट औन अकाउंट पारित किया है लेकिन इस सरकार ने तो पूरा बजट ही पेश कर दिया। इसमें आपकी क्या रूलिंग है उसको दिखाया जाये। इस बात को देखकर दुख हुआ है कि जिन सदस्यों को आपने निकाला था उनको किस तरह रोका गया। हरियाणा पुलिस ने एक सदस्य की छाती पर रिवाल्वर लगाया, उस पर रस्सा डाला गया। चारों तरफ रस्से पड़े हुए थे। अगर इस तरह की परम्परा आपने डाली है तो आने वाली पीढ़ियां हमें और आपको माफ नहीं करेंगी। आपने जो दो सदस्यों को सदन में आने से रोका है, उसके लिए पहले भी आप से अनुरोध किया था कि इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ियां नहीं बख्शेंगी। मैं आप से निवेदन करता हूँ कि जो आर्डर की कॉपी आपने उन दो सदस्यों को नहीं दी, वह कॉपी प्रैस में पहुँच गई और आज मैंने पढ़ा है जिसमें आपने लिखा है कि We have deployed the Haryana Police Personnel. स्पीकर सर, अगर पुलिस पर्सोनल भी हाऊस में होंगे तो फिर यह माननीय सदन नहीं एक अखाड़ा बन जाएगा। क्या आपने ऐसे हरियाणा पुलिस कर्मियों को हुक्म दिया है कि हरियाणा पुलिस कर्मी यहाँ आ कर के बैठ जाएँ, बाहर तो बैठे ही हैं। हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी माननीय मुख्य मन्त्री जी की कोठी पर रहते हैं उन लोगों ने जिन दो सदस्यों पर प्राणघातक प्रयास किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। सदन के नेता भी इस बात के लिए सदन में माफी मांगे। वे हवाला काण्ड में तो दोषी हैं ही लेकिन वे इस सदन के सदस्यों के प्राणघातक हमले में दोषी न बनें। (घंटी) अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ एक मिनट और लूँगा। आज हिन्दुस्तान में पार्लियामैंट चल रही है और वहां कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन जो चीजें देश के हित में हैं उनमें वहां किसी ने कोई अड़चन नहीं डाली।आपने पिछले सदन की कार्यवाही देखी होगी, लोक सभा में 12 दिन कोई काम नहीं हुआ। राज्य सभा में भी 13 दिन कोई काम नहीं हुआ। आज दोनों सदनों में कार्य रुका पड़ा है क्योंकि देश के लिए आज हवाला से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हवाला जैसे काण्ड में संलिप्त हो, जो देश को तोड़ने में लगे हों, जो देश की इन्टैग्रिटी और यूनिटी को खत्म करने के लिए लगे हों, उस पर खुलकर बात होनी चाहिए। आखिर आपको हवाला से क्या परेशानी है। आप क्यों नहीं इस पर खुली बहस करवाते। (विघ्न) नेहरा साहब आप बोल नहीं पाएंगे। आप ब्रूट मेजोरिटी से हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, इट ईज ओवर। धन्यवाद।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से विनम्र निवेदन करता हूँ कि उन दो सदस्यों को आपके आर्डर की कापी नहीं मिली और प्रैस में पहुँच गई, आप थोड़ी स्थिति को स्पष्ट करें। हरियाणा पुलिस ने आपने डिस्पाच कर लिया जबकि नियमानुसार डैमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास वाच एण्ड वार्ड स्टाफ है। लेकिन हरियाणा पुलिस दो विधायकों के साथ धक्का मुक्की करे, रिवाल्वर दिखाए, उनके प्राण लेने का प्रयास करे तो यह ठीक नहीं। आज की सरकार, जिसने मैनीपुलेटिड ढंग से ब्रूट मैजोरिटी हासिल की है, आगे आने वाले समय में वच नहीं पाएगी। इन में से कोई नहीं आएगा। इसी सदन में श्री बलबीर पाल शाह जी बैठे हैं। पिछले चार साल में वे कभी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि उस समय इस प्रकार की परंपरा थी कि विरोधियों को बोलने नहीं दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री की सुपत्नी को भी बोलने नहीं दिया गया। उसी परंपरा में क्या आप हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की परंपराएं जो डैमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने के लिए हों, उनको शुरू न करें। इस पर पुनर्विचार करें और उन दो सदस्यों का निलंबन रद्द करके उन्हें आने की अनुमति दें।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य बोले उनमें कुछ सदस्य काफी सीनियर हैं। इनको काफी जानकारी और ज्ञान भी है। एक आध सदस्य ही ऐसा होगा जो पहली बार मैम्बर बन कर के हाऊस में आया हो, उनको शायद ज्ञान नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि उन्होंने आपके ऊपर बड़ा भारी इलजाम लगाया है कि आपने भी एक्शन नहीं लिया और आपने कायदे कानून में कार्य नहीं किया। आपने गलत तरीके से उनको निकाल दिया। आपका व्यवहार ठीक नहीं है। तो एक तरह से चेयर को भी उन्होंने चैलेंज किया था और इस तरह से हाऊस की गरिमा को कम करने की बात की। आप जानते हैं कि लगातार पाँच दिन तक दोनों मैम्बरों का किस तरह का रोल रहा, कैसे व्यवहार रहा। वे यहां तक आते थे और फिर नारे लगाते थे। आपको पता है कि यहां पर माईक भी तोड़े गए। फिर ये हाउस की गरिमा की बात करते है। बड़े अफसोस की बात है। चौधरी बंसी लाल अपना जमाना भूल गए। मैं इन को 1975 की वात याद दिलाना चाहता हूँ जब चौधरी हरद्वारी लाल अपोजिशन में थे। उनको यहां से निकाला भी गया तथा साथ में अन सीट भी किया गया।

11.00 बजे

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चौधरी हरद्वारी लाल को पूरे सदन में बहस के बाद निकाला गया था। उनका केस प्रिवलेज कमेटी को रैफर किया गया था और उस कमेटी की सिफारिश पर ही उनको निकाला गया था।आप इस मामले को भी प्रिवलेज कमेटी को रैफर कर दें।

चौधरी भजन लाल : तो अध्यक्ष महोदय, इनको वह जमाना याद करना चाहिए और आज ये मगरमच्छ के आँसू बहा रहे हैं। इन्होंने इस बात के लिए खुद कहा, कुछ प्रैस के महानुभावों को भी कहा। (प्रो० छतर सिंह चौहान की ओर से विघ्न) चौहान साहब, एक बार बिल्ली के भाग का छिका टूट गया, दोबारा बन कर आए तो कहना। (शोर) आप को मेरी बात को आराम से सुनना चाहिए। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं।

आवाजें : हम आप को कौन सी गाली दे रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : आप जो बीच में खड़े होते हो यह गाली ही है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि इनका कैसा व्यवहार रहा, कैसा कंडक्ट रहा और कैसा माहोल पैदा करने की इन्होंने कोशिश की। सारा

प्रदेश जानता है और उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि इन लोगों का रोल क्या है। मैं मानता हूँ कि इनको सरकार को क्रिटिसाईज करने का अधिकार है। अगर सरकार की कोई कमी है तो उस बारे में कहने का अधिकार है लेकिन जिन लोगों ने इनको चुन कर भेजा है ये कम से कम उनकी बात करें। किस लिए लोगों ने इनको मैम्बर बना कर भेजा था। इसलिए भेजा था कि ये लोगों की भलाई का काम करेंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। अगर ये ऐसी बात करते तो ठीक था लेकिन सिवाए गलत बात करने के इनके पास और कोई काम नहीं है। चेयर की तरफ से बार-बार आदेश देने के बावजूद, चेयर की किसी भी बात की परवाह न करते हुए वे बोलते रहे। हर बार जब आप खड़े होते थे तो वे भी खड़े रहते थे। आपने उनको वार्निंग दी और उनको दो तीन बार नेम भी किया लेकिन वे फिर भी नहीं समझे। उसके बाद मजबूर होकर हमें प्रस्ताव लाना पड़ा। उसको ये कहते हैं कि मैजोरिटी की वजह से ऐसा किया है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि आपने उनको नेम किया और वार्निंग भी दी। मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि एक मार्च को जब उनको निकाला गया तो उस वक्त की प्रोसीडिंग्ज आपके पास हैं, वह पढ़ कर हाउस में सुना दें। अगर आपने उनको नेम किया हो या वार्निंग दी होगी तो हम आपके साथ हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने कई बार उनको समझाया और वार्निंग भी दी। आपने यहां तक भी कहा कि मैं आपको नेम करने जा रहा हूँ, आप बैठिए। (शोर) प्रोसीडिंग्ज आप खुद देख सकते हैं। प्रोसीडिंग्ज को तो हर आदमी देख सकता है। स्पीकर साहब इस हाउस के हैड हैं, मास्टर हैं। स्पीकर साहब का रोल एक जज की तरह से है। तो क्या आप एक जज से सवाल पूछेंगे और जज उसका जवाब देंगे। आपने पूछना हो तो उनके स्टाफ से पूछें। आप रिकार्ड देख सकते हैं कि क्या कहा क्या नहीं कहा।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, उस दिन की सदन की प्रोसीडिंग्ज निकाल कर देख लें कि क्या आपने उनको पहले वार्निंग दी थी या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं इसका जवाब दूँगा।

चौधरी भजन लाल : फिर चौधरी बंसी लाल जी ने कह दिया कि अध्यक्ष महोदय हरियाणा विधान सभा की परिसर कहां तक है। क्या आपको विधान सभा के परिसर का पता नहीं है कि यह कहां तक है। यहां पर हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश के दोनों हाउस बैठते हैं। यह बिल्डिंग हरियाणा और पंजाब दोनों की है और दोनों की परिसर इकट्ठी है। यह बात ठीक है कि बिल्डिंग का बंटवारा है लेकिन बाहर से बिल्डिंग के अंदर हमारे लोग भी आते हैं और पंजाब के लोग भी आते हैं इसलिए दोनों की परिसर एक ही है। जो बाउंडरी है वह सब जानते हैं। उन दोनों मैम्बर्ज का रोल अच्छा नहीं था। ये कहते हैं कि पुलिस वालों ने उनकी बेइज्जती की। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास जनसत्ता अखबार है इसमें आप फोटो देखें उन दोनों मैम्बर्ज ने एक आदमी का गला पकड़ा हुआ है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह फोटो आप चौधरी बंसी लाल जी को दिखा दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने गला पकड़ रखा है। ये दो अखबार हैं एक इंडियन एक्सप्रेस है और एक जनसत्ता है। दोनों में उनकी फोटो है। (शोर)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने और ओमप्रकाश जिंदल दोनों ने उनको देखा था। पुलिस वालों ने उनको रस्से के घेरे में डालकर चारों तरफ से जकड़ कर रखा हुआ था।

चौधरी भजन लाल : रस्से का घेरा इसलिए लगाते हैं ताकि आम तौर पर कोई आगे न आए। उनको रस्सा बांध नहीं रखा था। (शोर)

चौधरी बंसी लाल : उन दोनों मैम्बर्ज को रस्से के घेरे में डालकर जकड़ रखा था।

चौधरी भजन लाल : इनका गला ऐसे घोंट रखा है जैसे इनकी जान ही निकल जाएगी मुझे यह पता नहीं यह आदमी कौन हैं। छतर पाल सिंह और कर्ण सिंह दलाल दोनों ने इनको गले से पकड़ रखा है। यदि आपने अखबार नहीं देखा तो यह मैं आपके पास भेजता हूँ।इसको आप देख लें। अध्यक्ष महोदय, इससे घटिया बात कोई और नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना कहना है कि आप उन दोनों मैम्बर्ज के खिलाफ केस दर्ज करवाएं और उनको गिरफ्तार करवाया जाना चाहिए। यह कोई तरीका है उनका।

प्रो० छतर सिंह चौहान : आप जिसका गला पकड़ा हुआ बता रहें हैं, यह कौन आदमी है।

चौधरी भजन लाल : यह कोई भी हो चाहे यह वाच एण्ड वार्ड स्टाफ का आदमी हो और चाहे कोई दूसरा आदमी हो, मैं इन्हें नहीं जानता और न ही ये मेरे कोई रिश्तेदार हैं।

प्रो० छतर सिंह चौहान : यह कोई वाच एण्ड वार्ड स्टाफ का है या आपकी कोठी पर जो सिक्योरिटी है, उसका आदमी है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी कोठी पर सिक्योरिटी वाले रहते हैं और यहां पर भी सिक्योरिटी वाले रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी वालों को या पुलिस वालों को आप बाकायदा मांग कर लेते हैं। जो मार्शल है वह आप डी०एस०पी० रैंक का हरियाणा गवर्नमैंट से लेते हैं और जो दूसरे पुलिस के कर्मचारी हैं उनको भी आप सिक्योरिटी के लिए मांग कर लेते हैं। (शोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या आप यहां पर पुलिस को डिप्लाय करने के लिए लिख कर भेजते हैं। अगर आप पुलिस डिप्लाय करने के लिए लिख कर भेजते हैं तो क्या यह प्रजातांत्रिक प्रणाली में ठीक बात है ?

चौधरी भजन लाल : क्या प्रजातंत्र के ठेकेदार आप ही हैं। (शोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : आप अपनी ब्रूट मैजोरिटी का नाजायज फायदा उठा रहें हैं।(शोर)

चौधरी भजन लाल : मैजोरिटी से ही राज चलेगा बिना मैजोरिटी के राज नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से उनका व्यवहार रहा वह महा निन्दनीय है। इतना घटिया रोल किसी विधायक का नहीं हो सकता जिस तरह का रोल उन्होंने आपके सामने अदा किया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात यह भी कही कि यह जो बजट है यह वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए था पूरा बजट पास नहीं होना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप पूरा बजट लेकर आएंगे तो हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इस बारे में मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि ये साढ़े सात साल मुख्य मंत्री रहे क्या कभी आपने वोट औन अकाउंट पास किया, आपने हमेशा पूरा बजट पास किया।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर सर, मैं पर्सनल एक्सपलेनेशन देना चाहता हूँ। जब हम थे उस वक्त किया था। अब तो चुनाव हैं चुनाव के कारण छः असैम्बलियों में और पार्लियामैंट में वोट औन अकाउंट आया है न कि पूरा बजट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा बजट क्यों ला रहे हो।

सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल तथा छत्तर पाल सिंह के निलंबन को रद्द करने की अनुमति न दिए जाने/ निलंबित सदस्यों को प्रवेश न करने संबंधी प्रशासकीय आदेश की प्रति देना/हरियाणा विधान सभा सचिवालय परिसर की सीमा/पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिकथित् विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी मामला उठाना (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात कहते हुए अपने जमाने की बात को भूल जाते हैं। ऐसी बात करते हुए इन्हें अपना जमाना भी याद रखना चाहिए। (विघ्न)

डॉ० राम प्रकाश : क्या उस में आप भी शामिल थे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बगैर इजाजत के आप न बोलें।

डॉ० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : डॉ० राम प्रकाश जी आप बैठिये। (शोर) मेरी इजाजत के बगैर जो ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (शोर)

चौधरी भजन लाल : हवाला काण्ड के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिंघासी तौर पर चौधरी बंसी लाल मेरे सब से ज्यादा मुखालिफ हैं। इस केस में मैं इनको जज मुकर्रर करता हूँ और ये जैन से मिलकर यह कह दें कि मैं कभी उनसे मिला हूँ और पैसा लिया है तो मैं इनकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। वैसे ही क्या कोई ऐसी बात कह सकता है।

चौधरी बंसी लाल : मैं ऐसा जज बनने के लिए तैयार नहीं।

चौधरी भजन लाल : विपक्ष के लोगों ने पीछे पार्लियामैंट को टैलिकम्युनिकेशन के टेण्डर के मुद्दे पर चलने नहीं दिया तो बाद में जुडिशियरी ने कहा कि क्या एक मैम्बर का यही रोल है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा। क्या हाउस को न चलने देना कोई अच्छी बात है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन दोनों विधायकों को निकालने के बारे में हाउस ने जो फैसला लिया है वह सही है। ऐसे विधायक जो गलत बोल सकते हैं, किसी की बात न मानें क्या वे विधायक दुबारा जनता द्वारा चुनकर आ सकते हैं। यदि ये दुबारा एम०एल०ए० बन कर आ जाएं तो कह देना कि भजन लाल सही कह रहा था या गलत कह रहा था। अध्यक्ष महोदय, अब इस मामले पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने बोलते हुए एक बात कह दी कि मैम्बरों ने लोक सभा को चलने नहीं दिया तो उस पर जुडिशियरी ने फैसला दिया कि मैम्बरों का रोल ठीक नहीं था। मि० ढींगरा, जो जज थे उन्होंने जो फैसला दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया जिस कारण मि० ढींगरा का फैसला वापस हो गया। (विघ्न) क्या आप अब उस बात पर स्टैंड करते हैं? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह बात नहीं कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें (शोर एवं व्यवधान) वलरा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आप की अनुमति से बोल रहा हूँ। मैं क्लैरीफिकेशन चाहता हूँ।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : राम विलास जी आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, औन ए प्वायंट औफ आर्डर । मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो यह कह रहें हैं वह ठीक नहीं है और ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि पिछली दफा जब पार्लियामैंट का सैशन था तो विपक्ष के लोगों ने सैशन की कार्यवाही नहीं चलने दी। वह कार्यवाही इसलिए नहीं चलने दी क्योंकि टैली-कम्युनिकेशन के जो टैंडर थे उसके मामले को जारी रखा। वह बात सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट के फुल बैंच ने टैली-कम्युनिकेशन के टैंडर को बिलकुल सही ठहराया। स्पीकर सर, इसका मतलब यह निकलता है कि विपक्ष ने सारे हाउस को ऐट रैण्डम रखा और सैशन की कार्यवाही नहीं चलने दी और वह बात सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दी। स्पीकर साहब, ये जो कह रहें हैं वह एकदम अलग बात है (विघ्न) मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, आप मेरी बात सुनिये। * * * * * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing should be recorded.

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि सैशन जज श्री ढींगरा जो श्री कल्पनाथ राय के केस को देख रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ टिप्पणी की। उन टिप्पणियों पर लोक सभा में दो दिन आवाज़ उठी और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन टिप्पणियों को निकाल दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये टिप्पणियां ठीक नहीं हैं और पोलेटीशियन्ज के खिलाफ की गई हैं इसलिए इनको कार्यवाही से निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार उनका ज़िक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने जो लोक सभा की बात कही है वह सही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही माना है। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, नेहरा साहब, बात को ट्विस्ट करने में बहुत माहिर हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने पार्लियामैंट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। (विघ्न) स्पीकर सर, आप कृपा करके मेरी बात सुन लें (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मैंने कहा था कि टैलि-कम्युनिकेशन के मामले में पार्लियामैंट में हाउस की कार्यवाही विपक्ष ने नहीं चलने दी। श्री सुखराम जी अपनी बात की क्लैरिफिकेशन देना चाहते थे लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। स्पीकर साहब, किसी मुलजिम को फांसी देने से पहले उसकी बात तो सुनी जाती है लेकिन विपक्ष ने उनकी बात को भी नहीं सुना। (विघ्न)

Mr. Speaker : I am reading Article 211 of the Constitution of India. It is regarding restriction on discussion. It says—

> "No discussion shall take place in the legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of High Court in the discharge of his duty."

अगली बात यह भी कही गई कि दो मैम्बर्ज को विधान सभा के परिसर से बाहर किया है। इस बारे में कौल एंड शकधर की बुक के पृष्ठ 237 पर लिखा है :—

> "The Speaker is the authority under whose direction order is maintained in the Parliament House Estate. Estate includes the precincts."

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अभी चौधरी बंसी लाल जी ने कहा है तो मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने यहाँ पर हमारी बात नहीं मानी तो उस वक्त आप यहाँ पर हाजिर नहीं थे। आपकी पार्टी के एक-दो मैम्बर ही हाजिर थे। राम विलास शर्मा और वीरेन्द्र सिंह जी भी मान रहे हैं कि वे भी हाजिर नहीं थे। तो आप की भी डियूटी बनती है कि आप यहां पर आएं। मेरे पास मेरे चैम्बर में चौधरी बंसी लाल, श्री छत्तर सिंह चौहान और राम विलास जी आए और कहा कि हम प्रो० छतर पाल के बिहेव को कंडैम करते हैं। तो मैंने कब कहा कि मैं उनके बिहेव को कंडैम नहीं करता हूँ, मैं भी कन्डैम करता हूँ। आपको पता है कि प्रो० सम्पत सिंह ने भी अपनी सीट का माईक तोड़ दिया था तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हुई थी। जहां तक छतरपाल की बात है तो उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री जी की सीट पर आकर उनका माईक तोड़ दिया, उनका टेबल भी खींच दिया यही नहीं बल्कि उन्होंने 2-3 माईक और मोड़ दिए तथा सीट पर खड़े हो गए। उन्होंने यहां पर वाच एण्ड वार्ड के स्टाफ को घूंसे और लातें मारीं। इस तरह का बिहेव उन्होंने यहीं नहीं बल्कि बाहर जाकर भी किया। इसके बाद छतर पाल और कर्ण सिंह दलाल ने आफिसर गैलरी में जाने की कोशिश की, वहां पर भी उनको रोका गया। फिर वे प्रैस गैलरी में जाना चाहते थे तो वहां पर भी उनको रोका गया। इसके अलावा आज जब मैं लिफ्ट में आ रहा था तो मुझे लिफ्ट मैन ने बताया कि छतर पाल ने कल उसको 4-5 लातें मारी थीं। तो इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया था जो कि निन्दनीय था। इसी तरह से मेरे द्वारा बार-बार कहने के बावजूद वे बाहर नहीं गए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण —

चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, जब आप खुद फर्मा रहे हैं कि मैं सदन में मौजूद नहीं था तो मैंने आपसे उसके व्यवहार को कैसे कंडैम किया। दूसरी बात यह है कि जो उनके खिलाफ आपने कार्यवाही की है वह रूल के मुताबिक नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर हाजिर नहीं थे तो आप उस दिन की प्रोसिडिंग पढ़कर सुना दें कि आपने उनको बैठने के लिए कहा, वे नहीं माने, उसके बाद आपने उनको बाहर निकाल दिया। आप इस बारे में प्रोसिडिंग पढ़कर सुना दें अगर आप की बात ठीक है तो हम मान जाएंगें कि आपने ठीक किया।

सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल तथा छत्तर पाल सिंह के निलंबन को रद्द करने की अनुमति न दिए जाने/निलंबित सदस्यों को प्रवेश न करने संबंधी प्रशासकीय आदेश की प्रति देना/हरियाणा विधान सभा सचिवालय परिसर की सीमा/पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध अभिकथित् विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : जहां तक आपने यह कहा कि आप हाउस में हाजिर नहीं थे तो फिर मैंने यह बात कैसे कह दी। जब आप अपने आदमियों से मिलने आए तो किसी की बात तो सुनकर ही आप आए होंगे। जब आपके मैम्बर ने आपको बताया होगा तभी आप आए होंगे। चौहान साहब का तो मुझे याद नहीं लेकिन रामभजन अग्रवाल वहां पर थे। (विघ्न)

प्रो० छतर सिंह चौहान : सर, इस तरह की कोई बात ही नहीं आयी। हमने तो आप से यह रिक्वैस्ट की थी कि आप उनके सस्पैन्शन के आर्डर वापस ले लो।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, आखिर आपने कुछ तो सुना ही होगा और सुनने के बाद ही आपने अपना जजमैंट लगाया होगा। और तभी आपने कहा कि मैं छतरपाल सिंह के बारे में तो नहीं कहता लेकिन मैं तो कर्ण सिंह दलाल के बारे में ही आपसे कहता हूँ। यह बात आपने कही थी।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि मैंने यह कहा था।

श्री जगदीश नेहरा : सर, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। हमें भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : अभी आप बैठिए। अभी बंसी लाल जी को बोलने दें।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कर्ण सिंह दलाल के बारे में आपसे कहा था कि क्या वह वैल में आया था तो आपने कहा कि दलाल साहब वैल में तो नहीं आए। आपने खुद यह कहा था कि वे नहीं आये थे। लेकिन जहां तक छतर पाल सिंह का सवाल है मुझे नहीं मालूम और न ही मैंने यह कहा कि मैं उनके विहेवियर को कंडैम करता हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : जहां तक छतर पाल सिंह का सवाल है उनके बारे में मैं पहले ही यहां पर आपको बता चुका हूँ कि उनका विहेवियर इस सैशन में ही नहीं बल्कि पहले सैशन में भी इस ढंग का रहा है कि उसको ठीक नहीं कहा जा सकता। स्पीकर को यह पावर है कि विधान सभा का जो दायरा है उसमें आने से वह उन मैम्बर्ज को रोक सकता है और इसके लिए जो ऑर्डर पास किए गए हैं वह बिल्कुल सही हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप डिकशनरी निकाल लो और उसमें प्रिसिंक्ट्स का मीनिंग देख लो कि क्या है क्योंकि वह किस्सा तो सैक्रेटेरियट के सामने जो पुल है, उस के पास का यानी उस तरफ का है। आपने जो ऑर्डर पास किए हैं तो उसकी कॉपी प्रैस को तो पहुँच गई है लेकिन उसकी कॉपी मैम्बर्ज को नहीं दी गयी। मैंने आप से 1993 के जो ऑर्डर थे, उसकी कॉपी भी मांगी थी लेकिन मुझे वह कॉपी भी नहीं मिली। आप मुझे उस ऑर्डर की कॉपी भी दे दो। क्या आज आप मुझे उनकी कॉपी दे देंगे। क्योंकि जब आपके ऑर्डर की कॉपी प्रैस को चली गई है तो कम से कम कंसर्नड मैम्बर को भी तो ऑर्डर की कॉपी मिलनी चाहिए। तो क्या आप मुझे 1993 वाले ऑर्डर की कॉपी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए, मैं आपको अभी बताऊंगा।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, यह बात बार-बार यहां पर रिपीट क्यों हो रही है। जब मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में अपनी बात कह दी है तो ये क्यों यही बात रिपीट कर रहे हैं। इनकी इस तरह की बातों से हाउस का समय नष्ट हो रहा है। अभी बजट पर डिबेट होनी है तथा इस डिबेट का जबाब भी बित्त मंत्री जी ने देना है। इसलिए मेरी आप से गुजारिश है कि आप बजट पर डिबेट करवाएं। उनके खिलाफ कार्यवाही नियम 102, 103 और 104 के मुताबिक ही हुई है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये यहां पर नियम पढ़ेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी ऐसी ही बात होगी। इसलिए मेरी आप से गुजारिश है कि आप इस तरह से हाउस का समय नष्ट न करवा कर बजट पर डिबेट शुरू करवाएं।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने आप से लिखकर इन ऑर्डर्ज की कॉपी मांगी है।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आप बैठिए।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यही प्रार्थना कर रहा था और राम बिलास जी ने भी यही बताया कि उन्होंने आपके चैम्बर में 8.30 बजे अपना आदमी भेजा था कि हमें इन ऑर्डर्ज की कॉपी मिलनी चाहिए जो आपने पास किए हैं। लेकिन आपके यहां से यह जवाब मिला कि इसकी कॉपी हाउस में ही मिलेगी। जब यह कॉपी प्रैस को दे दी गई है तो फिर मैम्बर को कॉपी आप के यहां से क्यों नहीं मिल सकती। यह बात नहीं होनी चाहिए और मैम्बर को ऑर्डर की कॉपी मिलनी चाहिए।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, जब आपने हाउस में ऐलान कर दिया और यहां पर पढ़कर भी सुना दिया फिर यह किस बात की कॉपी लेना चाहते हैं, यह हमें समझ में नहीं आता है। जो यह कह रहें

हैं कि आपके ऑर्डर की कॉपी सबको मिलनी चाहिए, क्या इनका यह कोई तरीका है ? यहां तो हर मैम्बर कोई न कोई बात रख देता है। जब आपने उन सारे ऑर्डर को पढ़कर सुना दिया तो फिर इनकी कॉपी की क्या जरूरत है ? ये बेकार ही हाउस का समय नष्ट कर रहे हैं। जो आप ने बोल दिया वहीं बात खत्म हो जाती है।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, ...

श्री अध्यक्ष : राम विलास शर्मा जी, आप बैठ जाइए। पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने सवा नौ बजे या नौ बजकर सत्ताईस मिनट पर कापी के लिए कहा और जो मैम्बर्ज थे, उनको कॉपी भेज दी गई। You were not the concerned member. अनाउंसमैंट इस हाउस में कल करनी थी लेकिन इसलिए नहीं की गई क्योंकि कल जीरो ऑवर नहीं था। राम विलास जी अब आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?

डॉ० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, पहले राम विलास जी बोलेंगे।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मेरी तो आप से यही गुजारिश थी की साढ़े आठ बजे मैंने आपके सचिवालय को फोन किया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभी तो आप कह रहे थे कि साढ़े आठ बजे दिया।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मेरी बात तो सुनें। आपके सैक्रेटरी ने कहा कि लिखकर भिजवाएं । मैंने लिखकर भिजवाया। हो सकता है कि मेरा आदमी 9-25 पर आ पाया हो। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि हम आपके हाउस के मैम्बर हैं क्या कॉपी मांगना हमारे अधिकार में नहीं है। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप हमारे प्रिविलेज मोशन को स्वीकार कर लें और और इस सारे मामले पर चर्चा कराएं। मैं आपके इस आर्डर की लाईन पढ़ता हूँ, इसमे आपने फर्माया है—

"Therefore, I hereby order that Shri Chhattarpal Singh shall not be allowed ....." उसमें आपने खुद माना है कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, राम विलास जी इस हाउस का समय बार-बार यह कह कर नष्ट कर रहे हैं कि मेरे को कॉपी नहीं मिली। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आप बैठ जाइए। कॉपी तो इन्होंने अपने मोशन के साथ भी लगाई हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इस ऑर्डर में खुद माना है कि—

"The Haryana Police was deployed after my approval." (Noise and Interputions.)

स्पीकर सर, ऐसी नौबत आज तक नहीं आई (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : They were deployed under the orders of the Speaker and they were to aid the Watch and Ward Staff of the Haryana Vidhan Sabha.

प्रो० राम विलास शर्मा : ठीक है, स्पीकर सर, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रिविलेज मोशन को स्वीकार कर इस पर चर्चा कराएं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी ने कहा था कि उससे पहले क्या कार्यवाही हुई। एक तो अंडर रूल-265 कर्ण सिंह दलाल ने जो मोशन किया था, उस पर हमारा जवाब था—

"Under Rule 265, your motion has been disallowed as the subject matter on the same issue has already been disallowed.

The matter is sub-judice and secondly the highest investigating agency is already seized of this matter i.e. Hawala Scandal.

Therefore, it does not require intervention of the Assembly.

C.M. has already categorically denied the allegation. Parliamentary Affairs Minister and Ch. Verender Singh, Power Minister, a senior Member of the House have already clarified the position on Hawala matter.

The newspaper/magazine reporting & wild rumours can not be the basis for discussing the matter on the floor of the House.

Shri Karan Singh Dalal kept on speaking without my permission and thus acted contrary to the Rules of Procedure on his right of speaking. This point was also raised by Parliamentary Affairs Minister that his speech may not be recorded as he was speaking without orders of the Speaker"

Even when I informed Mr. Dalal that this matter does not require intervention of the Assembly and requested him to resume his seat, still he kept on speaking. Shri Chhattarpal Singh also interrputed the proceedings. This fact can be verified from the record. When the motion for suspension of Rule 104 was brought by the Parliamentry Affairs Minister, I had no option but to place the same before the House and the House passed such an order. The House is the master of itself.

डॉ राम प्रकाश : स्पीकर सर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि सदन के बारे में और सदन के सदस्यों के बारे में जो आदेश स्पीकर महोदय पारित करें अगर उसकी कॉपी प्रैस को दी जा सकती हो लेकिन सदस्यों को न देना, क्या यह तर्क-संगत और शोभनीय बात है। मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री ऐ.सी. चौधरी) : स्पीकर सर, डैमोक्रेटिक नार्मज एंड प्रोसीजर के बारे में कौल एंड शकधर की बुक में स्पीकर की डियूटीज को बहुत कलीयरली क्लैरीफाई किया गया है। उसके मुताबिक कंडक्ट ऑफ स्पीकर, सैक्रेटरी और even Member of the Vidhan Sabha cannot be challenged or discussed in the House or even outside the House. अगर मेरी कंटेशन और नॉलेज सही है तो उसके बाद आपके किसी डायरैक्टिव/ऑर्डर को चैलैंज नहीं किया जा सकता। खासतौर पर इस इशू पर कि रूल 104 के तहत मोशन हाउस के सामने रखने के बाद उसे यूनानीमसली पास कर

दिया गया। एज़ स्पीकर आपने भी पास कर दिया उसके बाद इनके पास क्या औचित्य है कि ये स्पीकर के वर्शन को चैलेंज करें या उसकी क्लैरिफिकेशन मांगें। क्योंकि कौल एंड शकधर की बुक में क्लीयर है कि it cannot be challenged either inside the house or outside the House.

श्री अध्यक्ष : डॉ० राम प्रकाश जी, मैं आपको बता दूँ कि जनरली तो यह प्रैक्टिस रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्ज की कॉपी हम नहीं देते हैं। जैसा कि चौधरी बंसी लाल जी ने भी कहा, हाईकोर्ट तक को भी हम ने कॉपी नहीं दी। जहां तक मैम्थर्ज का ताल्लुक है उनको बताने के लिए अनाउंसमैंट हाउस में की जाती है। कल जीरो आवर में यह मामला आना था लेकिन कल जीरो आवर नहीं था इस लिए आज हाउस में वह अनाउंसमैंट कर दी है। चौधरी बंसी लाल जी, अब आप बोलिए। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, श्री ए.सी. चौधरी ने रैलेवेंट सैक्शन को कोट किया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि रूल 104 को कम्पलाई विद नहीं किया गया।

Rule 104 says—

"(1) The Speaker shall preserve order and have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions on all points of orders.

(2) He may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the Assembly and any member so ordered to withdraw shall do so fo forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting. If any member is ordered to withdraw a second time in the session, the Speaker may direct the member to absent himself from the meetings of the Assembly for any period not longer than the remainder of the session and the member so directed shall absent himself accordingly."

अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यही है कि आप ने इनको नेम नहीं किया और नेम करने से पहले सीधा सस्पैंशन का मोशन आ गया। मेरी सबमिशन यही है कि पहली मार्च की नियम-104 वाली जो कार्यवाही है, उसे हम देखना चाहते हैं कि वह क्या है? How do they comply with Rule 104.

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, रूलज ऑफ प्रोसीज़र एंड कंडक्ट ऑफ बिज़नैस के रूल-104,101, 102 और 103 हैं। ये साफ कहते हैं कि यदि रूल 103 पढ़ेंगे तो रूल 104 पढ़ना जरूरी नहीं है। रूल 103 में लिखा है कि—

"The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member who persists in irrelevence or in tedious repitition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech."

तो यह जो रूल-103 है, इस बारे में आपने पिछले 5 दिनों में कम से कम 20-25 बार इन मैंबरों को कहा। इन मैंबरों का इस ढंग का व्यवहार था, इसलिए हमें रूल-104 को सस्पैंड करने का मोशन लाना पड़ा और बाकी सैशन के लिए उनकी सस्पैंशन को असैंबली में एडोप्ट कर लिया। अब बार-बार इसी बात को परसिस्ट करना ठीक नहीं है। मेरी आप से गुजारिश है कि अब आप बजट पर डिबेट शुरू करवाएं। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि he has read rule 103 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. The rule 103 says that you can ask the member to discontinue his speech, and then comes rule 104 and the compliance of rule 104 was not done on that day. This is my humble submission.

श्री अध्यक्ष : यह मेरे सामने पढ़ दिया गया। चौधरी बंसी लाल जी, जब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर ने मोशन मूव किया, रूल-104 को सस्पैंड कर दिया गया और यह सारे हाऊस की अनुमति से हुआ है। (विघ्न एवं शोर)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले रूल-104 को यूज़ करना चाहिए था, न कि सीधे ही रूल-264-265 पर चले गए। रूल-104 की कम्पलाएंस नहीं हुई और point two, to adopt this pocedure was unprecedented in the history of the Assembly. It was quite unprecedented. (Interruptions)

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कल परसों जब मैंबर साहेबान को हाऊस से सस्पैंड किया गया तो वह आपकी तरफ से नहीं किया गया। अगर आप कोई एक्शन लेते तो उन्हें नेम करते, वार्निंग देते और सब कुछ करते। पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर उठे और उन्होंने एक मोशन मूव की। मोशन कैरी हो गई और उसके तहत उनको सस्पैंड कर दिया गया। चौधरी बंसी लाल जी तथा दूसरे मैंबरान कह रहे हैं कि पहले उनको नेम करना चाहिए था, वार्निंग देनी चाहिए थी और थर्ड स्टैप आप तब लेते जब वे दोनों स्टैप्स को बाएलेट कर देते। यह बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, परन्तु यहां तो हालात विपरीत हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो यहां बीच में थे ही नहीं। The Parliamentary Affairs Minister got up. He moved the motion, the motion was carried and they were suspended. इसलिए इसमें कोई बहुत झगड़े की बात नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉ० राम प्रकाश जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ। रूल-121 में लिखा है :—

"Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the Assembly and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being."

तो पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर साहब ने मूव किया कि रूल-104 को सस्पैंड कर दिया जाए। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। अभी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि आपने तो उनको नेम नहीं किया। सीधा मोशन पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर ले आए और वह मोशन कैरी हो गया। We are sorry to know that the hon'ble chair has been ignored. We would like to know the proceedings of the House as to what has happened on that day. (Interrputions & Noise)

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, यह इनका क्या तरीका है। हर बात पर प्वायंट आफ आर्डर लेकर खड़े हो जाते हैं। क्या आप इनकी हर बात का जवाब देंगे। इस तरह से हाउस कैसे चलेगा ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : ये पूछ रहे थे कि क्या मोशन मूव किया गया। पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने यह मोशन मूव किया था कि Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and moved the motion regarding suspension of both Sarvshri Chhattarpal Singh and Karan Singh Dalal. जहां तक आपका रूल 261 के तहत प्रिवलेज मोशन देने का सवाल है, वह अंडर कंसिडेशन है। उसके बारे में कल बात करेंगे। अब यह मामला यहां खत्म होता है। अब अगली कार्यवाही शुरू करते हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, * * * * * * *

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

बाढ़ राहत इत्यादि देने संबंधी

श्री अध्यक्ष : जो कुछ चौधरी बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

Now Shri Chhattar Singh Chauhan may read his calling attention notice No. 12.

Prof. Chhattar Singh Chauhan : Sir, I, Sarvshri Ram Bhajan and Om Parkash Beri, M.L.As. want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that the floods of September, 1995 had caused an immence loss to the property, life and crops in the State. The already ignored roads had been badly rendered unmotorable. The Kacha & pucca houses were damaged. Kharif crop was completely damaged. There are thousands acres of land where Rabi crop of 1995 could not be sown. Moreover, the water is still standing in the fields which should have been drained out by this time but due to the reasons best known to the Govt. it is still standing. The Haryana Government made a wide publicity that more than 600 crores of rupees has been given by the Central Government as flood aid besides its own expenses from the State exchequer. But there has been a great misuse in awarding compensation and other relief to the people in regard to the damage of crops, houses, shops, tubewells during the flood and afterwards.

Therefore, we request the Government to make a detailed statement on the floor of the House about the flood relief concerning all heads and the total amount received from the Centre and amount spent out of the State exchequer. The details of the amount received from the Centre whether it has been given as aid or loan, if loan the terms of repayment may also be stated.

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

राजस्व मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि पिछले वर्ष हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण सितम्बर, 1995 मे राज्य में बाढ़ आई जिसके फलस्वरूप सरकारी व निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा। वास्तव में जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। 2840 गावों व कुछ शहरों में 29 लाख

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

व्यक्ति इस बाढ़ से प्रभावित हुए, 17.84 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई, 65 हजार नलकूप व 2.22 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए, 167 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 2306 पशु मर गए। ऐसी भयंकर बाढ़ पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं देखी गई।

2. पहली प्राथमिकता के तौर पर राज्य सरकार ने युद्धस्तर पर बचाव तथा राहत कार्य आरम्भ किये। 152 किश्तियां तथा 44 ओ.बी.एम. कार्य में लगाये गये थे और 2 लाख लोगों को 321 राहत शिविरों में पहुँचाया गया, जहां उन्हें खाद्य साभग्री, दवाईयां, तथा दूध आदि प्रदान किया गया। भिवानी, रोहतक व जीन्द जिले के जलमग्न क्षेत्रों में भोजन, दवाईयां तथा दूध हवाई मार्ग से गिराए गये और सहायता कार्यों के लिए सेना की मदद भी प्राप्त की गई।

3. मुख्य मन्त्री हरियाणा ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का 2-3 बार हवाई सर्वेक्षण किया और जिला प्रशासन को बचाव व राहत कार्यों के लिए यथासम्भव निर्देश किए गये। बाढ़ की स्थिति से भारत सरकार को भी पूर्णतः अवगत करवाया जाता रहा।

4. मुख्यालय स्तर पर बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगाहें रखी गई। मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में एक क्राईसिज मैनेजमैंट ग्रुप बनाया गया जो दिन में दो बार बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करता था और जिला प्रशासन को निर्देश देता था। वास्तव में सरकार की सारी मशीनरी बचाव व राहत कार्यों में लगी रही।

5. बाढ़ से प्रभावित लोगों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने विभिन्न राहत की दरों को संशोधित किया। क्षतिग्रस्त मकानों की मुरम्मत के लिए सहायता की दरें दुगुनी कर दी गई तथा क्षतिग्रस्त नलकूपों की मुरम्मत के लिए सबसिडी 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई। इसी प्रकार एग्रीकल्चर इनपुट सबसिडी की दर 400 रुपये प्रति हैक्टेयर से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर कर दी गई। जिला रोहतक, भिवानी व हिसार के कई शहरों में जहां दुकानदारों को बाढ़ से नुकसान पहुँचा था को प्रथम बार मुआवजा दिया गया जिसकी दरें खोखा/रेहड़ी के लिए 5000 रुपये , छोटी दुकानों के लिए 10,000 रुपये तथा पूरी पक्की दुकानों के लिए 20,000 रुपये निर्धारित की गई। इसी प्रकार स्वयं रोजगार वाले व्यक्तियों जैसे नाई, मोची, साईकिल/स्कूटर मिस्त्री तथा मिस्त्री आदि को 500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता दी गई। पशुओं की मृत्यु के लिए दिये जाने वाले मुआवजे की दरें भी बढ़ा दी गईं।

6. राज्य सरकार ने 193.27 करोड़ रुपये की राशि उपायुक्तों को सरकार द्वारा निर्धारित राहत दरों पर मुआवजा प्रदान करने के लिए स्वीकृत की जिसमें से 29.2.96 तक 164.61 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है, जिसका जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	जिला	बांटा गया नकद मुआवजा (लाखों में)
1.	अम्बाला	462.82
2.	यमुनानगर	149.84
3.	कुरुक्षेत्र	265.93
4.	कैथल	1235.87
5.	पंचकूला	145.63

6.	हिसार	3280.81
7.	सिरसा	315.42
8.	भिवानी	2428.00
9.	जीन्द	2593.48
10.	रोहतक	3435.33
11.	सोनीपत	864.20
12.	पानीपत	194.77
13.	करनाल	211.34
14.	रिवाड़ी	383.74
15.	गुड़गांव	172.52
16.	फरीदाबाद	297.19
17.	महेन्द्रगढ़	23.60
		16460.49

इसके अतिरिक्त 157.76 करोड़ रुपये, जिसमें राज्य कोष से जारी 60.30 करोड़ रुपये शामिल हैं विभिन्न विभागों को क्षतिग्रस्त ढाचें की मुरम्मत के लिए स्वीकृत किये गये जिसका ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	विभाग का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	सिंचाई	3875.00
2.	स्वास्थ्य	265.00
3.	जन स्वास्थ्य	1810.00
4.	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	5947.00
5.	पशुपालन	529.00
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	1500.00
7.	स्थानीय स्वशासन	964.00
8.	शिक्षा विभाग	36.00
9.	ग्रामीण विकास विभाग	600.00
10.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	250.00
	कुल	15776.00

7. 21.89 लाख एकड़ भूमि पर बाढ़ का पानी खड़ा था। सभी नाले तथा नहरें अपनी क्षमता से ऊपर बह रहे थे। बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी का कोई प्राकृतिक साधन नहीं था। इस परिस्थिति में इतने अधिक क्षेत्र से बाढ़ के पानी की निकासी का कार्य बहुत मुश्किल तथा विशाल था। लेकिन सरकार ने इस परिस्थिति का सामना किया। जल निकासी का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया गया। सरकार नवम्बर 1995 तक लगभग सारे क्षेत्र से जल निकासी का कार्य करने में कामयाब हुई। जिस क्षेत्र से 30.11.95 तक जल निकासी नहीं करवाई जा सकी उस क्षेत्र के किसानों को ऐसी भूमि जो बीजी नहीं जा सकी हो लेकिन रबी 95 में बीजी गई हो के लिए 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। 20.2.96 को कुछ निचले इलाकों में ही बाढ़ का पानी खड़ा है जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

क्रमांक	जिला	भूमि (एकड़ में)
1.	रोहतक	9000
2.	भिवानी	710
3.	हिसार	145
4.	जीन्द	250
5.	नरवाना क्षेत्र	130
6.	कैथल	525
7.	सोनीपत (गोहाना क्षेत्र)	125
	कुल	10885 एकड़

8. जहां तक एक ध्यानाकर्षण सूचना नं० 6 मे वर्णित फरीदाबाद जिले की पलवल तहसील के गांवों का सम्बन्ध है, यह वर्णित है कि इस तहसील के गांवों में से बाढ़ का पानी निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ सेम वाले खेतों (water logged) निचले क्षेत्रों में पानी खड़ा है। इस क्षेत्र मे पानी की निकासी पर 12 लाख रुपये खर्च हुए हैं। पलवल तहसील में 16,80,200 रुपये बाढ़ राहत के लिए लाभान्वित व्यक्तियों को वितरित किये गये हैं।

9. यह सत्य है कि वर्ष 1995 में आई बाढ़ से सड़कों को काफी क्षति हुई है। 228 सड़कें जिनकी कुल लम्बाई 7435 कि०मी० है, क्षतिग्रस्त हुई हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। बाढ़ के कारण यातायात भी अवरूद्ध हुआ था। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरा सड़कों की मुरम्मत का कार्य बड़े स्तर पर प्रारम्भ किया गया। क्योंकि यह कार्य बहुत विशाल था इसलिए सड़कों की मुरम्मत का कार्य 4 एजेन्सीज को दिया गया ताकि सड़कों पर यातायात शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया जा सके। यह कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) शाखा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड और स्थानीय निकायों से करवाया गया। मैं इस महान सदन को यह बताते हुए हर्ष महसूस करता हूँ कि अब तक सभी सड़कों पर यातायात प्रारम्भ किया जा चुका है। मुख्य सड़कों की मुरम्मत करवाई जा चुकी है तथा ग्रामीण सड़कों की मुरम्मत का कार्य चल रहा है जो 31.3.96 तक पूर्ण होने की संभावना है।

10. सरकार के सीमित साधनों से राहत व बचाव कार्यों को करवाने तथा क्षतिग्रस्त ढांचे की मुरम्मत को करवाना सम्भव नहीं था। इसलिए मुख्य मन्त्री हरियाणा ने प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय वित्त मन्त्री, उपाध्यक्ष योजना आयोग से इस बारे में विचार विमर्श किया तथा स्थिति को गम्भीरता से निपटाने के लिए अधिकतम केन्द्रीय सहायता की मांग की। सरकार ने 12.9.95 को एक विस्तृत ज्ञापन भारत सरकार को प्रस्तुत किया और एक केन्द्रीय टीम ने तुरन्त 15.9.95 को राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमन्त्री जी ने इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप किया तथा भारत सरकार ने 39.41 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तथा 300 करोड़ रुपये अल्पावधि ऋण स्वीकृत किये। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, रोजगार आश्वासन योजना, हुडको, नाबार्ड, ग्रामीण जल सप्लाई आयोजना आदि के तहत अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई। इस प्रकार कुल सहायता 570 करोड़ रुपये बन गई।

11. भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपये का अलपावधि ऋण 13 प्रतिशत ब्याज की दर से जिसकी अदायगी 3 वर्ष मे होनी है, स्वीकृत किया था लेकिन राज्य सरकार इस ऋण को दीर्घावधि में जिसकी अदायगी 10 वर्षों में होनी हो तथा शर्तें उदार हों, में परिवर्तित करवाने का प्रयत्न कर रही है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को लिखा है और यह मामला केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन है।

12. यह ठीक नहीं है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को दिए गए मुआवजे तथा अन्य राहत में घोटाला हुआ है। सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राहत राशि वितरण का समस्त कार्य पारदर्शी हो अतः यह निर्णय लिया गया कि मुआवजे की राशि सार्वजनिक स्थानों पर, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही वितरित की जाए। बाढ़ राहत राशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारियों की टीमें चैकिंग के लिए भेजी थीं जिनके नोटिस में गड़बड़ का कोई मामला नहीं आया, लेकिन कुछ मामले उनके नोटिस में आए जहां पर राहत नहीं दी गई थी और ऐसे सभी मामले सम्बन्धित उपायुक्तों को निरीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिए गए। सभी पात्र व्यक्तियों को निर्धारित दरों पर मुआवजा प्रदान किया गया है।

13. 50 करोड़ रुपये की राशि जून, 1996 से पहले किये जाने वाले अल्पावधि बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए रखी गई है उसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा भी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मुरम्मत/पुनर्निर्माण आदि कार्यों के लिए धन राशि व्यय की गई है।

14. अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि राज्य सरकार स्थिति से पूरी तरह जागरूक है और बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद पहुँचाने के लिए तुरन्त पग उठाए गए हैं। मैं इस महान सदन को एक बार फिर यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों, मुजारों, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर/कम करने की पूरी कोशिश कर रही है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी।

12.00 बजे

Mr. Speaker : Now Shri Chhattar Singh Chauhan, Shri Ram Bhajjan Aggarwal and Shri Om Parkash Beri, M.L.As. may ask one question each.

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जो बाढ़ पर वक्तव्य दिया है, वह तथ्यों से परे है। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। (विघ्न) इस अखबार में लिखा है कि राहत राशि हरियाणा में सब से अधिक मेहम क्षेत्र मे बांटी गई क्योंकि राजस्व मन्त्री श्री डांगी साहब, मेहम से सदस्य हैं और यह राशि उनके द्वारा बांटी गई। अध्यक्ष महोदय, डांगी साहब यह बताएं कि क्या बचन सिंह आर्य की तरह पर्चियां देकर राशि दी गई कि यह विशेष व्यक्ति है या अति विशेष व्यक्ति है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि राहत राशि के वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप लैक्चर न दें, सवाल पूछें।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूँ, मंत्री जी ने बड़े तपाक से कह दिया कि बाढ़ राहत राशि में कोई घोटाला नहीं हुआ। इस समय मेरे साथी राम भजन अग्रवाल जी नहीं है। हमने चीफ सैक्रेटरी को लिख कर दिया और उसकी कॉपी इनको भी दी कि बाढ़ राहत का कार्य ठीक नहीं चल रहा। पानी ठीक से नहीं निकाला जा रहा है और पानी निकालने के लिए जिन्होंने ट्रैक्टर लगाए थे उनको पैसे की अदायगी नहीं की गई। इस प्रकार से मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूँगा कि भिवानी

[प्रो० छत्तर सिंह चौहान]

में बाढ़ राहत कार्यों के लिए कम्बल खरीदे गए थे परन्तु वे कम्बल किसी को बांटे नहीं गए। डी० सी० भिवानी ने उन कम्बलों को बांटना था। हरियाणा सरकार इस बात को देखे कि क्या वे कम्बल खरीदे भी गए अथवा यूँ ही बाँटे हुए दिखा दिए गए हैं। जहां तक सड़कों की मुरम्मत का ताल्लुक है, मुख्य मन्त्री महोदय और पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर कहते हैं कि सड़कों की मुरम्मत कर दी गई है लेकिन इनके अपने गांव से एक बहुत ही अहम सड़क जाती है ये बताएं क्या उसकी मुरम्मत हो गई है। पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर जी ने जहां जन्म लिया है खाण्डा में उसको भी बिल्कुल भूल गए हैं। भिवानी से जींद जाने वाली सड़क और दादरी से मेहम जाने वाली सड़क बुरी हालत में है। स्पीकर सर, 21 दिसम्बर को मुख्यमन्त्री जी मेरे गांव बौंद में गए थे । 21 तारीख को वहां पर सड़क पर हजारों मजदूर लगाए हुए थे लेकिन मुख्य मंत्री जी जिस दिन वहां आए उससे अगले दिन ही वहाँ से मजदूर हटा दिए गए। शायद ये ऐसा आर्डर करके आए थे। (विघ्न) मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन पर जो आक्षेप लगाए गए हैं ये उनका जवाब दे दें, सड़कों पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब यह बताएं कि सरकार ने सड़को का सुधार कर लिया है या कि अपना और अफसरों का ही सुधार कर लिया है। (विघ्न) साथ में यह भी बताएं कि रोहतक से हिसार, भिवानी से रोहतक, भिवानी से दादरी और दादरी से रोहतक तक जाने वाली सड़कों को ये कब तक ठीक करवा देंगे। क्या इस बारे में मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे। इसके साथ ही जो बाढ़ राहत देने की बात है उसमें भी इन्होंने लोगों के साथ बहुत कुठाराघात किया है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ में राहत देने के लिए दुकानदारों और मकान वालों के साथ कुठाराघात किया गया है। इसमें बहुत धपला हुआ है। इसके अलावा बाढ़ में जिनकी मौत हुई है उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया है। मेरे हल्के में मोनु नाम के लड़के की मृत्यु हो गयी और उसका पोस्टमार्टम 1.9.95 को हुआ था। इसके अलावा हनुमान गेट मुहल्ले में भी एक लड़के की बाढ़ में मृत्यु हो गई थी लेकिन उसके परिवार को भी मुआवजा देने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्या मंत्री जी उनके परिवार वालों को मुआवजा देने का आश्वासन देंगे। इसके साथ ही जिन लोगों की दुकानें और मकान बाढ़ की वजह से गिर गए थे उनको भी अभी तक मुआवजे की राशि नहीं दी गई है। क्या सरकार दोबारा से सर्वे करवा कर जो लोग हकदार हैं, उनको मुआवजा देने का प्रावधान करेगी। इस बारे में सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, यह मंत्री जी बताएं?

चौधरी ओम प्रकाश वेरी : अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले के सामने बांटा गया नकद मुआवजा पृष्ठ तीन पर 3435.33 लाख रुपये लिखा है और इस राशि को अलग-अलग मदों पर देने की बात कही है। तो मैं इनसे यह पूछना चाहूँगा कि मेरी कांस्टीचुएंसी में प्रभावित लोगों को कितने-कितने पैसे दिए गए, इस बारे में बताएं। अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीचुएंसी में हजारों लोगों ने मुआवजा न मिलने के बारे में शिकायतें की हैं और उनकी शिकायतों के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मुआवजा उन्हीं लोगों को दिया गया है जो उसके अधिकारी नहीं थे। क्या मंत्री जी मेरे हल्के में पात्र लोगों को मुआवजा देने का आश्वासन देंगे। इसके अलावा इन्होंने किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। ईख की फसल के बारे में मैंने प्रश्न भी पूछा था और यह इसी सैशन में पूछा था। किसानों की ईख की फसल बर्बाद हो गई है। इस बारे में सरकार की तरफ से अधिकारियों को कोई स्पेशल इन्स्ट्रक्शन नहीं गई है। अध्यक्ष महोदय, ईख की फसल का जिन लोगों का नुक्सान हुआ है, क्या उन लोगों को सरकार की तरफ से राहत देने के लिए अपने

अधिकारियों को यह आदेश देंगे या कोई सर्कुलर जारी करेंगे कि जिन किसानों की ईख की फसलों का नुकसान हुआ है उनको भी मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिन किसानों ने अपने खेतों में पानी उतरने के बाद जनवरी या फरवरी में अपनी फसल की बिजाई नहीं बल्कि बहाई कर ली थी ऐसे किसानों के लिए पहले जो अधिकारियों द्वारा तीन हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना निर्धारित किया गया था अब वह मुआवजा देने से ऐसे किसानों को वंचित किया जा रहा है। क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है। अगर इनके नोटिस में यह बात है तो क्या वे अधिकारियों को इस बारे में आदेश देंगे कि ऐसे किसानों को मुआवजा देने से वंचित न किया जाए जिन्होंने बीस दिसम्बर के बाद भी गलती से कोई दूसरी फसल की बिजाई कर ली है। गेहूँ की फसल की लेट वैरायटी की भी बीस दिसम्बर के बाद कास्त नहीं की जा सकती तो क्या सरकार इस तरह के किसानों को भी मुआवजा देने का प्रयास करेगी। इसके अलावा मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि जिन मकानों में बाढ़ की वजह से बहुत बड़ी-बड़ी दरारें आ गई थीं और इन दरारों की वजह से वे मकान रिहायश के काबिल नहीं रहे थे। इसलिए अब उन मकानों को डिमोलिश करना पड़ेगा लेकिन अधिकारियों ने इस तरह के मकानों के मालिकों को मुआवजा राशि देने से वंचित कर दिया है। इसलिए सर, मैं मंत्री जी से हाउस में यह आश्वासन चाहूँगा कि इस तरह की दरारों की वजह से जिन मकानों के गिरने का खतरा हो गया है और जो रिहायश के काबिल नहीं रहे क्या उन मकान मालिकों को भी मुआवजा दिया जाएगा या नहीं ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी चौहान साहब ने सबसे पहले मेहम क्षेत्र में बाढ़ की राशि बांटने के बारे में प्वायंट रखा है। मैं इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना नुकसान मेहम कांस्टीच्यूएंसी में इस बार बाढ़ की वजह से हुआ है उतना शायद पूरी स्टेट में भी कहीं पर नहीं हुआ है। (विघ्न) चौहान साहब, तेरे को बीच में बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और आपको अच्छी तरह से सुनना चाहिए।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, मंत्री महोदय ने मेरे बारे में जो "तेरे" शब्द कहा है तो इनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : क्या आपको बीच में बोलना शोभा देता है। अब तो सभी को यह शक होने लगा है कि आप प्रोफेसर भी हो या नहीं, पढ़े लिखे भी हो या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेहम क्षेत्र के बारे में कह रहा था कि आज भी वहां पर सात आठ हजार एकड़ जमीन में पानी खड़ा हुआ है। मेहम हल्के का ऐसा कोई भी गांव नहीं था जिसमें पानी न आया हो या कोई भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें पानी चारों तरफ खड़ा न हो। अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पर नुक्सान हुआ था, केवल मेहम हल्के में ही नहीं बल्कि सारी स्टेट में, चाहे वह नुक्सान फसल का हो, मकानों का हो या और कोई हो, उनको हर तरह से सरकार ने पूरा मुआवजा दिया है और आगे भी हर प्रकार की कोशिश मुआवजा देने की की जा रही है। इसी प्रकार से माननीय साथी ने यह भी कहा कि राहत राशि बांटने में काफी घोटाला हुआ है। मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि आज तक किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आयी है कि किसी ने किसी से दस रुपये भी मुआवजा राशि देने में लिए हों या और कोई गड़बड़ी की हो। अध्यक्ष महोदय, यह सारा काम जिस अच्छी तरह से जितनी जल्दी हुआ है, वह एक रिकार्ड की बात है। इसलिए ऐसा कहना मैं ठीक नहीं समझता कि राहत राशि बांटने में घपला हुआ है। इतना हो सकता है कि जो लोग इस राशि लेने के पात्र हैं, उनमें से कुछ परसैंट रह गए हों क्योंकि जो सर्वे करने वाले व्यक्ति हैं वे भी आदमी ही हैं, भगवान नहीं हैं। इसलिए इसमें दो चार परसैंट की गलती भी हो सकती है। परन्तु

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

सरकार ने फिर भी अलग-अलग टीमें भेजकर दो या तीन बार सर्वे करवाया है और इस काम को अच्छे ढंग से निपटाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग इस बात से संतुष्ट भी हैं। अध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर्ज के बारे में भी बात आयी। मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने यह पग उठाया है कि एकदम से अगर पानी निकालने के लिए मोटर वगैरह का इंतजाम न हो सके तो सरकार ने यह छूट कर दी कि ट्रैक्टरों से बर्मे वगैरह लगाकर जहां खेतों में पानी था, गांव में पानी था उसको निकाला इसी आधार पर रोहतक ज़िले में, भिवानी ज़िले में जहां भी आवश्यकता पड़ी किसानों ने अपने ट्रैक्टर लगाकर पानी निकाला। उसके बदले में उनको डीजल का पूरा भुगतान किया गया। उसके कुछ समय के बाद जब मोटर और पम्प उपलब्ध न हो सके तो उन किसानों को 60 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ट्रैक्टरों की अदायगी की गई। अगर किसी भाई को यह अदायगी न हुई हो तो ये बता दें, हम उसे चैक कर लेंगे। इसी तरह से कम्बल बांटने की बात आई। कम्बलों को हम अब तक रख कर क्या करेंगे, अब तो सर्दी भी चली गई। जितने भी कम्बल या खेस इत्यादि थे गरीब आदमियों को बांटने के लिए दिये गए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे डी०सी० भिवानी से पता लगा लें कि कंबल पड़े हुए हैं या नहीं? उन्होंने कहा है कि कम्बलों की खरीद में घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं बांट रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी आनंद सिंह डांगी : स्पीकर सर, इस बात का पता लगा लेते हैं। इसी तरह से मेरे साथी ने सड़कों के बारे में बात कही है कि बहुत सी सड़कें आज भी खराब पड़ी हैं। आज मैं समझता हूँ कि कोई भी नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, या ऐग्रोच रोड भी इस प्रदेश का बन्द नहीं है। यह जरूर कह सकते हैं कि इतनी बढ़िया हालत में न बन सकी हों क्योंकि रोडज इतनी ज्यादा डैमेज्ड थीं कि सालों साल में रिपेयर नहीं करवाई जा सकती थीं। सरकार ने जिस लगन और तत्परता के साथ काम किया है उससे मैं समझता हूँ कि आज हमारे प्रदेश का कोई भी रास्ता बंद नहीं है। जहां तक ऐग्रोच रोड्ज की रिपेयर की बात है, उसके बारे में कह ही दिया है कि 31-3-96 तक सभी सड़कों को रिपेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ मेरे माननीय साथी राम भजन अग्रवाल जी ने बाढ़ में बचने वाली बात कही और मरने वाले आदमियों को मुआवजा न देने की बात कही। तो मैं कहना चाहूँगा कि बाढ़ से 167 आदमियों के मरने की खबर हमारे रिकार्ड में है और उन सबके परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है। अगर किसी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई तो दूसरी बात है क्योंकि उसके बगैर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा कोई केस है तो हमें बता दें, उसकी जांच करवा लेते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मेरा काल अटैंशन मोशन था।

Mr. Speaker : This is not the proper time to speak. Please take your seat.

श्री राम भजन अग्रवाल : कुछ एरियाज में सर्वे नहीं किया।

चौधरी आनंद सिंह डांगी : ऐसा संभव नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा कुछ एरिया है जिसमें सर्वे नहीं हुआ तो आप बता दें, डी०सी० से कह कर दोबारा सर्वे करा देंगे। बेरी साहब ने एक बात रखी कि कांस्टीच्यूएंसी वाईज बता दें कि रोहतक में कितना-कितना मुआवजा बांटा गया है इसकी डिटेल अभी दे पाना संभव नहीं है क्योंकि मुआवजा अभी बांटा जा रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसलिए पूरा बांटने के बाद इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसके साथ-साथ कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उसके बारे में

शिकायत भी डी०सी० और एस०डी०एम० के पास एकदम जाती है। उनका सर्वे कराया जाता है।जो दरारें आ गई हैं, तरेड़ पड़ गई हैं उनके बारे में भी माननीय साथी ने कहा तो उसमें नार्मज बने हुए हैं अगर छोटी-मोटी दरारें हैं तो उनको मुआवजे का कोई हिसाब नहीं बनता है लेकिन अगर 25 परसैंट या उससे ऊपर तक का नुकसान है तो उसके हिसाब से अढ़ाई हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक का मुआवजा सरकार दे रही है। इस के साथ ही ईख के मुआवजे वाली बात एक साथी ने रखी है। एक तो बात यह है कि ईख को फसल में नहीं लिया गया है, आज तक यह मामला विचाराधीन है। गन्ने की फसल को ऐसा मानते हैं कि चाहे कितना ही प्रकृति का प्रकोप आ जाये परन्तु गन्ने की फसल खराब नहीं होती है। परन्तु आज यह मामला सदन के सामने आया है इसलिए सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है। इस बात पर जो भी फैसला सरकार लेगी उसके बारे मे सब को अवगत करा दिया जाएगा। 30.11.1995 तक जिनके खेतों में पानी खड़ा था, उन सबको मुआवजा दिया जाएगा। इस बात की बाकायदा गिरदावरी की जा रही है और उन किसानों को हर हालत में मुआवजा दिया जाएगा चाहे उन्होंने फसल ही क्यों न बो ली हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद या कोई प्राइवेट स्कूल या दूसरी प्राईवेट प्रापर्टीज हैं जिनका बाढ़ में नुकसान हुआ है क्या सरकार उनको मुआवजा देने पर विचार करेगी। जो प्राइवेट मकान बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, उनको बनाने के लिए भी क्या सरकार मुआवजा देने पर विचार करेगी। दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी मर गया है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर भी उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पानी आज तक खड़ा है और वहां दलदल है। मेरे इलाके में तीन चार गाँव, खरेड़ी, गुडाह, कटेसरा और बौन्द के पास भी कुछ ऐसे गाँव हैं तथा चौधरी बंसी लाल के हल्के का हालूवास गाँव है, जहाँ आज भी पानी खड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जहां आज भी पानी निकाला नहीं गया है और दलदल है, उसके लिए डिप्टी कमीशनर रोहतक ने बध्वा देखकर अजीब बात कही कि जमीदारों ने तीन हजार रुपये लेने के लिए फसल नहीं बोई। इस डिप्टी कमीशनर को यह पता नहीं की बध्वा पैदा कहां होता है और कहां फसल पैदा होती है।क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जहां पानी खड़ा है और जहां का सर्वे नहीं हुआ है वहां री-सर्वे करवाएंगे। यह बात मैं आत्म विश्वास से साथ कह रहा हूँ। एक दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जो जमीन के टेनैंट है अथवा जिन्होंने जमीन को बटाइदार को दे रखा है उनमें खेत के मालिक को मुआवजा मिलेगा या बंटाईदार को। क्योंकि बंटाईदार ने पाँच-छः हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खेत के मालिक को पहले ही दिया होता है। क्या यह आऊटगोइंग सरकार इस बारे में कोई विचार करेगी?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री अग्रवाल साहब ने पहला सवाल धार्मिक संस्थाओं के बारे में और प्राइवेट स्कूलों के बारे में रखा। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल वगैरह और प्राइवेट संस्थाओं के मामले हैं उनकी रिपेयर के लिए सरकार ग्रांट दे रही है। कुछ ग्रांट सरकार ने पहले भी दे दी है परन्तु धार्मिक संस्थाओं को कोई ऐड नहीं दी जा सकती। सार्वजनिक संस्थान लोगों द्वारा बनाए जाते हैं । सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को मुआवजा दे। जो दूसरी प्राइवेट संस्थाएं है, जो इकोनोमिकल हैं या कामर्शियल हैं, उनको भी मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही छत्तर सिंह जी ने दलदल वाली जमीन के बारे में मुआवजा देने के बारे कहा है। उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि जिस जमीन में 30.11.1995 तक पानी खड़ा

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

था, उसका हर हालत में तीन हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मेरी डिप्टी कमीशनर्ज से इस विषय में रोजाना बात होती है तथा इस मामले में कोई कोताही नहीं है। पिछले साल जिस जमीन की बिजाई नहीं हो सकी, चाहे वह दलदल की वजह से हो या बरानी की वजह से, उस जमीन को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि दलदल व सेम वाले इलाके में हमेशा ही पानी खड़ा रहता है। इसलिए ऐसी जमीन को मुआवजा देने वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ दूसरी बात जो रखी है, वह टेनैंट वाली बात है। इसमें जो जमीन मालिक है, जमीन का जिसका मालिकाना है, रैवेन्यू रिकार्ड में जिसकी मलकियत है, वह पैसा उसी को मिलेगा वह आगे टेनैंट को दे सकता है। यह आपसी भाईचारे की बात है। कौन आदमी कैसा निकलता है, इसमें कोई एक आध ही शायद इस तरह का केस आता है जिसने जमीन पट्टे पर दे रखी है और उस व्यक्ति ने पैसा आगे नहीं दिया हो। हमारे हिसाब से तो जिस आदमी के नाम जमीन है, उसी को पैसा मिलेगा।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : मंत्री महोदय कृपया यह बताएं कि जिस टेनैंट ने 5 हजार रुपए प्रति एकड़ दिए हैं, फिर भी उस बेचारे को मुआवजा क्यों न मिले ?

मुख्य मंत्री (चौ० भजन लाल) : चौधरी साहब, अगर रिकार्ड में वह मुजारा है, गिरदावरी उसके नाम है तो यह पैसा मुजारे को मिलेगा। इसी तरह से अगर पट्टे पर जमीन दे रखी है और पट्टानामा उसके नाम है, तो फिर जिसने पट्टा करवा रखा है उसको मिलेगा (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुजारे की कोई गिरदावरी नहीं होती। असलियत तो यह है कि ऐसे 10-15 प्रतिशत केस हों तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर 80 प्रतिशत ऐसी शिकायतें हैं तो क्या इस पर सरकार विचार कर सकती है ?

चौधरी भजन लाल : इस पर हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, यह मुआवजा राशि रिकार्ड के आधार पर ही मिलेगी। अगर गिरदावरी उसके नाम चल रही है जो कि मालिक है और मुजारा काश्त करता है तो काश्त करने वाले में तथा मालिक में तालमेल अच्छा है तो कोई झगड़ा नहीं। वैसे अच्छा तालमेल ही होगा तभी गिरदावरी वे मालिक के नाम करवा रहे हैं। काश्त तो वह खुद करता है और गिरदावरी मालिक के नाम करवा रहा है तो मालिक को भी यह पैसा मुजारे को देना चाहिए। अगर फिर भी कोई एक आध प्रतिशत शिकायत इसमें है तो इस पर हम विचार करेंगे।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश करना।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee in its second meeting.

The Committee recommends that unless the speaker otherwise directs, the Assembly whilst in session, shall meet on Thursday the 7th March, 1996 at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. and on Friday, the 8th March, 1996 will meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business on 7th March, 1996 and 8th March, 1996 be transacted by the Sabha as under :-

Thursday, the 7th March, 1996 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
	3.	General Discussion on Budget Estimates for the Year 1996-97 and reply by the Finance Minister.
	4.	Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budget Estimates for the year 1996-97.
Friday, the 8th March, 1996 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under Rule 15.
	3.	Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.
	4.	Papers to be laid on the table of the House.
	5.	Presentation of Assembly Committee Reports.
	6.	Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1996-97.
	7.	Legislative Business.
	8.	Any Other Business.

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the second report of the Business Advisory Committee.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move —

That this House agrees with the Recommendations contained in the second report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved —

That this House agrees with the Recommendations contained in the second report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is --

That this House agrees with the Recommendations contained in the second report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना —

(i) पब्लिक अकांउटस कमेटी की 41वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Hari Singh Nalwa, Chairman of the Public Accounts Committe will present the Report of the Public Accounts

[Mr. Speaker]

Committee for the year 1995-96, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the years 1990-91 and 1991-92.

Chairman, Committee on Public Accounts (Shri Hari Singh Nalwa) : Sir, I beg to present the Forty First Report of the Committee on Public Accounts for the year 1995-96, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the years 1990-91 and 1991-92.

(ii) कमेटी आन दी वैलफेयर आफ शिड्यूल्ड कास्टस एंड शिड्यूल्ड ट्राइवज की 21वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Lehri Singh, Chairman of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will present the Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes for the year 1995-96.

Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Sathi Lehri Singh) : Sir, I beg to present the Twenty first Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes for the year 1995-96.

(iii) एस्टीमेट्स कमेटी की 28वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Suraj Mal, Chairman of the Estimates Committee will present the Report of the Committee on Estimates for the year1995-96.

Chairman Estimates Committee (Shri Suraj Mal) : Sir, I beg to present the Twenty Eighth Report of the Committee on Estimates for the year 1995-96.

(iv) गवर्नमैंट अश्योरैंसिज कमेटी की 27वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Ram Bhajan Aggarwal, Chairman of the Committee on Government Assurances will present Report of the Committee on Government Assurances for the year 1995-96.

Chairman Committee on Government Assurances (Shri Ram Bhajan Aggarwal) : Sir, I beg to present the Twenty Seventh Report of the Committee on Government Assurances for the year 1995-96.

वर्ष 1996-97 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on the Budget for the year 1996-97 will take place. Smt. Chandravati may speake.

वाक आऊट

(When Smt. Chandravati was called upon to speak on the Budget the entire opposition present in the House stood and started shouting slogans against the presentation of the full year's Budget. Thereafter the members of the Haryana Vikas Party, Congress(T), unattached and B.J.P. present in the House staged a walk out.)

वर्ष 1996-97 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : चौधरी बंसी लाल जी यह आखिरी सैशन है इसको आप अटैंड कर लें आपका दोबारा यहां आना मुश्किल हो जाएगा। (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस बजट स्पीच के पैरा 115 में लिखा है कि हरियाणा का वित्तीय प्रबन्ध देश में सर्वोत्तम प्रबन्धों में से माना जाता है। इसलिए यह सरकार, वित्त मंत्री जी और सरकारी अधिकारी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा बजट बनाया और पेश किया। स्पीकर साहब, यह ठीक है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले साल बहुत भंयकर बाढ़ आई लेकिन बाढ़ के दौरान हमारी सरकार ने बडी दरियादिली से लोगो की सहायता की और उनको राहत दी।सरकार ने बाढ़ के दौरान लोगों को जो राहत दी वह बहुत ही प्रशंसनीय है और अच्छी बात है। मैं यह मानती हूँ कि हरियाणा प्रदेश के 3-4 जिले जींद, रोहतक, भिवानी और हिसार विशेषकर बाढ़ से प्रभाबित हुए। विशेषकर मेहम, दादरी, नारनौंद, और जींद का हिस्सा बाढ़ से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आज भी वहां पर पानी खड़ा है। यह बात भी ठीक है कि उन एरियाज के लोगों को राहत दी गई। कहीं कहीं पर अनियमितताए हो सकती हैं लेकिन आमतौर पर लोगों की तरफ से कोई शिकायत नही हैं कि उनको कोई राहत नही दी गई। मैं तो उन लोगो में से हूँ जो एक छोटी सी बात को भी प्वांइट आऊट करते हैं। मैं अपने जिले के डी०सी० को बधाई देना चाहूंगी। श्री राजन गुप्ता जिन्होंने रात को खड़े रह कर भी बाढ़ का पानी निकलबाया और उनके नीचे जो स्टाफ काम करता है उसने भी उस समय बहुत अच्छा काम किया। स्पीकर साहब, उस बाढ़ से लोग बहुत तबाह हो गए, उनको इतना मुआबजा देने के बाद भी वे आने वाले 4-5 साल तक उभर नही सकते। किसानों का पशुधन का भी बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को फोडर की समस्या भी है। आंखों की बीमारी भी फैली हुई है क्योंकि वह बाढ़ का गंदा पानी था। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो बजट पेश किया गया है उसमें कुछ और ज्यादा राहत देनी चाहिए थी। कुओं का बाढ़ के कारण बड़ा भारी नुकसान हुआ है। भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसके अन्दर हरिजनों के लिए मुफ्त कुएं बनाने का प्रावधान है। मैं कहना चाहती हूँ कि लोग उस स्कीम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं इसलिए वित्त मंत्री को भारत सरकार से उस स्कीम के लिए और ज्यादा पैसा मांगना चाहिए। इसके अलावा जो स्वर्ण जाति के लोग हैं जिनके पास किसी के पास पांच बीघे जमीन है और किसी के पास 10 बीघे जमीन है उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाए।इसके अलावा मैं एम० आई० टी० सी०के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इस कारपोरेशन का जो एम० डी० लगाया जाए उसको कम से कम खेती और कुओं का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। मेरे हल्के में ज्यादातर शैलो ट्यूबवेल्ज हैं। दूसरी जगहों पर भी शैलो ट्यूबवेल्ज हैं।जहां भी शैलो ट्यूबवेल्ज हैं यदि वे खराब हो जाते हैं तो 5-5 और 6-6 महीने तक वैसे ही पड़े रहते हैं उनकी मुरम्मत नही होती है। शैलो ट्यूबवेल्ज की मुरम्मत करने वाला जो दफ्तर रिवाड़ी में था उसको वहां का एम०डी०उठा कर गुड़गांव ले गया क्योंकि उसकी बीवी वहां पर सर्विस कर रही है। एम०आई०टी०सी०लोगों की सुविधा के लिए है किसी एम०डी० की सुविधा के लिए नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि एम०आई०टी०सी० का जो एम०डी० लगे वह वो लगे जिसे ट्यूबवैलों के बारे में और खेती के बारे में जानकारी हो।

सरकार भैंसों की खरीद के लिए तो लोन देती है लेकिन गाय खरीदने के लिए लोन नहीं दे रही। आज देहात में भैंसों के तो लंगार देखने को मिल जाएंगे लेकिन गायों के लंगार देखने को नही मिलते।जबकि

[श्रीमती चन्द्रावती]

अंग्रेजी साहित्य में भी इस बात का जिक्र है कि भारत की गाय सबसे अधिक दूध देने वाली है। सबसे ज्यादा शरीफ जानवरों में से भी गाय को ही माना गया है। इस लिए मेरी मांग है कि जिस प्रकार से भैंस खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा है उसी प्रकार से गाय खरीदने के लिए भी लोन दिया जाये। आज भी बहुत से लोग खेती बैलों से करते हैं भले ही ट्रैक्टर अधिक मात्रा में हो गए हों। इसलिए सबसिडी गाय खरीदने पर भी लोगों को दी जाए।

सरकार हथनीकुंड का नया बैराज बनाने जा रही है। यह भी अच्छी बात है। पुराना बांध काफी पुराना हो चुका है इसलिए इसे बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके बनाये जाने के बारें में काफी दिनों से सुना जा रहा है लेकिन काम शुरू नही हो सका। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको तुरंत बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई हानि न हो सके। यदि हम बरसात का पानी मैनेज कर लें और उसके लिए आऊटलैट का प्रबंध कर लें तो फिर हम बाढ़ के प्रकोप से भी बच सकते हैं। दादरी में रेलवे लाईन ब्रोडगेज की गई तो वहां पर जहां पहले 23 आऊटलेट थे अब 3 रह गए। इस कारण पानी की निकासी ठीक प्रकार से न होने से दादरी शहर बाढ़ की चपेट में आ गया और सारी सड़के टूट गयी। ऐसा होने पर सभी लोग सफर करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार सड़कें तो उंची कर रही है लेकिन उस पर से पानी की निकासी का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं कर रही है जिस कारण उनके फिर टूट जाने का बराबर खतरा बना रहता है। इस लिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सड़कों पर से पानी निकाले जाने का इंतजाम ठीक होना चाहिए। हमारे जो शहर और कस्बे हैं वहां पर सड़कों के ऊपर और दोनों तरफ पानी खड़ा रहता है जिस कारण उन सड़कों की बुरी हालत है और आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। वे सड़कें आम तौर पर टूटी रहती हैं। इस लिए मेरी मांग है कि इस निकासी का प्रबन्ध करके उस पानी को ट्रीट करने का भी प्रबन्ध किया जाये। जब हम हर जगह सिवरेज सिस्टम नही बना सकते तो हमें पानी की निकासी और ट्रीट करने की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। पानी ठीक निकलने का प्रबन्ध हो तो उसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ता और न ही बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। हमारे रोहतक, हिसार, अम्बाला या दूसरे शहर हैं उनमें नई नई जो बस्ती हैं उनमें पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध न होने के कारण वहां पर रहने वाले लोगों की बहुत बुरी हालत है। कुछ लोग जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शहर आते हैं उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। लोगों ने ऐसे शहरों में अच्छी अच्छी कोठियां तो बना रखी हैं लेकिन उनके पानी की निकासी का प्रबन्ध न होने के कारण उनकी दुर्दशा है। रोहतक शहर में विकास नगर के अन्दर लोगों ने खुद सिवरेज का सिस्टम अपनाया है, यह भी अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली और पानी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं क्योंकि बिजली से पानी निकलता है और पानी से बिजली बनती है। वैसे कोयले से भी बिजली बनती है। सरकार अब बिजली के लिए शिवालिक पहाड़ियों में बांध बनाने का जो प्रबन्ध कर रही है वह भी अच्छा कदम है। हमारे यहां पर जो लोग बिजली का कनैक्शन लेते हैं वे अधिकतर सामान अपना लेते हैं।

स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह ठीक है कि लोगों को बिजली मिल रही है लेकिन ट्रिपिंग काफी हो रही है। इसके साथ ही ट्रांसफार्मरज की भी प्रोब्लम है, गांवों में इसको टंकी कहते हैं। आज टंकी लगा कर जाते हैं और दूसरे दिन ही वह जल जाती है। ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि वह कुछ दिन तो ठीक ठाक चले। कुछ लोग तो कनैक्शन के लिए सामान खरीद लाते हैं लेकिन गरीब आदमी

Thursday, the 7th March, 1996 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
	3.	General Discussion on Budget Estimates for the Year 1996-97 and reply by the Finance Minister.
	4.	Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budget Estimates for the year 1996-97.
Friday, the 8th March, 1996 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under Rule 15.
	3.	Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.
	4.	Papers to be laid on the table of the House.
	5.	Presentation of Assembly Committee Reports.
	6.	Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1996-97.
	7.	Legislative Business.
	8.	Any Other Business.

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the second report of the Business Advisory Committee.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move —

That this House agrees with the Recommendations contained in the second report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved —

That this House agrees with the Recommendations contained in the second report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is --

That this House agrees with the Recommendations contained in the second report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना —

(i) पब्लिक अकांउटस कमेटी की 41वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Hari Singh Nalwa, Chairman of the Public Accounts Committe will present the Report of the Public Accounts

[Mr. Speaker]

Committee for the year 1995-96, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the years 1990-91 and 1991-92.

Chairman, Committee on Public Accounts (Shri Hari Singh Nalwa) : Sir, I beg to present the Forty First Report of the Committee on Public Accounts for the year 1995-96, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the years 1990-91 and 1991-92.

(ii) कमेटी आन दी वैलफेयर आफ शिड्यूल्ड कास्टस एंड शिड्यूल्ड ट्राइबज की 21वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Lehri Singh, Chairman of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will present the Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes for the year 1995-96.

Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Sathi Lehri Singh) : Sir, I beg to present the Twenty first Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes for the year 1995-96.

(iii) एस्टीमेट्स कमेटी की 28वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Suraj Mal, Chairman of the Estimates Committee will present the Report of the Committee on Estimates for the year1995-96.

Chairman Estimates Committee (Shri Suraj Mal) : Sir, I beg to present the Twenty Eighth Report of the Committee on Estimates for the year 1995-96.

(iv) गवर्नमैंट अश्योरैंसिज कमेटी की 27वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Ram Bhajan Aggarwal, Chairman of the Committee on Government Assurances will present Report of the Committee on Government Assurances for the year 1995-96.

Chairman Committee on Government Assurances (Shri Ram Bhajan Aggarwal) : Sir, I beg to present the Twenty Seventh Report of the Committee on Government Assurances for the year 1995-96.

वर्ष 1996-97 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on the Budget for the year 1996-97 will take place. Smt. Chandravati may speake.

वाक आऊट

(When Smt. Chandravati was called upon to speak on the Budget the entire opposition present in the House stood and started shouting slogans against the presentation of the full year's Budget. Thereafter the members of the Haryana Vikas Party, Congress(T), unattached and B.J.P. present in the House staged a walk out.)

वर्ष 1996-97 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : चौधरी बंसी लाल जी यह आखिरी सैशन है इसको आप अटैंड कर लें आपका दोबारा यहां आना मुश्किल हो जाएगा। (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस बजट स्पीच के पैरा 115 में लिखा है कि हरियाणा का वित्तीय प्रबन्ध देश में सर्वोत्तम प्रबन्धों में से माना जाता है। इसलिए यह सरकार, वित्त मंत्री जी और सरकारी अधिकारी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा बजट बनाया और पेश किया। स्पीकर साहब, यह ठीक है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले साल बहुत भंयकर बाढ़ आई लेकिन बाढ़ के दौरान हमारी सरकार ने बड़ी दरियादिली से लोगो की सहायता की और उनको राहत दी। सरकार ने बाढ़ के दौरान लोगों को जो राहत दी वह बहुत ही प्रशंसनीय है और अच्छी बात है। मैं यह मानती हूँ कि हरियाणा प्रदेश के 3-4 जिले जींद, रोहतक, भिवानी और हिसार विशेषकर बाढ़ से प्रभावित हुए। विशेषकर मेहम, दादरी, नारनौंद, और जींद का हिस्सा बाढ़ से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आज भी वहां पर पानी खड़ा है। यह बात भी ठीक है कि उन एरियाज के लोगों को राहत दी गई। कहीं कहीं पर अनियमितताए हो सकती हैं लेकिन आमतौर पर लोगों की तरफ से कोई शिकायत नही हैं कि उनको कोई राहत नही दी गई। मैं तो उन लोगो में से हूँ जो एक छोटी सी बात को भी प्वांइट आऊट करते हैं। मैं अपने जिले के डी०सी० को बधाई देना चाहूंगी। श्री राजन गुप्ता जिन्होंने रात को खड़े रह कर भी बाढ़ का पानी निकलवाया और उनके नीचे जो स्टाफ काम करता है उसने भी उस समय बहुत अच्छा काम किया। स्पीकर साहब, उस बाढ़ से लोग बहुत तबाह हो गए, उनको इतना मुआवजा देने के बाद भी वे आने वाले 4-5 साल तक उभर नही सकते। किसानों का पशुधन का भी बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को फोडर की समस्या भी है। आंखों की बीमारी भी फैली हुई है क्योंकि वह बाढ़ का गंदा पानी था। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो बजट पेश किया गया है उसमें कुछ और ज्यादा राहत देनी चाहिए थी। कुओं का बाढ़ के कारण बड़ा भारी नुकसान हुआ है। भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसके अन्दर हरिजनों के लिए मुफ्त कुएं बनाने का प्रावधान है। मैं कहना चाहती हूँ कि लोग उस स्कीम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं इसलिए वित्त मंत्री को भारत सरकार से उस स्कीम के लिए और ज्यादा पैसा मांगना चाहिए। इसके अलावा जो स्वर्ण जाति के लोग हैं जिनके पास किसी के पास पांच बीघे जमीन है और किसी के पास 10 बीघे जमीन है उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। इसके अलावा मैं एम० आई० टी० सी०के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इस कारपोरेशन का जो एम० डी० लगाया जाए उसको कम से कम खेती और कुओं का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। मेरे हल्के में ज्यादातर शैलो ट्यूबवेल्ज हैं। दूसरी जगहों पर भी शैलो ट्यूबवेल्ज हैं। जहां भी शैलो ट्यूबवेल्ज हैं यदि वे खराब हो जाते हैं तो 5-5 और 6-6 महीने तक वैसे ही पड़े रहते हैं उनकी मुरम्मत नही होती है। शैलो ट्यूबवेल्ज की मुरम्मत करने वाला जो दफ्तर रिवाड़ी में था उसको वहां का एम०डी०उठा कर गुड़गांव ले गया क्योंकि उसकी बीवी वहां पर सर्विस कर रही है। एम०आई०टी०सी०लोगों की सुविधा के लिए है किसी एम०डी० की सुविधा के लिए नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि एम०आई०टी०सी० का जो एम०डी० लगे वह वो लगे जिसे ट्यूबवैलों के बारे में और खेती के बारे में जानकारी हो।

सरकार भैंसों की खरीद के लिए तो लोन देती है लेकिन गाय खरीदने के लिए लोन नहीं दे रही। आज देहात में भैंसों के तो लंगार देखने को मिल जाएंगे लेकिन गायों के लंगार देखने को नही मिलते। जबकि

[श्रीमती चन्द्रावती]

अंग्रेजी साहित्य में भी इस बात का जिक्र है कि भारत की गाय सबसे अधिक दूध देने वाली है। सबसे ज्यादा शरीफ जानवरों में से भी गाय को ही माना गया है। इस लिए मेरी मांग है कि जिस प्रकार से भैंस खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा है उसी प्रकार से गाय खरीदने के लिए भी लोन दिया जाये। आज भी बहुत से लोग खेती बैलों से करते हैं भले ही ट्रैक्टर अधिक मात्रा में हो गए हों। इसलिए सबसिडी गाय खरीदने पर भी लोगों को दी जाए।

सरकार हथनीकुंड का नया बैराज बनाने जा रही है। यह भी अच्छी बात है। पुराना बांध काफी पुराना हो चुका है इसलिए इसे बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके बनाये जाने के बारें में काफी दिनों से सुना जा रहा है लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको तुरंत बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई हानि न हो सके। यदि हम बरसात का पानी मैनेज कर लें और उसके लिए आऊटलैट का प्रबंध कर लें तो फिर हम बाढ़ के प्रकोप से भी बच सकते हैं। दादरी में रेलवे लाईन ब्रोडगेज की गई तो वहां पर जहां पहले 23 आऊटलेट थे अब 3 रह गए। इस कारण पानी की निकासी ठीक प्रकार से न होने से दादरी शहर बाढ़ की चपेट में आ गया और सारी सड़के टूट गयी। ऐसा होने पर सभी लोग सफर करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार सड़कें तो उंची कर रही है लेकिन उस पर से पानी की निकासी का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं कर रही है जिस कारण उनके फिर टूट जाने का बराबर खतरा बना रहता है। इस लिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सड़कों पर से पानी निकाले जाने का इंतजाम ठीक होना चाहिए। हमारे जो शहर और कस्बे हैं वहां पर सड़कों के ऊपर और दोनों तरफ पानी खड़ा रहता है जिस कारण उन सड़कों की बुरी हालत है और आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। वे सड़कें आम तौर पर टूटी रहती हैं। इस लिए मेरी मांग है कि इस निकासी का प्रबन्ध करके उस पानी को ट्रीट करने का भी प्रबन्ध किया जाये। जब हम हर जगह सिवरेज सिस्टम नहीं बना सकते तो हमें पानी की निकासी और ट्रीट करने की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। पानी ठीक निकलने का प्रबन्ध हो तो उसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ता और न ही बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। हमारे रोहतक, हिसार, अम्बाला या दूसरे शहर हैं उनमें नई नई जो बस्ती हैं उनमें पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध न होने के कारण वहां पर रहने वाले लोगों की बहुत बुरी हालत है। कुछ लोग जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शहर आते हैं उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। लोगों ने ऐसे शहरों में अच्छी अच्छी कोठियां तो बना रखी हैं लेकिन उनके पानी की निकासी का प्रबन्ध न होने के कारण उनकी दुर्दशा है। रोहतक शहर में बिकास नगर के अन्दर लोगों ने खुद सिवरेज का सिस्टम अपनाया है, यह भी अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली और पानी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं क्योंकि बिजली से पानी निकलता है और पानी से बिजली बनती है। वैसे कोयले से भी बिजली बनती है। सरकार अब बिजली के लिए शिवालिक पहाड़ियों में बांध बनाने का जो प्रबन्ध कर रही है वह भी अच्छा कदम है। हमारे यहां पर जो लोग बिजली का कनैक्शन लेते हैं वे अधिकतर सामान अपना लेते हैं।

स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह ठीक है कि लोगों को बिजली मिल रही है लेकिन ट्रिपिंग काफी हो रही है। इसके साथ ही ट्रांसफार्मरज की भी प्रोब्लम है, गांवों में इसको टंकी कहते हैं। आज टंकी लगा कर जाते हैं और दूसरे दिन ही वह जल जाती है। ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि वह कुछ दिन तो ठीक ठाक चले। कुछ लोग तो कनैक्शन्ज के लिए सामान खरीद लाते हैं लेकिन गरीब आदमी

सामान नहीं ला सकता है। उनके ट्यूबवैल्ज को भी कनैक्शन्ज़ मिलने चाहिएं। यह ठीक है कि 4 साल में कनैक्शन्ज़ की संख्या काफी बढ़ी है। सतनाली महेन्द्रगढ़ रेंज का एक यूनिट है और वहां पर 300-350 ट्यूबवैल्ज को बिजली के कनैक्शन्ज़ मिले हुए थे लेकिन अब वहां पर साढ़े नौ सौ या सवा नौ सौ के करीब ट्यूबवैल्ज़ कनैक्शन्ज़ मिले हुए हैं। इस प्रकार से बिजली की खप भी काफी बढ़ गई है। इस लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें वहां गावों में भी जानी चाहिएं और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहां पर तारें भी जानी चाहिएं और टंकी भी जानी चाहिए। इसके साथ ही स्टाफ भी बढ़ाया जाना चाहिए बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। मेरे हल्के में बादंड़ा में स्टाफ ही नहीं है। वहां पर दो ही आदमी हैं और दोनों ही शराब पिये रहते हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं जो बातें कहती हूँ उनके बारे में चिट्ठी लिख कर भी भेजती हूँ। जहां भी शिकायत मुझे मिलती है मैं चिट्ठी जरूर लिखती हूँ। स्पीकर साहब, कुछ हिस्से में भंयकर बाढ़ आ गई थी और फसल तबाह हो गई। कुछ हिस्से में अच्छी फसल हो जाती तो ठीक बात थी लेकिन बरसात बहुत ज्यादा हो गई और कहीं कहीं ओले भी पड़ गये। आजकल जहां भी ओले पड़ जाएं वहां फसल का सर्वनाश हो जाता है क्योंकि फसल औलों से टूट जाती है और दोबारा फूटती नहीं है। स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री जी ने कोई भी नये टैक्स नहीं लगाए हैं बल्कि कुछ चीजों पर कन्सेशन्ज दिए गए हैं। स्पीकर साहब, मेरे यहां लोहारू में 33 के० वी० से 132 के० वी० का पावर हाऊस तैयार हो रहा है। उसका काम धीरे-धीरे हो रहा है। मैं विद्युत मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगी कि उसका काम थोड़ा तेजी से किया जाए। इसी प्रकार से सतनाली में 32 के० वी० का पावर हाऊस है उसको 132 के० वी० का कर दिया जाए। इसी प्रकार से मैं पी० डब्ल्यू० डी० से सम्बन्धित कुछ कामों का जिक्र करना चाहती हूँ। लोहारू में सचिवालय की बिल्डिगं बन रही है लेकिन उसका काम भी तेजी से होना चाहिए। मेरे यहां पर एक ही आई० टी० आई० है वहां पर जो भी मास्टर या प्रिंसिपल लगा कर भेजा जाता है वह कहता है कि आई०टी०आई० वहां नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को वहां पर मत लगाएं। यह बात मैं मानती हूं कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर तो बिल्डिंग्ज लोग बना कर दे देते हैं लेकिन लोहारू इतना बड़ा शहर नहीं है कि वहां पर कोई बड़ा आदमी बिल्डिंग बना कर दे दे। इसलिए सरकार को वहां पर बिल्डिंग भी जल्दी बनानी चाहिए और आई०टी०आई० के जरिए बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए। चाणक्य ने लिखा था कि हर आदमी को धन कमाने की विद्या आनी चाहिए। स्पीकर सर, धन कमाने की विधा का मतलब यह नहीं है कि हेरा फेरी से धन कमाया जाए। बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आज का युग वैज्ञानिक युग है। अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नकल का काम कुछ कम हुआ है लेकिन नकल एकदम मिटी नहीं है नकल रोकने का काम जरूर हुआ है। जिन लोगों ने गलत काम किया उनमें से कुछ को सज़ा दी गई है और सज़ा दी भी जानी चाहिए थी।

शिक्षा में लड़कियों के लिए कोई होस्टल का प्रावधान नहीं है जोकि होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैचिंग ग्रान्ट अवेलेबल है।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार खुद ही होस्टल बनवाए तो यह अच्छी बात होगी। आज लड़कियों को बसों में जाने की बहुत दिक्कत होती है। आज सामाजिक व्यवस्था बहुत ही बिगड़ गई है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि आज बहुत ही वैड एलीमेंट हैं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सड़क पर लड़की जा रही हो तो बसों में से उन पर थूक देते हैं। उनसे छेड़छाड़ करते हैं सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। आज गांवों और कस्बों में इतने गलत काम हो रहे हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। सरकार को इन वैड एलीमैंटस के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिएं।

[श्रीमती चन्द्रावती]

इसके बाद मैं पर्यावरण के बारे में कहना चाहती हूँ। आज शहरों और गांवों में बहुत गंदगी हो गई है, वहां से गंदे पानी को निकालने के लिए प्रबन्ध होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, पहले सड़कों पर हरियाली ही हरियाली होती थी लेकिन अब कुछ भी नहीं है। सड़कों के किनारों पर इनको नीम के पेड़ लगाने चाहिएं। पहले तो ये कहते थे कि दक्षिण वाले आब्जैक्शन करते हैं। अब तो उन्होंने भी हां कर दी है। मैं आपको एक बात बताती हूं कि एक यूनान का वैद्य था और एक हिन्दुस्तान का हकीम था दोनों में यह बात हो गई कि कौन बढ़िया है। तो हिन्दुस्तान वाले ने कहा कि मैं तुम्हें अपना आदमी भेज कर संदेश भेजूंगा। हिन्दुस्तान के हकीम ने एक आदमी को कहा कि वहां चला जा और किक्कर के पेड़ों के नीचे से होते हुए जाना। वह आदमी चला गया और जब यूनान वाले ने पूछा कि क्या संदेश भेजा है तो उसने कहा कि संदेश तो नहीं है लेकिन मैं यहां पहुंचते-पहुंचते बीमार पड़ गया हूँ। वह समझ गया और उसने कहा कि अब तुम नीम के पेड़ के नीचे-नीचे से होते हुए वापिस चले जाओ और हकीम को कहना कि यही मेरा संदेश है। वह आदमी यहां तक पहुंचते-पहुंचते ठीक हो गया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि नीम में बहुत गुण हैं इसलिए इनको भी सड़कों के किनारों पर नीम के पेड़ लगाने चाहिएं। आज उसकी जगह पर सड़कों के किनारों पर सफेदे के पेड़ लगे हुए हैं जिस पर न तो पक्षी अपना घोंसला बना सकता है और न ही वह किसी और काम आता है। अध्यक्ष महोदय, बबूल और झाड़ के पेड़ भी बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि जहां पर झाड़ का पेड़ होता है उसके आस-पास खेती बहुत ही अच्छी होती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जहां पर ज्यादा पानी होता है वहां पर यह पेड़ नहीं होता है। हां मैं एक बात के लिए आपको बधाई देना चाहती हूं कि मैं राजस्थान में गई थी और वहां के लोग यह कहते हैं कि हम भी राजस्थान को हरियाणा की तरह बनाना चाहते हैं क्योंकि आज हरियाणा ने बहुत तरक्की की है। अध्यक्ष महोदय, यह जो झाड़ का पेड़ है यह बहुत ही अच्छा है। उसके साथ-साथ ढाक का पेड़ है, यह भी बहुत ही उपयोगी है। आज जो हम गुलाल से होली खेलते हैं, वह गुलाल इनकी छाल से बनता था और वह गुलाल आंख में भी गिर जाता था तो कोई नुकसान नहीं होता था। अब जो गुलाल आता है उससे तो आँख फूट जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि जो अच्छे अच्छे पेड़ नेस्तनाबूद हो रहे हैं, उनके लिए दोबारा से बजट में पैसा रखा जाना चाहिए और ऐसे पेड़ों को लगाना चाहिए। (विघ्न) स्पीकर सर, अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगी। पी०डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर मेरे पास ही बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे हल्के में एक जलसे में आश्वाशन दिया था कि सतनाली की सड़क बना दी जाएगी। यह सड़क राजस्थान को जाती है। राजस्थान के हिस्से में तो धनोटी तक यह सड़क बनी हुई है लेकिन हरियाणा के हिस्से में यह सड़क अभी तक नहीं बनी है जिसकी वजह से वहां के पांच-सात गांवों को बहुत दिक्कत होती है। ये गांव राजस्थान के बोर्डर पर ही पड़ते हैं। अगर यह सड़क बन जाएगी तो वहां के लोगों को बहुत भारी सुविधा हो जाएगी। इस सड़क के नजदीक सिवानी और राजगढ़ बगैरह छोटे-छोटे कस्बे पड़ते हैं। इसलिए इस सड़क का बनना जरूरी है। यह ठीक है कि सड़कों का काम हुआ है लेकिन अभी भी कई सडकें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं। इसलिए चाहे आप बजट में ज्यादा पैसा रखें लेकिन सड़कें ठीक होनी चाहिएं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आजकल तो एक नया फैशन चल गया है कि सड़क पर कोई काला काला सा कौसमैटिक पाउडर डाल देते हैं जोकि दो दिन तो अच्छा लगता है लेकिन तीसरे दिन वह बेकार हो जाता है। इस पाउडर से सडकें अच्छी तो दिखती हैं लेकिन इससे सड़कों को कोई फायदा नहीं होता है। (विघ्न) जो रोड रोलर हैं जो कि सड़कों पर वजन डालते हैं वे बहुत ही हल्के हैं। इसलिए ये रोड रोलर भारी होने चाहिएं ताकि ये सड़कें बनाते समय पूरा वजन डाल सकें और सही तरीके से काम कर सकें। इनके हल्के होने के कारण जो रेत के अन्दर हवा होती है वह पूरी तरह से नहीं निकल पाती।

स्पीकर सर, मैं यह बात पहले भी कह चुकी हूँ कि सड़क की तरफ मुंह करके कोई बिल्डिंग या दुकान नहीं बनानी चाहिए क्योंकि यह डिफैंस के लिए खतरनाक है। आज हमारी दुकानें और जो शो रूम हैं शहरों की सारी सड़कों पर भी उनका सामान बिखरा रहता है। चाहे यह दुकान मोटर ठीक करने वाले की हो या कपड़े वाले की हो। स्पीकर सर, चाहे उसका कपड़ा गंदा हो जाए लेकिन वह कपड़ा रखता अपनी दुकान के बाहर ही है। अगर इन दुकानों का मुंह सड़कों की तरफ नहीं होगा तो उसका कपड़ा भी गंदा नहीं होगा और सड़कों पर चलने वाले लोगों को भी परेशानी नहीं आएगी। इस काम को तो सरकार को करना ही चाहिए क्योंकि आज पैदल आदमी भी सड़कों पर नहीं चल सकता। सर, अब मैं पीने के पानी के बारे में कहना चाहूंगी। वैसे तो आपने इस काम के लिए बजट में काफी पैसा रखा है लेकिन मैं मीठी गांव के बारे में लगातार 4 साल से कहती चली आ रही हूं कि उस गांव में पीने का पानी नहीं है। सरकार को उस गांव में पीने का पानी पहुंचाना चाहिए परन्तु आज तक भी वहां पीने का पानी नहीं पहुंचा है। कालूवास, चौधरी वास , बढेवा और रामदास की ढाणी के गांवों के लोग उस गांव में नहर का पानी नहीं आने देते। वह नहर का पानी पहले ही काट लेते हैं। उनको कोई मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उनमें से दो गांव तो मुख्यमंत्री जी के हल्के के हैं और दो गांव पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर के हल्के के हैं। मीठी गांव बहुत बड़ा है लेकिन इन गांवों के लोग पानी आगे जाने ही नहीं देते। मैं बिजली मंत्री जी से दर्खास्त करूंगी कि उनके कुओं के 13.00 बजे लिए आप उनको कनैक्शन दे दें। गांवों में जो पीने के पानी की पाइपें गई हैं उनका यह टैस्ट नहीं किया गया कि ज्यादा देर अगर उनमें पानी रहे तो क्या वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो मैं आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बजट में तो उनका प्रावधान कर दिया लेकिन साथ ही यह भी देखें कि जो पाईपें हैं वे ठीक हों। यह ठीक है कि गवर्नमैंट गांवों में सैनीटेशन के काम के लिए सामान भेजती है लेकिन कई जगह फाल्स फिग्गर्ज दे देते हैं। कितने सामान का उसमें गबन किया गया है, इस बात की भी जाँच होनी चाहिए। सैनीटेशन के काम में नलों का और टूटियों का सबसे ज्यादा गबन किया गया है, यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। आप यह भी देखे कि इतनी बीमारियाँ क्यों हो रही हैं। बड़े लोग तो पानी को छान कर पीने के लिए फिल्टर लगा लेते हैं लेकिन आम आदमी क्या करेगा। स्पीकर सर, अगर हम लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं दे सकते तो कैसे काम चलेगा ? अभी-अभी एक घटना घटी है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। सीसवाला गांव के लोग कहते हैं कि वहां रात को 2 बजे बिजली से आग लगी। रात को 2 बजे पूरा गांव सोया पड़ा था एक आदमी की 3 भैंसें और एक गाय जल गई। उसकी लड़की ने कोशिश करी कि भैंस को खोल कर ले आऊं तो लड़की भी थोड़ी सी जल गई। उस लड़की का ईलाज हो जाएगा। स्पीकर सर, मैं दोबारा से पानी के बारे में कहना चाहती हूँ कि जहां-जहां हमारे पम्प हाऊस बने हुए हैं वहां बिजली नहीं गई, ऐस्केप से पानी जाता है और बिजली फेल हो जाती है। इस बारे में मेरी नहरों के वजीर से दर्खास्त है कि वहां अलग से पावर हाऊस हो और दादरी, बेरला, भिरी, रावलदी इन गांवों का कुछ इंतजाम हो। इस हाऊस में इस बारे में हमको मुख्यमंत्री जी या नहरों के मंत्री जी आश्वासन दें क्योंकि उनकी जमीनें खराब हो रही हैं। कहते हैं कि बाढ़ का पानी निकाला है और दूसरी तरफ ऐस्केप का पानी आ गया जो उन्हीं गांवों में भर गया। दादरी, रावलदी और कमोद की जमीन में पानी भर गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जहां-जहां लिफ्ट इरीगेशन के पम्प हाऊस हैं उन पम्प हाउसों के लिए एक अलग से पावर हाउस हो ताकि बिजली फेल होने की वजह से वहां ऐस्केप से जो पानी निकलता है वह न निकले। या फिर उनकी जमीन ऐक्वायर कर लें और उनको पैसा दे दें क्योंकि जब भी बढ़िया फसल होती है बिजली फेल होते ही पानी आ जाता है। इतना तो मैंने पानी देखा है। दादरी के पास धिकाड़ा पम्प हाऊस है, बिरही के पास बिरही का पम्प हाऊस है। ये दोनों तो कांस्टैंट ही रहते हैं साथ ही सहडवा का भी कांस्टैंट रहता है। इसके साथ ही अब इशरवाल का भी कांस्टैंट रहने लगा है। जहां टिब्बे

[श्रीमती चन्द्रावती]

ही टिब्बे हैं वहां पानी खड़ा हो जाता है और आगे नही पहुंचता है। कोई आऊटलैट दे करके उस पानी को आगे तक नहर में दोबारा डाल दें जिससे पानी निकल सके या फिर ऐस्केप करके कोई बड़ा तालाब बनायें या ऐसा काम कुछ और करें, इससे दो फायदे होंगे। एक तो पानी जरूर आगे पहुंचेगा और लोगों की कई एकड़ जमीन जो खराब हो गई है, या सेम आ गई है वह नहीं आएगी। इससे आपका सारा खर्चा भी बच जाएगा। स्पीकर साहब, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में भी जरूर थोड़ा सा कहना चाहूंगी। हमारे यहां अस्पताल तो जरूर बने हैं मगर वहां डाक्टर नहीं हैं। जैसे नक्की पुर कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर था उसको प्राईमरी हैल्थ सैंटर बना दिया गया। डाक्टर वहां जाना नहीं चाहते हैं। मेरी अर्ज है कि उसे फिर से कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर बनाया जाना चाहिए। वहां डाक्टर भेजे जाने चाहिएं चाहे उन्हें ज्यादा पैसा दें या कोई और इंसैंटिव दें। चाहे रहने के लिए मकान बना कर दें।लेकिन डाक्टरों को वहां जरूर भेजा जाना चाहिए। अब तो बहल में भी अच्छा स्कूल बन गया है। पिलानी भी वहां से नजदीक पड़ता है। चाहे मेरे हल्के में हो या किसी और हल्के में या कैथल के हल्के में सब जगह डाक्टरों को भेजना चाहिए। जहां डाक्टर हैं वहां नर्स नहीं हैं। ये जो सारी चीजें दवाई वगैरह आप देते हैं, माफ करना वो डाक्टर तो किसी को दवाई नहीं देते हैं। बड़ी महंगी-महंगी दवाई लिख देंगे। दवाई की बड़ी भारी जरूरत है। अभी से डांस होने शुरु हो गए हैं। हमारे यहां मच्छरों को ही डांस कहते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपके इलाके में भी कर्ण लेक पर और दूसरी जगह बड़े-बड़े मच्छर छत्तों पर लटके रहते हैं। पानीपत के इलाके में इतनी फैक्टरियां हैं कि उनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। आसपास के किसानों की फसल भी उससे काफी प्रभावित होती है। इसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा। यह बात ठीक है कि इण्डस्ट्रीज के बिना काम नहीं चलता है और उनमें लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन उन फैक्टरियों से जो गंदा पानी या धुआं निकलता है उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पंहुचता है। करोड़पतियों को तो आप कह सकते हैं कि ट्रीटमैंट प्लांट लगाओ लेकिन छोटे उद्योगपतियों को डायरेक्शन देने में हमारा क्या जाता है। सरकार को एक गजट ही निकालना होता है। सोनीपत, यमुनानगर और पानीपत के इलाके में बुरा हाल है। लोहारू में तो यह दिक्कत नहीं है। लोहारू के वूल कारखाने को चलाने की बात कभी सरकार ने कही थी । हमने भी उसके बारे सरकार को अनुरोध किया था कि वहां पर लोग भेड़े पालते हैं, राजस्थान का इलाका भी लोहारू के नज़दीक लगता है। वहां के लोग भी भेड़ पालते हैं। तो कम से कम वूल का कारखाना तो वहां चालू होना चाहिए। परन्तु हम क्या देखते हैं कि वहां आज भी एक आदमी बैठा रहता है। पीछे जब डायरैक्टर साहब वहां गए तो वहां जो तीन आदमी थे वे भी गायब थे। उनका सस्पैंशन वगैरह भी किया।

श्री अध्यक्ष : चन्द्रावती जी आपने बहुत समय ले लिया है।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि इस वूल कारखाने को चालू करवायें।उनका जो उद्देश्य है उसका वहां प्रोसैस शुरू होना चाहिए जिससे लोगों को काम मिल सके। अगर सब बेरोजगार युवकों को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है तो उद्योगपतियों को कह कर उन नौजवानों को इनके उद्योगों में नौकरी दे कर कुछ हद तक बेकारी को दूर कर सकती है क्योंकि बेकारी की समस्या आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है और जो नौजवान लड़के बेकार होते हैं वे गलत काम धंधों में लग जाते हैं। इसलिए छोटे कारखाने लगाकर भी बेकारी की समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है। उद्योगपतियों को कहकर नौजवानों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिलवाएं ताकि बेकारी की समस्या दूर हो सके। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बेकारी दूर करना बहुत जरूरी है। उनको व्यवसायिक रूप से शिक्षित करें ताकि उनकी बेकारी दूर हो सके नहीं तो ये बेकार लड़के असामाजिक तत्व बन जाते हैं और गलत से गलत काम करते हैं।इनसे कोई भी गलत काम करवा सकता है, क्योंकि ये भूखे होते हैं। इसके साथ ही मैं वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं तथा इस बजट का समर्थन करती हूं।

वर्ष 1996-97 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on demands for grants on budget for the year 1996-97 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands for grants on the order papers will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding Rs. 3,19,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 63,42,08,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 2,20,99,81,000 for revenue expenditure and Rs. 5,25,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 51,57,04,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 19,53,21,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.5—Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 1,90,94,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 11,30,85,72,000 for revenue expenditure and Rs. 6,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 1,05,48,15,000 for revenue expenditure and Rs. 75,32,90,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.8—Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 6,61,48,73,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 2,92,61,75,000 for revenue expenditure and Rs. 74,90,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.10-Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs.19,27,24,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.11—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 38,41,31,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.12—Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 2,21,03,19,000 for revenue expenditure and Rs. 2,60,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.13—Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 10,40,16,000 for revenue expenditure and Rs. 4,09,66,27,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.14—Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 5,22,81,00,000 for revenue expenditure and Rs. 2,57,67,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs.32,58,05,000 for revenue expenditure and Rs. 19,54,45,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 1,58,25,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.17—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 51,91,49,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 10,72,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 55,61,35,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 68,29,26,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs.20,27,00,000 for revenue expenditure and Rs. 12,95,90,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.22—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs.3,28,70,42,000 for revenue expenditure and Rs. 44,21,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.23—Transport.

That a sum not exceeding Rs.31,92,000 for revenue expenditure and Rs. 3,85,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs.3,99,49,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.25—Loans & Advances by State Government.

श्री किताब सिंह (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इस वर्ष, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि प्राकृतिक प्रकोप से बाढ़ आई और डबवाली में जो हुआ, ऐसा कांड पहले कभी नही हुआ था। बाढ़ के दौरान सरकार ने जो लोगों की सहायता की उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। पहले ही हम लोग एक मांग करते थे कि फसल अगर बर्बाद होती है तो उसका पूरा मुआवजा देना चाहिए। आज तक जो फसल ओले से बर्बाद हुई है, उसका प्रति एकड़ 400/- रू दिया गया था। इस बार जो बाढ़ से फसल की बर्बादी हुई उसमें 400/- रू प्रति एकड़ दिया गया और जिसमें बिजाई नहीं हुई उसमें 3000/- रू प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया। उसके लिए मैं यह कहूं कि इस सरकार ने किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया है। जिनके मकान गिर गए उनको भी मदद दी गई। लेकिन कुछ अनियमितताएं भी हुई हैं। गोहाना के बीच का हिस्सा

बचा हुआ था और उस को छोड़ कर बाकी चारों तरफ से गोहाना डूबा हुआ था। वहां पर 6-7 फुट पानी था और जब मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की मीटिंग में सोनीपत गए तो उनसे मैंने अनुरोध किया था कि जिस तरह से रोहतक, भिवानी और अन्य शहरों में छोटे दुकानदारों को मुआवजा दिया गया है उसी तरह से गोहाना के दुकानदारों को भी दिया जाए। मुख्यमंत्री जी हाँ करके आए थे। लेकिन पता नहीं बाद में क्या मजबूरी हुई। उसके बाद गोहाना के लोगों को, गोहाना के दुकानदारों को जो सोनीपत रोड पर, बरौदा रोड पर तथा जींद रोड पर थे, जो पूरी तरह से तबाह हुए थे कोई मुआवजा नहीं मिला। बाढ़ के कारण जिनका नुकसान हुआ है, मैंने मुख्यमंत्री जी से बार-बार उनको मुआवजा देने का अनुरोध किया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं किन कारणों से इस ओर ध्यान नहीं दिया। मेरा अनुरोध है कि गोहाना के लोगों के साथ यह भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में यह सरासर भेद है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं (विघ्न)। जब दूसरों को मुआवजा दिया जा सकता है तो गोहाना के लोगों को भी देना चाहिए। गोहाना में जहां बिजाई नहीं हो सकी वहां 3000/- रू प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने के बारे में विचार करें। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पर एक अधिकारी है जिसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय की नॉलेज में भी लाया गया था। वह पटवारी को भेज-भेज कर कहता है कि एक तिहाई पैसा मुझे दे दो और पैसा ले लो। इस प्रकार से पटवारी ने तथा उस अधिकारी ने पैसा इकट्ठा किया है। मैं इतवार को खेड़ी राम नगर व खेड़ी दमखड़ गावों में गया था, जहां पर काफी लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने इस संबंध में काफी शिकायतें कीं तथा एक व्यक्ति जिसका नाम रामधन सुपुत्र श्री हजारी है, ने शिकायत की कि उसकी 5 एकड़ की बिजाई आज तक नहीं हुई है। राजबीर पटवारी ने मांग की है कि आधा-आधा कर लो यानि 7,500/- रू मुझे दे दो, मैं चल कर के यह मुआवजा राशि तुम्हें दिलवा देता हूँ। उसने कहा कि सी०एम० साहब के भांजे तहसीलदार हैं, उनके सामने आपको पैसे दिला दूंगा। उसने यह बात दो तीन सौ आदमियों के बीच में कही। मैंने उससे पूछा कि फिर क्या हुआ तो वह कहने लगा कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हो सके इसलिए मैं उसको पैसे नहीं दे सका। फिर वह कहने लगा कि मुझे फर्द की जरूरत पड़ गई। उसके लिए पटवारी ने दो हजार रुपये मांगे। शिकायत करने पर विजिलैंस ने छापा मारा तो वह पटवारी रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हाउस की कमेटी बना कर इसकी इन्क्वायरी करवाएं। जो तीन हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना था इसमें हेरा फेरी हुई है । जैसे मैंने पहले बताया कि एक किसान की पांच एकड़ जमीन में बिजाई नहीं हो सकी थी। उसको 15 हजार रुपये का मुआवजा मिलना था उस आदमी को कहा गया कि आधा पैसा दे दो तो आपको मुआवजा दिला दूंगा। उसको कहा गया कि सी०एम० साहब के भांजे के सामने दिला दूंगा।

चौधरी भजन लाल : मेरा कोई भांजा तहसीलदार नहीं है। मेरा भांजा तो अभी पढ़ ही रहा है।

श्री किताब सिंह : जो मुझे बताया गया है मैं वह बता रहा हूँ। उस आदमी ने कहा था कि मैं उनके सामने दे दूंगा। इसी तरह से गरीब लोगों को कम्बल बांटे गए थे। मेरी नालेज में है कि 1 लाख 40 हजार रुपये के कम्बल पानीपत से खरीदे गए थे। इस बारे में मैंने एक काल अटैन्शन मौशन भी दिया था। असल में एक कम्बल की कीमत 60 रुपये थी जबकि वे 118 रुपये कम्बल के हिसाब से खरीदे गए। ये कम्बल डी०सी० पानीपत ने खरीदे थे। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस बारे में हाउस की एक कमेटी बना दें क्योंकि इसमें 60-70 हजार रुपये की हेरा फेरी हुई है। वे कम्बल आज भी लोगों के पास हैं और कुछ अधिकारियों के पास भी होंगे। इसलिए इसकी इन्क्वायरी करवाई जाए।

चौधरी भजन लाल : टोटल 1 लाख 40 हजार रुपये के कम्बल खरीदे गए तो 60-70 हजार रुपए की गड़बड़ कैसे हो गई ?

श्री किताब सिंह : जब 60 रुपए वाला कम्बल 118 रुपए में खरीदा गया दिखाया गया है तो आधी कीमत का फर्क बनता है। इसलिए 70 हजार रुपए की हेराफेरी हो गई। मेरा अनुरोध है कि आप तीन विधायकों की कमेटी बना कर इसकी इन्क्वायरी करवाएं। अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। पीछे जब बाढ़ आई तो उसकी वजह से सड़कें बुरी तरह से टूट गईं। मन्त्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया भी था कि 31 मार्च तक सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पानीपत-गोहाना रोड एक मेन रोड है वह अभी तक ठीक नहीं हुई। जहां तक लिंक रोड्ज का ताल्लुक है वह तो कोई भी ठीक नहीं हुई। अब 31 मार्च तो आने वाला है इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए।

लोक निर्माण मन्त्री (श्री अमर सिंह) : करवा देंगे।

श्री किताब सिंह : करवा दोगे तो आपका धन्यवाद। अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। बजट में कहा गया है कि पानीपत में छठा यूनिट लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे इस महकमे के मंत्री जी बहुत समझदार हैं। पहले भी इनके पास यह महकमा रहा है। छठे यूनिट के लिए लगभग एक सौ करोड़ रुपए का सामान 1991 से आना शुरु हुआ था। जो पांच यूनिट पहले लगे हुए हैं उनमें तीन चल रहे हैं और दो बन्द पड़े हैं। जो तीन चल रहे हैं उनमें से भी दो ही चलते हैं। मन्त्री जी ने कहा था कि इनको ठीक करवाएंगे तथा और थर्मल प्लांट्स लगाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हम किसानों को कुल बिजली का 50 परसैंट दे रहे हैं। मुझे यह बात जंच नहीं रही है कि 50 परसैंट बिजली किसानों को दी जा रही है। मेरे हिसाब से तो 40 परसैंट भी नहीं दी जा रही। किसानों को बिजली देने की जो एवरेज है वह एक साल में रोजाना तीन घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। इसी तरह से जो मौसम है पहले 20-25 दिन पहले बारिश हो गई फिर 8-10 दिन के बाद फिर बारिश हो गई। इस 15 तारीख के बाद 15 दिन का ही गेंहू का सीजन है। इन्हीं दिनों के दौरान बिजली की जरूरत है, उसके बाद कई दिन तक बिजली की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को जो बार बार कहा जाता है कि उनको 50 परसैंट बिजली दी जा रही है, वह नहीं दी जा रही है। अगर सरकार किसानों को 50 परसैंट बिजली देने का दावा करती है तो उसके लिए अलग से बिजली देने का प्रबंध कर दिया जाए। नहरी पानी के बारे में कहा गया कि उसका प्रबंध किया जा रहा है। आज जमीन के पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया है। एस०वाई०एल० नहर के बारे में जिक्र किया गया कि उसको बहुत जल्दी बनाया जाएगा और जब एस०वाई०एल० नहर का पानी आएगा तो सिंचाई का एरिया भी बढ़ जाएगा। स्पीकर साहब, एस०वाई०एल० नहर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। एस०वाई०एल० नहर बहुत पुरानी है और पुरानी होने की वजह से यह जल्दी नहीं बन सकती। एस०वाई०एल० का पानी जल्दी हरियाणा के अन्दर आने वाला नहीं है। यह एक राजनीतिक मसला है। जब कोई मुख्य मंत्री आता है तो वह कहता है कि एस०वाई०एल० नहर को बहुत जल्दी बनवाएंगे लेकिन आज तक वह नहर नहीं बनी है। मैं यह बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि उस नहर का पानी हमें मिलने वाला नहीं है।

सिंचाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : आपको इस तरह से उल्टी बात नहीं कहनी चाहिए, आपको सुल्टी बात कहनी चाहिए। आप यह बात कहें कि उसका पानी हरियाणा में आएगा।

श्री किताब सिंह : जो उल्टी बात है वह मैं उल्टी कहूंगा और जो सुल्टी है उसको सुल्टी कहूँगा। हमें उस नहर का पानी मिलने वाला नहीं है। कई बार यह बात आ चुकी है कि एस०वाई०एल० नहर को जल्दी बनाया जाएगा लेकिन आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्पीकर साहब, मैंने 1991

के बजट सैशन में यह कहा था कि बारिश के दिनों में यमुना नदी का पानी बह कर समुद्र में चला जाता है और सर्दियों में उसके अन्दर बहुत थोड़ा पानी रह जाता है। इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए तो उस समय यह कहा गया था कि उसकी 14000 क्यूसिक्स पानी से कैपेसिटी बढ़ा कर 22000 क्यूसिक्स करेंगे। तो उसकी कैपसिटी को बढ़ाया जाए। यदि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो यमुना के साथ-साथ लगते एरिया को उससे बहुत फायदा होगा। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यमुना समझौता हुआ है वह हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया समझौता हुआ है। उससे करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, महेन्द्रगढ, नारनौल और रिवाड़ी जिलों को बहुत फायदा होगा। इसलिए उस समझौते से बढ़िया कोई और समझौता नहीं हो सकता है। स्पीकर साहब, मेरे विरोधी पक्ष के कई भाई उस समझौते का विरोध करते हैं लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि वह केवल दिखावे के लिए इसका विरोध करते हैं। उस समझौते से हरियाणा के पूर्वी जिलों को बहुत फायदा होगा। पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी और भिवानी जिलों को उस समझौते से बहुत फायदा होगा। बांध बनने के बाद बिजली का उत्पादन भी होने लगेगा। इसके साथ-साथ मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों से जो नहरें बननी रहती हैं उनको जल्दी बनाया जाए। उनका नाम बार-बार यहां हाउस में आता है। जैसे डाक्टर राम प्रकाश जी ने दादुपुर नलवी नहर के बारे में कहा। अगर वह नहर बन जाती है तो उससे तीन चार जिलों को बहुत फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : उस नहर के बारे में आप डाक्टर राम प्रकाश के साथ-साथ लहरी सिंह का भी नाम ले दें।

साथी लहरी सिंह : स्पीकर साहब, उस नहर के साथ आपका इलाका भी जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह बात भी ठीक है, मेरा इलाका भी उसके साथ जुड़ा हुआ है।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, दादुपुर नलवी नहर बन जाने से पैडी के एरियाज को बहुत फायदा होगा। पैडी एरियाज के किसानों को अपने ट्यूबवैल्ज की मोटरें खराब होने के कारण रोजाना अपने सिर पर उठा कर ठीक करवाने के लिए ले जाना पड़ता है। उस नहर के बन जाने से उन किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। उस नहर के बन जाने के बाद बिजली की भी बचत होगी और जमीन के पानी का लैवल भी ऊपर आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप अपनी स्पीच बाईड अप करें क्योंकि फाईनेंस मिनिस्टर साहब ने जवाब भी देना है।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। स्पीकर साहब, मैं जो दादूपुर नलवी नहर की बात कह रहा था, उसको बनाने बारे डा० राम प्रकाश, श्री लहरी सिंह और दूसरे कई साथी मांग कर रहे हैं। यह नहर बनाई जानी बहुत आवश्यक है क्योंकि यह नहर उस इलाके के लिए लाईफ लाईन है। यदि यह नहर बन जाती है तो इससे हम जो थर्मल प्लांट लगाने जा रहे हैं उसमें भी आसानी होगी और बिजली पैदा होने से बिजली की भी कमी नहीं होगी। पानी जब इस नहर में आएगा तो इससे वहां के इलाके भी सिंचित हो सकेंगे।

स्पीकर साहब, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि गन्ने की आज के दिन बहुत बुरी हालत है। लोग अपना गन्ना 40-45 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। मुख्य मंत्री ने पिछले बजट सैशन में आश्वासन दिया था कि जो 4 शूगर मिल लगाने के बारे में भारत सरकार से बात

[श्री किताब सिंह]

चीत चल रही है, उनमें से एक गोहाना में लगेगा। पता नहीं किसी ने मुख्य मंत्री जी के कान में क्या फूंक मार दी जिस कारण अब गोहाना में शूगर मिल नहीं लगाया जा रहा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, फूंक मारने वाली कोई बात नहीं है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हम गोहाना और पानीपत के बीच में एक नया शूगर मिल डबल कैपिसिटी का लगाने जा रहे हैं जिस का नाम गोहाना-पानीपत शूगर मिल होगा और यह गोहाना से तकरीबन 20 कि०मी० के फासले पर होगा।

श्री किताब सिंह : जो ये मिल दोनों शहरों के बीच में लगाने की बात कर रहें हैं वह गोहाना से 35-40 कि०मी० की दूरी पर होगा जो कि गोहाना के लोगों की मांग को पूरा नही करता। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हम गोहाना में ही शूगर मिल लगाये जाने की मांग करते हैं और जब तक वहां पर शूगर मिल नहीं लग जाती हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए यदि हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो वह भी करेंगे। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार गोहाना में शूगर मिल लगाये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करना चाहता हूं । एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी हमारी सस्थाएं हैं वे अच्छा काम कर रही हैं। इस संबंध में मैंने पिछले सैशन में भी एक काल अटैंशन मोशन दिया था और उसका जवाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने दिया था। हमारी जो सीड कार्पोरेशन के तहत संस्थाएं काम कर रही हैं उनका बीज सरकार पूरा नहीं उठा रही है और केवल 16 क्विंटल तक बीज ले रही है, जो ठीक बात नही है।इसलिए मेरी मांग है कि सरकार इन सारी चीजों की तरफ ध्यान दे और गोहाना में सरकार शूगर मिल लगाये। यही बात कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कल मैंने 1996-97 का बजट पेश किया जिसकी सराहना सभी पक्षों की तरफ से की गई। इसकी सराहना हमारे माननीय सदस्यों ने भी की और जनता ने भी की क्योंकि हमने कोई नया कर नहीं लगाया। जो कर लगे हुए थे, उनमें भी राहत दी है। इस बजट से व्यापारी और छोटे वर्ग को भी राहत मिलेगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1996-97 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक बात बड़े दुख के साथ सदन में कहनी पड़ती है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का इसलिए विरोध किया और वाक आउट किया कि हरियाणा सरकार ने यह पूरा बजट क्यों पेश किया है। हाउस में पूरे बजट की बजाए वोट ऑन अकाउंट पेश करना चाहिए था, फुल फलैज्ड बजट पेश नहीं करना चाहिए था। इसी बात पर वे हाऊस से वाक आउट कर गए। 1972, 1977, 1982, 1987, और 1991 के पांच बजटों का मुझे पता है कि फुल फलैजड बजट हुए थे। 1987 में तो जो इलैक्शन हुए थे वे चौधरी बंसी लाल जी के जेरे साये में हुए थे, तब भी हरियाणा में वोट आन अकाउंट पेश नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं

समझता हूँ जिन प्रदेशों में अब चुनाव होने हैं उनमें से किसी भी स्टेट में वोट ओन अकाउंट पेश नहीं हुआ बल्कि फुल फलैज्ड बजट ही पेश किए जा रहे हैं। उन्हें इस बात का विरोध करने की बजाए इस पर चर्चा करनी चाहिए थी और अपने हल्के और लोगों की बात कहनी चाहिए थी। वे बजट पर कुछ सुझाव देते तो ज्यादा बेहतर होता। श्री किताब सिंह ने बजट पर चर्चा करते हुए अपने हल्के की दिक्कत को रखा और कुछ सुझाव भी दिए। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने वाक आउट किया, यह बहुत ही गलत बात है। असली बात तो यह है, जहां तक मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के भाई इसलिए वाकआउट कर गए क्योंकि इस बजट पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इस बजट में हमने कोई भी ऐसा वर्ग अछूता नहीं छोड़ा है जिसको इस बजट से कुछ न कुछ राहत न दी गई हो। पूरा सदन बैठा हुआ है लेकिन उन्हें तो वाकआउट करने का कोई बहाना चाहिए था और वे बहाना बना कर वाकआउट कर गए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहता हूं कि कुछ मैम्बर्ज ट्रेज़री बैंचिज़ से बोले हैं और अच्छे सुझाव भी सरकार को दिए हैं तथा अपने अपने हल्के की बात भी कही है। बाढ़ के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्यों के लिए पूरा पैसा दिया गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि बाढ़ राहत कार्यों में लोगों को हर प्रकार की राहत देने की कोशिश की गई है। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि यह प्राकृतिक प्रकोप था, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं था। सभी सदस्यों ने इस बात को माना है कि जितनी सहायता बाढ़ कार्यों के लिए इस सरकार ने दी है, भारतवर्ष के इतिहास में आज से पहले किसी भी सरकार ने इतनी सहायता नहीं दी। (थम्पिंग) अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है कि एक-दो जगह पर किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी ने बाढ़ राहत कार्यों में थोड़ी-बहुत गड़बड़ी की हो। जहां से भी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई बाकायदा उस पर एक्शन लिया गया है। आगे जो भी शिकायत नोटिस में आएगी, उसकी पूरी इन्क्वायरी की जाएगी। सरकार के नोटिस में यह बात लाई गई है कि कम्बलों की खरीद में कुछ घोटाला हुआ है। ज्यों ही सरकार के नोटिस में यह शिकायत आई, सरकार ने कमिश्नर रैंक के अधिकारी को इन्क्वायरी आफिसर लगाया। इन्क्वायरी रिपोर्ट अभी सरकार के पास नहीं आई है। उस इन्क्वायरी में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ बाकायदा ऐक्शन लिया जाएगा। स्पीकर साहब, यहां पर पानी की बात कही गई, सड़कों की बात आई और बिजली की बात भी कही गई। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि माननीय गवर्नर साहब ने जो एड्रैस पेश किया था उस पर बोलते हुए विरोधी पक्ष के साथियों ने अपने पक्ष की बातों को यहां हाउस में रखा और आपने भी उनको बोलने के लिए समय देने में कोई कमी नहीं की। जो बातें उन्होंने कहनी थीं वे उन्होंने गवर्नर एड्रैस पर कह लीं। सारी बातें सरकार के नोटिस में आ गई हैं और उन पर सरकार गौर भी कर रही है। मुख्य मंत्री जी ने बड़ी फ्राखदिली के साथ उनकी सभी बातों का जवाब दिया। हरियाणा के लोगों की बात चाहे किसी भी हल्के की रही है, चाहे वह विपक्ष के हल्के की बात हो और चाहे इस तरफ से किसी हल्के की बात हो, सरकार की तरफ से कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया है। चाहे पीने का पानी हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्कूलों या अस्पतालों की बात हो सरकार ने हर हल्के को बराबर की फैसिलिटी दी है तथा हर चीज़ के लिए पूरा प्रावधान किया है। हमने कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की है जिससे किसी को कोई नुक्सान हो। अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। आज विरोधी भाई सदन में नहीं बैठे हैं। यह तो उनकी जिम्मेवारी थी कि वे यहाँ पर बैठते। अध्यक्ष महोदय, चाहे ट्रेजरी बैंचिज के विधायक हों या विरोधी पक्ष के विधायक हैं, हमने सबके लिए एक ही स्कीम के तहत फौरी तौर पर चीजों को पूरा करने के लिए 50-50 लाख रु० की ग्रांट दी है ताकि किसी के हल्के में अगर कोई काम रह जाता है तो वह अपनी मर्जी से उसे पूरा करा सके। इसके पहले अगर कोई काम करवाना होता था तो विधायक को स्कीम बनानी पड़ती थी और वह केस फाईनैंस डिपार्टमैंट को जाता था। उस काम को करने के लिए काफी समय

[श्री मांगे राम गुप्ता]

लग जाता था । इसलिए हमने यह भी कर दिया था कि वह अपनी मर्जी से यह पैसा अपने हल्के के काम के लिए प्रयोग कर सकता है। अगर हमारे मन में उनके प्रति ऐसी कोई बात होती तो हम यह न करते। आज उनके पास कुछ कहने को तो था नहीं इसलिए वे वाक-आउट कर गये। हमने सबको बराबर का दर्जा दिया है। आज विरोधी पक्ष का कोई भाई यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई स्कीम दी और उसको पूरा नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत मेहनत और लग्न से यह बजट बनवाया है। हिन्दुस्तान का फाईनैंस मैनेजमैंट भी यह कहता है कि सारे देश में हरियाणा प्रदेश का मैनेजमैंट अव्वल है। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा फख्र की क्या बात होगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट के दौरान हम सोचते थे कि 60 करोड़ का घाटा होगा लेकिन हमने ठीक तरह से पैसे का प्रयोग करके उस वर्ष 20 करोड़ रुपये का मुनाफा किया। अध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार आई थी तो उस वक्त 250 करोड़ रुपये का घाटा हमारे ऊपर पड़ा था। इस सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को उभारा है। जब हम आए थे तो इस प्रदेश के खाते में पेंशन देने को पैसा नहीं था लेकिन इस सरकार ने बड़ी मेहनत और लग्न से सबको पेंशन दी है और यह महीने की पहली तारीख को दे दी जाती है। कर्मचारियों को भी तनख्वाह पहली तारीख को ही दे दी जाती है। यह सब हमारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने कर्मचारियों को बहुत से रिलीफ दिए हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में बाढ़ आई, आग लगी और भी कई विपदाओं में हमने लोगों को रिलीफ दिया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी केवल 33 करोड़ का घाटा हुआ है। यह घाटा भी तभी हुआ जब हमने एक्साईज की पौलिसी चेंज कर दी। कई जगहों पर ठेके बंद कर दिए, कोई नया ठेका नहीं दिया जिस वजह से हमें यह घाटा हुआ है। अगर यह बात न होती तो हम प्रोफिट में ही होते। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। आज जो भी लोगों की तथा विपक्ष के भाईयों की मांगे थीं, उनको हमने पूरा करने की कोशिश की है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय पांच मिनट और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1996-97 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से एक क्लैरीफिकेशन और चाहता हूं। जैसे सरकार ने हथनी कुण्ड बैराज का निर्माण कार्य शुरु करवाने के बारे में सोचा है तो क्या सरकार उसी तरह से दादूपुर नलवी और दादूपुर लाडवा नहर का काम भी शुरु करवाएगी क्योंकि इससे कोई भी घाटा नहीं है ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हथनी कुण्ड बैराज की बात है तो इसका समझौता करने का मतलब ही यही था वरना तो यह बहुत बाद तक लटकता रहता। मुख्य मंत्री जी ने इसी लिए ही इसके लिए काफी प्रयास किया और यह समझौता करवाया। चाहे दादूपुर नलवी नहर की बात हो या और इलाकों में पानी की कमी की बात हो, अगर हम एस०वाई०एल० नहर की तरह इस मामले में भी झगड़ते रहते तो हथनी कुण्ड बैराज के निर्माण का समझौता भी ऐसे ही लटका रहता और हरियाणा के किसानों का

नुकसान हो जाता। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किए जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा। जहां पर पांच प्रदेश हों और उन पांच प्रदेशों में भी अलग अलग विरोधी सरकारें हों तो वहां पर विरोधी दलों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठ कर ऐसा समझौता कराना जो हरियाणा के हित में हो, कोई छोटी बात नहीं है। इससे बढ़िया बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमैन्ट हो गया है और इस बारे में टैंडर भी काल हो गए हैं। हम दादूपुर नलवी नहर पर भी काम बहुत जल्दी शुरु करबाएंगे और पूरा करेंगे। किसान के हित की जब भी बात आई है तो इस सरकार ने उस को पूरा किया है। किसानों के हित का ढोल तो वही लोग पीटते हैं जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। लेकिन यह सरकार ढिंढोरा नहीं पीटती बल्कि इसने काम किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इस बजट को पास करें। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 3,19,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 63,42,08,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 2,20,99,81,000 for revenue expenditure and Rs. 5,25,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 51,57,04,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 19,53,21,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.5—Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 1,90,94,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 11,30,85,72,000 for revenue expenditure and Rs. 6,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 1,05,48,15,000 for revenue expenditure and Rs. 75,32,90,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.8—Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 6,61,48,73,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 2,92,61,75,000 for revenue expenditure and Rs. 74,90,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.10—Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs.19,27,24,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.11—Urban Development.

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs. 38,41,31,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.12—Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 2,21,03,19,000 for revenue expenditure and Rs. 2,60,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.13—Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 10,40,16,000 for revenue expenditure and Rs. 4,09,66,27,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.14—Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 5,22,81,00,000 for revenue expenditure and Rs. 2,57,67,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs.32,58,05,000 for revenue expenditure and Rs. 19,54,45,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 1,58,25,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.17—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 51,91,49,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 10,72,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 55,61,35,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 68,29,26,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs.20,27,00,000 for revenue expenditure and Rs. 12,95,90,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.22—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs.3,28,70,42,000 for revenue expenditure and Rs. 44,21,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.23—Transport.

That a sum not exceeding Rs.31,92,000 for revenue expenditure and Rs. 3,85,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs.3,99,49,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1996-97 in respect of charges under Demand No.25—Loans & Advances by State Government.

The Motion was Carried.

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 8th March, 1996.

*13.42 Hrs. (The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 8th March, 1996.)

— * — * — * — * —

27625—H.V.S.—H.G.P., CHD.